उत्तर प्रदेश
राजस्व संहिता
नियमावली, 2016

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016

विषय सूची

(CONTENTS)

अध्याय संख्या	विवरण	नियम	पृष्ठ
एक	प्रारम्भिक	1 – 2	1–2
दो	राजस्व मण्डल	3 – 7	3
तीन	परिषद के कार्यपालिक एवं प्रशासनिक कार्य	8 – 15	4 – 6
चार	सीमायें एवं सीमा चिन्ह	16 – 23	7 – 11
पांच	ग्रामों के अभिलेखों का अनुरक्षण	24 – 39	12 – 22
छः	ग्राम अभिलेखों का पुनरीक्षण	40 – 45	23
सात	भूमि तथा अन्य सम्पत्तियों का स्वामित्व	46 – 52	24 – 25
आठ	ग्राम पंचायत अथवा अन्य स्थानीय प्राधिकारियों में निहित सम्पत्ति का प्रबन्धन	53 – 82	26 – 50
नौ	भू–धृति	83 – 131	51 – 75
दस	सरकारी पट्टेदार	132	76
ग्यारह	भू–राजस्व का निर्धारण	133 – 137	77 – 80
बारह	भू–राजस्व की वसूली	138 – 181	81 – 93
तेरह	राजस्व न्यायालयों की अधिकारिता तथा प्रक्रिया	182 – 188	94 – 95
चौदह	प्रकीर्ण	189 – 197	96 – 102
परिशिष्ट			
एक	परिसीमा और न्यायालय शुल्क	.....	103 – 104
दो	ग्राम पंचायत सम्बन्धी मुकदमों के संचालन के लिये अनुदेश	.....	105 – 120
प्रपत्र			
	आर0सी0 प्रपत्र	1 – 44	121 – 170
	बी0पी0एस0 प्रपत्र	1 – 12	171 – 185

उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग–1

संख्या 170/एक-1-2016-15(1)/1998-19

लखनऊः दिनांक 10 फरवरी 2016

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 233 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निरसित अधिनियमों के अधीन बनायी गयी समस्त नियमावलियों को विखण्डित करके निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं –

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 कही जायेगी।

(2) यह नियमावली गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषायें

2. इस नियमावली में जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो,–

(क) 'परिशिष्ट' का तात्पर्य इस नियमावली में संलग्न परिशिष्ट से है;

(ख) 'परिषद' का तात्पर्य संहिता के अधीन गठित राजस्व परिषद से है;

(ग) 'अध्यक्ष ' का तात्पर्य परिषद के अध्यक्ष से है;

(घ) 'संहिता' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 से है;

(ङ) 'नामिका वकील' का तात्पर्य ग्राम पंचायत द्वारा या उसके विरूद्ध वाद, प्रार्थना–पत्र या अन्य कार्यवाही के संचालन के लिये संहिता या इस नियमावली के अन्तर्गत नियुक्त किये गये विधि व्यवसायी से है;

(च) 'आर0सी0 प्रपत्र' का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न आर0सी0 प्रपत्र से है;

(छ) 'राजस्व न्यायालय मैनुअल' का तात्पर्य संहिता की धारा 234 के अधीन अथवा संहिता द्वारा निरसित अधिनियमनों के अधीन बनाये गये राजस्व न्यायालय मैनुअल से है;

(ज) 'राजस्व मैनुअल' का तात्पर्य सरकार के राजस्व विभाग के आदेशों के मैनुअल से है;

(झ) 'धारा' का तात्पर्य संहिता की किसी धारा से है;

(ञ) 'ग्राम राजस्व समिति' का तात्पर्य संहिता की धारा 225–ग के अन्तर्गत गठित किसी समिति से है।

अध्याय–दो

राजस्व मण्डल

राजस्व क्षेत्रों की सीमाओं में परिवर्तन **[**धारा 6(2)**]**

3. धारा 6(2) के अन्तर्गत, किसी नये क्षेत्र के सृजन या समापन को सम्मिलित करते हुए राजस्व क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन का प्रत्येक प्रस्ताव प्रशासनिक दक्षता और जनहित पर आधारित होना चाहिए।

सार्वजनिक सूचना का प्रारूप **[**धारा 6(2)**]**

4. राजस्व क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन का प्रत्येक प्रस्ताव **आर0सी0 फार्म–1** में प्रकाशित किया जायेगा।

सूचना का प्रकाशन **[**धारा 6(2)**]**

5. उक्त सूचना –

(क) सरकारी गजट में ;

(ख) ऐसे क्षेत्र के परिक्षेत्र में व्यापक प्रसार वाले दो दैनिक समाचार पत्रों, जिनमें से एक हिन्दी भाषा में होगा, में प्रकाशित की जायेगी ; और

(ग) परिषद की वेबसाइट पर अपलोड की जायेगी।

समिति द्वारा आपत्ति का विचारण **[**धारा 6(2)**]**

6. (1) इस अध्याय के अन्तर्गत प्राप्त आपत्तियों पर विचारण निम्नलिखित सदस्यों की समिति द्वारा किया जायेगा :

(क) अध्यक्ष, राजस्व परिषद (अध्यक्ष)

(ख) प्रमुख सचिव, न्याय (सदस्य)

(ग) प्रमुख सचिव, राजस्व (सदस्य)

(घ) प्रमुख सचिव, गृह (सदस्य)

(ङ) प्रमुख सचिव, वित्त (सदस्य)

(च) सचिव, राजस्व परिषद (सदस्य सचिव)

(2) समिति आपत्तियों, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद, राज्य सरकार को आख्या प्रेषित करेगी, और वह समिति द्वारा प्रेषित आख्या और जनता से आयी आपत्तियों, यदि कोई हो, पर भी विचार करने के बाद, समुचित विनिश्चय करेगी।

परिक्षेत्रों का प्रबन्ध [धारा 6(3)]

7. धारा 6(3) के अन्तर्गत पारित कलेक्टर का प्रत्येक आदेश पर्याप्त प्रसार वाले कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जायेगा और कलेक्ट्रेट व तहसीलों के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा किया जायेगा।

अध्याय–तीन

परिषद के कार्यपालिक एवं प्रशासनिक कार्य

राजस्व न्यायालयों और राजस्व अधिकारियों का सामान्य पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण

[धारा 8(1)]

8. (1) प्रकरणों, अपीलों और पुनरीक्षणों के निस्तारण से सम्बन्धित सभी मामलों में राजस्व न्यायालयों एवं राजस्व अधिकारियों का सामान्य अधीक्षण एवं नियंत्रण परिषद में निहित होगा।

(2) परिषद, राज्य सरकार के अधीक्षण, निदेश और नियंत्रण के अधीन रहते हुए इस संहिता में उपबन्धित अन्य सभी मामलों में सामान्य अधीक्षण एवं नियंत्रण का प्रयोग करेगी।

(3) अध्यक्ष, किसी विनिर्दिष्ट मामले की परीक्षा के लिये सदस्यों की समितियाँ गठित कर सकता है।

(4) अध्यक्ष, जब भी निस्तारित किये जाने के लिये कार्य हो, परिषद के प्रशासनिक सदस्यों की बैठक अथवा पूर्ण परिषद की बैठक आहूत कर सकेगाः

परन्तु यह कि :–

(क) परिषद, अपने कार्यों के सम्पादन और कर्तव्यों के निर्वहन के लिये, साधारण तौर पर प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करेगी; और

(ख) यदि दो से अन्यून सदस्यों द्वारा ऐसी बैठक बुलाने के लिये अध्यक्ष से आग्रह किया जाता है, तो आग्रह से एक सप्ताह के अन्दर बैठक बुलायी जायेगी।

(5) प्रशासनिक बैठक में सामान्यतः प्रशासनिक सदस्यों को आमंत्रित किया जायेगा लेकिन अध्यक्ष, यदि वह आवश्यक समझता है, सभी या किन्हीं न्यायिक सदस्यों को आमंत्रित कर सकता है।

(6) अध्यक्ष, राजस्व अधिकारियों और राजस्व न्यायालयों के न्यायिक एवं अन्य कार्यों के प्रशासनिक निरीक्षण एवं निगरानी के प्रयोजनार्थ एक वर्ष की अवधि के लिये एक या एक से अधिक मण्डलों को परिषद के सदस्य को सौंप सकता है।

(7) इस नियम के उपनियम (6) में संदर्भित सदस्य वार्षिक निरीक्षणों के लिये अध्यक्ष के परामर्श से निरीक्षण का कार्य करेगा। सदस्य, निरीक्षण के दिनांक से पन्द्रह दिनों की अवधि के अन्दर वार्षिक निरीक्षण की आख्या अध्यक्ष को प्रेषित करेगा।

अभिकथनों को मंगाने के लिये परिषद की शक्ति [धारा 8(1)]

9. परिषद, समय–समय पर विभिन्न राजस्व न्यायालयों और राजस्व अधिकारियों से उनके सम्मुख लम्बित वादों एवं अन्य सभी मामलों में अभिकथन मंगा सकती है और न्यायिक कृत्यों, प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण तथा अन्य सभी मामलों के लिए समुचित निर्देश भी जारी कर सकती है।

पीठों का गठन (धारा 9)

10. (1) सदस्य एकल रूप से अथवा ऐसे खण्डपीठों में जो कि समय–समय पर गठित की जायं, बैठेंगे और ऐसा कार्य करेंगे जो उन्हें अध्यक्ष के आदेश द्वारा अथवा उनके निदेशों के अनुसार आबंटित किये जायं।

(2) अध्यक्ष, किसी प्रकरण की सुनवायी करने वाली पीठ द्वारा संदर्भित किसी प्रकरण अथवा विधि के किसी विरचित प्रश्न के विनिश्चय के लिये दो या दो से अधिक सदस्यों की पीठ गठित कर सकेगा। पश्चातवर्ती दशा में, इस प्रकार विरचित प्रश्न पर ऐसी पीठ का विनिश्चय प्रकरण की सुनवाई करने वाली पीठ को वापस भेज दिया जायेगा और वह पीठ ऐसे प्रश्न पर दिये गये उस विनिश्चय का अनुसरण करेगी और प्रकरण में उद्भूत होने वाले अवशेष प्रश्नों, यदि कोई हों, का विनिश्चय करने के पश्चात उसका निस्तारण करेगी।

(3) यहां पर इसके बाद उपबन्धित के सिवाय, सभी अपीलों और पुनरीक्षण अथवा पुनर्विलोकन के प्रार्थना–पत्रों का विनिश्चय, एकल रूप से बैठने वाले सदस्य द्वारा उसे आबंटित किये गये कार्य के अनुसार, किया जायेगा।

सदस्यों एवं राजस्व अधिकारियों को न्यायिक सुविधायें (धारा 9)

11. राज्य, समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों द्वारा, उन सदस्यों एवं राजस्व अधिकारियों, जिन्हें केवल न्यायिक कार्य आबंटित किया गया है, को वेतन के दस प्रतिशत से अनधिक का न्यायिक भत्ता एवं भिन्न–भिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत अन्य सुविधायें जैसे वाहन की सुविधायें/वाहन व्ययों की प्रतिपूर्ति, पुस्तकालय व्ययों, टेलीफोन/मोबाइल के व्ययों और इस प्रकार के अन्य व्ययों की सुविधायें प्रदान करेगी।

पीठ गठित करने के लिए सन्दर्भ (धारा 9)

12. यदि किसी कार्यवाही में विधि अथवा प्रथा अथवा प्रक्रिया का कोई जटिल प्रश्न निहित होता है तो एकल पीठासीन सदस्य संस्तुति सहित मामले को वृहद् पीठ के समक्ष रखे जाने के लिये अध्यक्ष को सन्दर्भित कर सकता है।

पुनर्विलोकन याचिका का निस्तारण (धारा 211)

13. किसी आदेश के पुनर्विलोकन के प्रार्थना–पत्र का निस्तारण उस सदस्य अथवा उस पीठ द्वारा किया जाएगा जिसने पुनर्विलोकन किये जाने वाले आदेश को पारित किया था। जहां वह सदस्य अथवा वह पीठ उपलब्ध नहीं है, प्रार्थना–पत्र का निस्तारण अध्यक्ष द्वारा नामित सदस्य अथवा गठित पीठ द्वारा किया जाएगा।

परिषद नियम संग्रह (धारा 234)

14. परिषद, समय–समय पर, अपने कार्यालयों के आन्तरिक कार्यों को विनियमित करने के लिए निर्देश जारी कर सकती है और उन्हें परिषद नियम संग्रह के रूप में संकलित किया जा सकता है।

शास्ति का अधिरोपण [धारा 18(2)]

15. कलेक्टर, संहिता की धारा 18 की उपधारा (2) के अन्तर्गत शास्ति अधिरोपित करने से पहले, सम्बन्धित व्यक्ति अथवा राजस्व अधिकारी पर **आर0सी0 प्रपत्र–2** में कारण बताओ नोटिस तामील करायेगा और उसे सुनवायी का युक्तियुक्त अवसर देगा।

अध्याय–चार

सीमायें एवं सीमाचिन्ह

सीमाओं के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत और राज्य के कर्तव्य (धारा 20)

16. (1) राज्य सरकार भू–मण्डलीय स्थिति प्रणाली (जी0पी0एस0) अथवा किसी अन्य उपलब्ध विकसित आधुनिक तकनीक के अनुसार प्रत्येक ग्राम के मानचित्र का अंकीकरण, सीमा का स्थिरीकरण और खम्भों एवं अन्य मानकों को स्थापित कराने का प्रयास करेगी।

(2) राज्य सरकार अन्तर्जनपदीय सीमाओं और अन्तःजनपदीय सीमाओं को निर्धारित करने वाली नदियों की मध्य धारा के स्थान पर नियत सीमा के सिद्धान्त को अपनाने का प्रयास करेगी।

(3) बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों के बीच अन्तर्जनपदीय सीमा का निर्धारण करने वाली नदियों की मध्य धारा के स्थान पर नियत सीमा के प्रावधान बिहार और उत्तर प्रदेश (सीमाओं का परिवर्तन) अधिनियम, 1968 में समाविष्ट हैं। इसी प्रकार हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों के बीच नियत सीमा के प्रावधान हरियाणा और उत्तर प्रदेश (सीमाओं का परिवर्तन) अधिनियम, 1979 में समाविष्ट हैं।

(4) नियत सीमा और नदियों की मध्य धारा के सिद्धान्त के सम्बन्ध में प्रावधान उत्तर प्रदेश राजस्व मैनुअल के अध्याय पच्चीस में समाविष्ट हैं और किसी नदी के दरियाबरार अथवा दरियाबुर्द द्वारा प्राप्त भूमियों पर दावों में मान्य नियमों के सम्बन्ध में विधि विनियम–11 सन् 1825 में समाविष्ट हैं।

(5) प्रत्येक ग्राम पंचायत अपनी अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों की सीमा–चिन्हों को निर्धारित करने, नियत करने, अनुरक्षित करने तथा मरम्मत करने के लिये उत्तरदायी होगी।

(6) धारा 20 में उल्लिखित सीमा–चिन्हों की प्रकृति एवं विनिर्देश उसी प्रकार होंगे जैसा कि धारा 234 के अन्तर्गत परिषद द्वारा विनिर्दिष्ट किया जायेगा।

सीमाओं के सम्बन्ध में खातेदारों का कर्तव्य (धारा 21)

17. (1) प्रत्येक खातेदार अपने प्रत्येक भूखण्ड या खसरा संख्या से सम्बन्धित सीमा–चिन्हों को निर्धारित, नियत, अनुरक्षित और उनकी मरम्मत करेगा।

(2) यदि किसी खातेदार की जोत में एक से अधिक खसरा संख्या अथवा भूखण्ड सम्मिलित हैं और यदि खातेदार उपनियम (1) के अनुसार अपनी जोत की बाह्य सीमाओं का चिन्हांकन करता है तो

इसे इस अध्याय में दिये गये प्रावधानों का पर्याप्त अनुपालन समझा जायेगा।

पार्श्वस्थ जोतों की सीमायें (धारा 21)

18. उन मामलों में जहां दो अथवा दो से अधिक जोतें सटी हुई हैं, वहां ऐसी जोतों के खातेदार संयुक्त रूप से और पृथक–पृथक रूप से अपनी–अपनी जोतों के सीमा चिन्हों को निर्धारित, नियत, अनुरक्षित और उनकी मरम्मत करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

नायब तहसीलदार की संस्तुति (धारा 22)

19. (1) धारा 22(2) के अन्तर्गत नायब तहसीलदार की प्रत्येक संस्तुति में अन्य विवरण के साथ सीमा–चिन्हों के उन नम्बरों का उल्लेख होगा जिनका निर्माण करने, पुनर्स्थापन करने, मरम्मत करने अथवा प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है। नायब तहसीलदार की संस्तुति में ऐसे सीमा–चिन्हों के निर्माण करने, पुनर्स्थापित करने, मरम्मत करने एवं प्रतिस्थापित करने में अनुमानित व्यय का उल्लेख होगा।

(2) यदि किसी सीमा–चिन्ह के ध्वस्त होने, हटाये जाने अथवा क्षतिग्रस्त होने के सम्बन्ध में तथ्य उपजिलाधिकारी के संज्ञान में अन्य प्रकार से आते हैं, तब वह नायब तहसीलदार से उपनियम (1) के अनुसार अनुमानित व्यय प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा।

ग्राम पंचायत अथवा खातेदार को नोटिस [धारा 23 (1)]

20. नियम 19 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार की संस्तुति प्राप्त होने के पश्चात उपजिलाधिकारी संबन्धित ग्राम पंचायत अथवा खातेदार को नोटिस में उल्लिखित सीमा–चिन्हों को खड़ा करने, पुनर्स्थापित करने, मरम्मत करने अथवा प्रतिस्थापित करने के सम्बन्ध में नोटिस जारी करेगा। इस नोटिस में ऐसी धनराशि को विनिर्दिष्ट किया जायेगा जो ग्राम पंचायत या खातेदार से धारा 23(2) में नोटिस का अनुपालन न होने की दशा में वसूल किया जायेगा।

नोटिस का अनुपालन न होने के परिणाम [धारा 23(2)]

21. यदि ग्राम पंचायत अथवा खातेदार, जैसा भी हो, नियम 20 में सन्दर्भित नोटिस में उल्लिखित समय सीमा के अन्तर्गत नोटिस का अनुपालन करने में असफल रहता है, तो उपजिलाधिकारी ऐसे सीमा चिन्हों को खड़ा करने, पुनर्स्थापित करने, मरम्मत करने अथवा प्रतिस्थापित करने की कार्यवाही करेगा तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत अथवा खातेदार से भू–राजस्व के बकाये की भांति वास्तविक रूप से हुए व्यय को वसूलने की कार्यवाही करेगा।

सीमा विवादों का निपटारा

22. (1) संहिता की धारा 24(1) के अन्तर्गत सीमा विवादों के निपटारे के सम्बन्ध में प्रत्येक प्रार्थना–पत्र उपजिलाधिकारी को दिया जायेगा और

(धारा 24)

उसमें निम्नलिखित विवरण अंकित होंगे–

(क) पक्षकारों का नाम, पिता का नाम व पता ;

(ख) अवस्थिति के साथ भूखण्ड संख्या, क्षेत्रफल तथा भूमि की सीमाएं;

(ग) विवाद का संक्षिप्त विवरण ;

प्रार्थना पत्र के साथ नक्शे, खसरा व खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिपि (जिसके आधार पर सीमांकन किया जाना है) का होना आवश्यक है।

(2) संहिता की धारा 24(1) के अन्तर्गत सीमाओं के निर्धारण का कोई प्रार्थना पत्र तब तक ग्रहण नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके साथ मानचित्र, खसरा और अधिकार अभिलेख (खतौनी) जिसके आधार पर सीमांकन की मांग की गयी है को संलग्न नहीं किया गया हो और प्रार्थी की प्रति सर्वे संख्या के लिये रू0 1000/– की दर से आगणित अपेक्षित रकम सीमांकन के शुल्क के रूप में प्रार्थी द्वारा अदा नहीं कर दी गयी हो।

(3) यदि प्रार्थना पत्र दो या दो से अधिक संलग्न भूखण्डों के सीमांकन के लिये है, तो सीमांकन शुल्क का एक ही सेट देय होगा लेकिन जहां पर सीमांकन की मांग किये जाने वाले सर्वे भूखण्ड संलग्न नहीं हैं वहां पर अलग–अलग सीमांकन शुल्क देय होगा।

(4) प्रार्थना पत्र के प्राप्त होने परे सम्बन्धित कर्मचारी प्रार्थना पत्र में यह जांच करेगा कि क्या अपेक्षाओं को पूर्ण किया गया है अथवा नहीं। यदि कोई औपचारिक प्रकृति की कमी है तो प्रार्थी अथवा उसके अधिवक्ता को तुरन्त उस कमी को दूर करने की इजाजत दी जायेगी लेकिन जहां पर प्रार्थना पत्र की अपेक्षायें पूर्ण नहीं की गयी है, वहां पर अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिये मांगा गया अवसर दिया जायेगा।

(5) जैसे ही अपेक्षायें पूर्ण कर दी जाती हैं सम्बन्धित कर्मचारी प्रार्थना पत्र को सम्बन्धित रजिस्टर में दर्ज करेगा और उसे समुचित आदेश के लिये उपजिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(6) उपजिलाधिकारी उसी दिन या अगले कार्य दिवस पर आदेश पारित करेगा और राजस्व निरीक्षक अथवा अन्य राजस्व अधिकारी को यह निदेश देगा कि तिथि नियत करने के बाद और सभी सम्बन्धित खातेदारों पर उसके सम्बन्ध में नोटिस तामील करने के बाद भूखण्ड या भूखण्डों, जैसी भी स्थिति हो, का सीमांकन करेगा। यह कार्य उपजिलाधिकारी द्वारा पारित किये गये आदेश के दिनांक से एक माह

की अवधि के अन्दर पूर्ण किया जायेगा।

(7) इस नियम के उपनियम (6) के अन्तर्गत नोटिस सम्बन्धित खातेदार पर और उसकी अनुपस्थिति में उसके वयस्क पारिवारिक सदस्य पर तामील की जायेगी। वह नोटिस भूमि प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष पर भी तामील की जायेगी।

(8) भूखण्ड का सीमांकन करते समय राजस्व निरीक्षक या अन्य राजस्व अधिकारी द्वारा स्थल ज्ञाप तैयार किया जायेगा और उस पर सभी सम्बन्धित पक्षकारों एवं भूमि प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष अथवा सीमांकन के समय उपस्थित किन्हीं दो स्वतंत्र साक्षियों द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा। यदि कोई पक्ष स्थल ज्ञाप पर हस्ताक्षर करने से इनकार करता है तो राजस्व निरीक्षक द्वारा उक्त आशय का पृष्ठांकन किया जायेगा।

(9) राजस्व निरीक्षक अथवा अन्य राजस्व अधिकारी सीमांकन के दिनांक से पन्द्रह दिनों की अवधि के अन्दर स्थल ज्ञाप सहित अपनी सीमांकन आख्या प्रेषित करेगा। आख्या में प्रत्येक प्रभावित पक्षकार का नाम और पता दिया जायेगा।

(10) उपनियम (9) के अन्तर्गत आख्या प्राप्त होने पर एक सप्ताह के अन्दर आख्या पर आक्षेप आमंत्रित करते हुये सभी प्रभावित पक्षों को नोटिसें जारी की जायेंगी और तिथि नियत की जायेगी जो कि नोटिस जारी करने के दिनांक से पन्द्रह दिन के बाद की नहीं होगी।

(11) नियत दिनांक पर अथवा उस दिनांक पर जिसके लिये सुनवाई स्थगित की गयी हो, उपजिलाधिकारी संहिता की धारा 24 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसार सीमाओं के सम्बन्ध में विवाद को तय करेगा और आख्या के विरूद्ध दाखिल की गयी आपत्तियों, यदि कोई हों, एवं आख्या पर विचार करने तथा सम्बन्धित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद समुचित आदेश पारित करेगा।

(12) यदि उपजिलाधिकारी द्वारा आख्या की पुष्टि कर दी जाती है तो एक सप्ताह की अवधि के अन्दर तद्नुसार सीमा स्तम्भ नियत किये जायेंगे और उसके सम्बन्ध में आख्या प्रेषित की जायेगी जो कि अभिलेख का भाग होगी।

(13) जहां पर भूखण्ड/सर्वे संख्याओं की सीमायें दरियाबुर्द अथवा दरियाबरार अथवा भारी वर्षा या किन्हीं अन्य कारणों से शिनाख्त योग्य

नहीं है अथवा क्षतिग्रस्त हो गयी है, वहां पर उपजिलाधिकारी उस ग्राम के ग्राम राजस्व समिति के अध्यक्ष के आवेदन पर अथवा राजस्व निरीक्षक या हलके के लेखपाल की आख्या पर अथवा सभी सम्बन्धित खातेदारों द्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त प्रार्थना पत्र पर, लिखित रूप से सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा राजस्व निरीक्षक अथवा सम्बन्धित लेखपाल को निर्देशित करेगा कि वह वर्तमान सर्वे मानचित्र के आधार पर अथवा जहां पर यह सम्भव न हो, वहां पर कब्जे के आधार पर स्थल पर सीमाओं को चिन्हित करे और यदि कोई शिकायत है तो राजस्व ग्राम समिति के परामर्श से सुलह के आधार पर उसका समाधान करे। राजस्व निरीक्षक या लेखपाल ऐसे आदेश का पालन, आदेश के दिनांक से दो सप्ताह के अन्दर करेगा और उसकी आख्या उपजिलाधिकारी को प्रेषित करेगा।

(14) यदि कोई पक्षकार इस नियम के उपनियम (13) के अन्तर्गत सीमांकन से क्षुब्ध है तो वह संहिता की धारा 24 की उपधारा (1) के अन्तर्गत सीमाओं के निर्धारिण के लिये प्रार्थना पत्र दे सकता है और उपनियम (13) के अन्तर्गत सीमांकन संहिता की धारा 24 की उपधारा (1) के अन्तर्गत सीमांकन के अधीन होगा।

(15) उपजिलाधिकारी संहिता की धारा 24 के अन्तर्गत अथवा इस नियम के उपनियम (13) के अन्तर्गत सीमांकन के लिये आदेश पारित करते समय सम्बन्धित थाने के थानाध्यक्ष को निर्देशित कर सकता है कि वह सीमांकन के समय स्थल पर कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस बल उपलब्ध कराये।

(16) उपजिलाधिकारी धारा 24(3) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट समय के अन्दर कार्यवाही को समाप्त करने का प्रयास करेगा और यदि कार्यवाही ऐसी अवधि के अन्दर समाप्त नहीं होती है तो उसके लिये कारण अभिलिखित किया जायेगा।

अवरोध हटाने के लिये खर्चे की वसूली (धारा 25 और 26)

23. संहिता की धारा 25 अथवा धारा 26 के अन्तर्गत अवरोधों को हटाने के खर्च की वसूली भू–राजस्व के बकाये की भांति की जा सकती है।

अध्याय–पांच

ग्रामों के अभिलेखों का अनुरक्षण

ग्रामों की सूची (धारा 29(1) एवं धारा 29(2)

24. (1) कलेक्टर अपने जिले में ग्रामों की सूची की पंजी **आर0सी0 प्रपत्र–3** में अनुरक्षित करेगा, जिसमें निम्नलिखित सूचनाएं दर्शित की जायेंगी–

(क) धारा 29(1) के खण्ड (क) व (ख) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रफल;

(ख) राजस्व संहिता के अध्याय–ग्यारह के अन्तर्गत विहित क्षेत्रफल जिसके सापेक्ष भू–राजस्व को स्थगित किया गया हो अथवा कमी की गयी हो;

(ग) अन्य विवरण जिसको परिषद समय–समय पर द्वारा निर्दिष्ट करे।

(2) जब तक परिषद द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाय, ऐसी पंजी का प्रत्येक पाँच वर्ष में पुनरीक्षण किया जायेगा।

नक्शा व क्षेत्रिक पंजी (खसरा) [धारा 30(1)]

25. कलेक्टर, प्रत्येक ग्राम के लिए एक क्षेत्रिक पंजी (खसरा) **आर0सी0 प्रपत्र–4** में तैयार तथा अनुरक्षित करायेगा तथा (खसरा संख्या या भू–खण्ड संख्या की सीमाओं को दर्शाने वाला) एक मानचित्र जिसमें धारा 30 के अन्तर्गत हुए संशोधनों का अंकन हो, रखेगा।

मिनजुमला गाटों के विभाजन की स्कीम धारा 30(2)

26. (1) परिषद, सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा कलेक्टर को यह निदेश देगा कि मिनजुमला गाटों का भौतिक रूप से विभाजन किया जायेगा और राजस्व अभिलेख तद्नुसार संशोधित किये जायेंगे।

(2) इस नियम के उपनियम (1) के अन्तर्गत आदेश होने पर कलेक्टर प्रत्येक गांव के लिये मिनजुमला भूखण्डों की एक विभाजन स्कीम तैयार करायेगा।

(3) मिनजुमला गाटों की विभाजन स्कीम तैयार कराने के प्रयोजनार्थ मिनजुमला गाटों की प्रारम्भिक विभाजन स्कीम लेखपाल द्वारा **आर0सी0 प्रपत्र–5** में तैयार की जायेगी।

(4) मिनजुमला गाटों की प्रारम्भिक विभाजन स्कीम लेखपाल द्वारा सम्बन्धित खातेदारों एवं भूमि प्रबन्धक समिति के परामर्श से तैयार की जायेगी।

(5) मिनजुमला गाटों की प्रारम्भिक विभाजन स्कीम तैयार करने में निम्नलिखित सिद्धान्तों को अपनाया जायेगा :–

(क) प्रत्येक खातेदार को आबंटित भाग यथासम्भव संहत होगा।

(ख) यथासम्भव किसी भी खातेदार को सभी निम्न श्रेणी की अथवा सभी उच्च श्रेणी की भूमि आबंटित नहीं की जायेगी।

(ग) यदि मिनजुमला गाटे के खातेदार आपसी विभाजन के आधार पर मौके पर अलग–अलग कब्जे में हैं तो उसे, यथासम्भव, अलग–अलग कब्जे के अनुसार आबंटित किया जायेगा।

(घ) प्रत्येक खातेदार को, यथासम्भव, उस स्थान पर क्षेत्रफल आबंटित किया जायेगा जहां पर उसके सिंचाई का वैयक्तिक श्रोत अथवा कोई अन्य सुधार स्थित हो।

(ङ) यदि भूखण्ड या उसका कोई भाग वाणिज्यिक मूल्य का है अथवा सड़क, आबादी या वाणिज्यिक मूल्य की अन्य भूमि से लगा हुआ है तो यथासम्भव उसे ऐसी सड़क, आबादी या वाणिज्यिक मूल्य की अन्य भूमि से लगा हुआ आनुपातिक रूप से प्रत्येक खातेदार को आबंटित किया जायेगा।

(6) लेखपाल एक मानचित्र तैयार करेगा और उसे अभिलेख पर रखेगा जिसमें प्रत्येक खातेदार को दिये गये क्षेत्रफल को भिन्न–भिन्न रंगों में दर्शाया जायेगा।

(7) मिनजुमला गाटों की प्रारम्भिक विभाजन स्कीम तैयार होने के बाद खातेदार पर **आर0सी0 प्रपत्र–6** में नोटिस के तामीला के दिनांक से पन्द्रह दिनों की अवधि के अन्दर आपत्ति, यदि कोई हो, आमंत्रित करते हुये मिनजुमला गाटे के प्रत्येक खातेदार को नोटिस निर्गत की जायेगी।

(8) उपनियम (7) के अन्तर्गत जारी की गयी नोटिस के अनुसरण में अथवा अन्य प्रकार से आपत्ति प्राप्त करने के बाद, राजस्व निरीक्षक ग्राम राजस्व समिति के परामर्श से पक्षों के बीच सुलह के आधार पर आपत्तियों का निस्तारण करेगा।

(9) सुलह के आधार पर राजस्व निरीक्षक द्वारा तय न की जाने वाली सभी आपत्तियां प्रारम्भिक विभाजन स्कीम के साथ उपजिलाधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को अग्रसारित कर दी जायेंगी।

(10) कलेक्टर सम्बन्धित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद आपत्ति, यदि कोई हो, को तय करेगा और उसके बाद या तो मिनजुमला गाटों की प्रारम्भिक विभाजन स्कीम की पुष्टि करेगा या ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा व उचित समझे।

(11) मानचित्र, खसरा और खतौनी को मिनजुमला गाटों की पुष्टिकृत विभाजन स्कीम के अनुसार संशोधित किया जायेगा।

(12) इस नियम के अन्तर्गत पारित कोई आदेश, संहिता की धारा 210 के अन्तर्गत पुनरीक्षण के अधीन, अन्तिम होगा।

अधिकार अभिलेख (खतौनी) [धारा 31(1)]

27. (1) कलेक्टर प्रत्येक ग्राम के लिए एक अधिकार अभिलेख (खतौनी) **आर0सी0 प्रपत्र–7** में तैयार व अनुरक्षित करायेगा जिसमें होगा–

(क) उक्त धारा के उपबन्ध (क) से (घ) में विहित विवरण;

(ख) धारा 83 में सन्दर्भित घोषणा व निरसन का विवरण;

(ग) ऐसा अन्य विवरण जैसा कि परिषद द्वारा समय–समय पर निर्देशित किया जाये।

(2) संहिता और तदन्तर्गत बनी नियमावली के प्रावधानों के अधीन, उत्तर प्रदेश अधिकार अभिलेख (कम्प्यूटरीकरण) नियमावली, 2005, समय–समय पर यथासंशोधित, संहिता और तद्न्तर्गत बनी नियमावली के अन्तर्गत अनुरक्षित किये जाने वाले अधिकार अभिलेख पर लागू होंगे।

अंश का निर्धारण [धारा 31(2)]

28. (1) परिषद सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा कलेक्टर को यह निदेश देगा कि खतौनी के खातों में प्रत्येक सह–खातेदार का अंश निर्धारित किया जायेगा और तद्नुसार राजस्व अभिलेखों को संशोधित किया जायेगा।

(2) इस नियम के उपनियम (1) के अन्तर्गत आदेश होने पर कलेक्टर इस नियम में इसके बाद दी गयी रीति से सह–खातेदारों के हिस्से का निर्धारण करवायेगा।

(3) लेखपाल सम्बन्धित सह–खातेदारों और ग्राम राजस्व समिति के परामर्श से प्रत्येक सह–खातेदार का हिस्सा प्रारम्भिक रूप से निर्धारित करेगा।

(4) हिस्से के निर्धारण में, निम्नलिखित सिद्धान्तों को अपनाया जायेगाः–

(क) यदि जोत पैतृक है तो प्रत्येक सह–खातेदार का हिस्सा इस संहिता में विहित उत्तराधिकार की विधि के अनुसार वंशवृक्ष के अनुरूप अथवा पारिवारिक बन्दोबस्त, यदि कोई हो, के आधार पर निर्धारित किया जायेगा;

(ख) यदि सह–खातेदारों के नाम अर्जन अथवा वसीयत के आधार पर

अभिलिखित हैं तो हिस्से का निर्धारण सम्बन्धित विलेख में समाविष्ट विषयवस्तु के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।

(ग) यदि किसी सक्षम न्यायालय द्वारा हिस्सा तय किया गया है तो उसे तद्नुसार दर्ज किया जायेगा।

(5) हिस्से के प्रारम्भिक निर्धारण के बाद प्रत्येक सह–खातेदार को **आर0सी0 प्रपत्र–8** में नोटिस जारी की जायेगी जिसमें प्रत्येक सह–खातेदार का अलग–अलग हिस्सा इंगित होगा और नोटिस के तामीला के दिनांक से पन्द्रह दिनों की अवधि के अन्दर आपत्ति आमंत्रित की जायेगी।

(6) उपरोक्त पन्द्रह दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद, राजस्व निरीक्षक, राजस्व ग्राम समिति की सहायता से पक्ष के बीच सुलह के आधार पर आपत्तियां, यदि कोई हों, तय करेगा।

(7) वे सभी आक्षेप जिन्हें सुलह के आधार पर तय नहीं किया गया है, उपजिलाधिकारी को अग्रसारित कर दी जायेंगी और वह सम्बन्धित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद उसका विनिश्चय करेगा।

(8) राजस्व निरीक्षक अथवा उपजिलाधिकारी द्वारा पारित आदेश को क्रियान्वित किया जायेगा और प्रत्येक सह–खातेदार का हिस्सा तद्नुसार खतौनी में दर्ज किया जायेगा।

(9) इस नियम के अन्तर्गत पारित आदेश से क्षुब्ध कोई पक्षकार सक्षम न्यायालय में अपने हिस्से की घोषणा के लिये वाद दाखिल कर सकेगा।

उत्तराधिकार के सम्बन्ध में रिपोर्ट
[धारा 33(1)]

29. (1) धारा 33(1) के अन्तर्गत उत्तराधिकार द्वारा किसी भूमि पर कब्जा प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से प्रत्येक रिपोर्ट **आर0सी0 प्रपत्र–9** में यथासम्भव शीघ्र प्रस्तुत की जायेगी।

(2) वसीयत अथवा निर्वसीयती उत्तराधिकार के आधार पर नामांतरण के प्रार्थना पत्र/रिपोर्ट में मृतक को प्रतिपक्षी के रूप में पक्षकार नहीं बनाया जायेगा। वसीयत के आधार पर रिपोर्ट के प्रकरण में, धारा 108 के खण्ड (क) अथवा धारा 110, जैसी भी स्थिति हो, के वारिस को और यदि उपरोक्त खण्ड का कोई वारिस न हो और निर्वसीयती उत्तराधिकार के प्रकरण में धारा 108 के अनुवर्ती खण्ड अथवा धारा 110, जैसी भी स्थिति हो, के वारिस को प्रतिपक्षी के रूप में पक्षकार

बनाया जायेगा।

(3) प्रत्येक ग्राम के लिए पृथक रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी और यदि भूमि एक से अधिक तहसील क्षेत्र के अन्तर्गत हो, तो कलेक्टर विनिश्चय करेगा कि कार्यवाहियां किस तहसील के अन्तर्गत की जायेंगी।

(4) उपरोक्त रिपोर्ट लेखपाल के माध्यम से राजस्व निरीक्षक को प्रेषित की जा सकेगी। लेखपाल उसके लिये तत्काल एक रसीद जारी करेगा। ऐसी रिपोर्ट के लिये कोई स्टाम्प शुल्क देय नहीं होगा।

(5) यदि उत्तराधिकार द्वारा कब्जा प्राप्त करने वाला व्यक्ति अवयस्क है, तब ऐसी रिपोर्ट उसके संरक्षक अथवा वादमित्र द्वारा प्रस्तुत की जा सकेगी।

(6) यदि उत्तराधिकार द्वारा एक से अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप से किसी भूमि पर कब्जा प्राप्त करते हैं तब उनमें से किसी भी एक के द्वारा दी गयी रिपोर्ट को धारा 33(1) के प्रावधानों को पूरा करने के निमित्त पर्याप्त माना जायेगा।

भूमिधर अथवा ग्राम पंचायत के असामी द्वारा रिपोर्ट

[धारा 33(3)]

30. (1) भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा धारा 33(4) में सन्दर्भित प्रत्येक असंक्रमणीय अधिकार प्राप्त भूमिधर अथवा असामी **आर0सी0 प्रपत्र–10** में सूचना देगा।

(2) पूर्वोक्त रिपोर्ट राजस्व निरीक्षक को व्यक्तिगत रूप से लेखपाल के माध्यम से दी जा सकेगी अथवा पंजीकृत डाक से प्रेषित की जा सकेगी। यदि रिपोर्ट व्यक्तिगत रूप से प्रेषित की जाती है तो प्रार्थी उसके लिये रसीद का हकदार होगा। ऐसी रिपोर्ट के मामलों में किसी तरह का स्टाम्प शुल्क देय नहीं होगा।

राजस्व निरीक्षक द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया

(धारा 33)

31. (1) नियम 29 या नियम 30 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त होने पर अथवा अन्य श्रोतों से ज्ञात होने पर, राजस्व निरीक्षक यथा शीघ्र सम्बन्धित ग्राम का दौरा करेगा तथा ग्राम राजस्व समिति के सदस्यों, लेखपाल, ग्राम के सामान्य निवासियों अथवा अन्य हितबद्ध व्यक्तियों या इस उद्देश्य के लिए एकत्रित व्यक्तियों से आवश्यक स्थानीय जांच करेगा।

(2) राजस्व निरीक्षक के ग्राम में भ्रमण को तिथि व समय के सम्बन्ध में अग्रिम रूप से डुग्गी पीटकर अथवा अन्य प्रकार से, जैसा कि उचित हो, सूचित किया जायेगा।

(3) स्थलीय जांच और सूचना की विषय वस्तु का सत्यापन करने के उपरान्त यदि राजस्व निरीक्षक इससे सन्तुष्ट है कि उत्तराधिकार या भूमि पर प्रवेश के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है तथा उत्तराधिकार एवं भूमि में प्रवेश इस संहिता के प्राविधानों के अनुरूप है, तब वह दाखिल खारिज के लिए आदेश अपने पूर्ण हस्ताक्षर व दिनांक सहित पारित करेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि राजस्व निरीक्षक अन्तिम आदेश पारित करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि धारा 36(2) के प्राविधानों का पालन कर लिया गया है।

(4) राजस्व निरीक्षक यह भी सुनिश्चित करेगा कि यथा संशोधित अधिकार अभिलेख (खतौनी) की प्रमाणित प्रति उस व्यक्ति को उपलब्ध करा दी गयी है जिसके पक्ष में दाखिल खारिज का आदेश पारित किया गया है।

(5) इस नियम के प्राविधान उस स्थिति में लागू नहीं होंगे जहां उत्तराधिकार का दावा किसी वसीयत के आधार पर किया गया हो।

विवादित उत्तराधिकार (धारा 35)

32. नियम 30 के अन्तर्गत जांच के दौरान जब राजस्व निरीक्षक यह पाता है कि जहां उत्तराधिकार अथवा भूमि में प्रवेश के सम्बन्ध में विवाद है अथवा ऐसा दावा किसी वसीयत के आधार पर किया गया है, तब ऐसे किसी विवाद की प्रकृति अथवा ऐसी किसी वसीयत को क्रियान्वित करने से सम्बन्धित तथ्यों को जांच करने के पश्चात् अपनी रिपोर्ट तहसीलदार को प्रस्तुत करेगा।

अन्तरण के सम्बन्ध में रिपोर्ट (धारा 34)

33. (1) धारा 34 में वर्णित अन्तरण द्वारा किसी भूमि पर कब्जा प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से प्रत्येक रिपोर्ट यथा सम्भव शीघ्र **आर0सी0 प्रपत्र–11** में की जायेगी।

(2) नियम 29 के उपनियम (3) लगायत (6) के प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों के साथ इस नियम के अन्तर्गत प्रेषित प्रत्येक रिपोर्ट पर लागू होंगे।

(3) इस नियम के अन्तर्गत सूचना देते समय आवेदक इस आशय का एक शपथ पत्र भी दाखिल करेगा कि सन्दर्भित अन्तरण इस संहिता की धारा 89 के प्राविधानों का उल्लंघन नहीं करता है, लेकिन जहां पर ऐसी घोषणा विलेख में की गयी है, वहां पर इस उपनियम के अन्तर्गत शपथपत्र आवश्यक नहीं होगा।

(4) अन्तरण के आधार पर नामांतरण की रिपोर्ट प्रेषित करने वाला अन्तरिती समय–समय पर जारी शासनादेश द्वारा नियत नामांतरण शुल्क अदा करेगा।

उद्घोषणा का जारी किया जाना।
[धारा 35(1)]

34. (1) भूमि के अन्तरण के निम्न मामलों में, दाखिल खारिज किये जाने के पूर्व तहसीलदार **आर0सी0 प्रपत्र–12** में एक उदघोषणा करेगा :–

(क) धारा 33(2) (ख) के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त होने पर।

(ख) धारा 33(3) के अन्तर्गत आवेदन प्राप्त होने पर जिसके अन्तर्गत वह प्रकरण भी है जहां पर उत्तराधिकार का दावा वसीयत के आधार पर किया गया हो।

(ग) धारा 34 के अन्तर्गत भूमि के अन्तरण की रिपोर्ट प्राप्त होने पर।

(घ) धारा 36(1) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सूचित किये जाने पर।

(ड़) अन्य प्रकार से जहां कि अन्तरण अथवा उत्तराधिकार का तथ्य उसकी जानकारी में आये।

नोट – उद्घोषणा में सुनवाई की निर्धारित तिथि उसके जारी किये जाने के तीस दिनों से कम नहीं होगी।

(2) प्रत्येक उद्घोषणा सम्बन्धित गांव में डुग्गी पिटवाने के साथ उद्घोषित की जायेगी तथा उसकी प्रतियां तहसील तथा भूमि प्रबंधक समिति के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जायेंगी। तहसीलदार उन सभी व्यक्तियों को जो उस दाखिल खारिज में हितबद्ध दिखें तथा सह–खातेदारों को, यदि कोई हो, लिखित नोटिस देगा।

(3) यदि उदघोषणा धारा 34 के अन्तर्गत वर्णित अन्तरण के आधार पर है तो उसकी प्रति अन्तरणकर्त्ता पर भी तामिल की जायेगी।

(4) उद्घोषणा जारी करने के पश्चात् तहसीलदार, दाखिल खारिज कार्य से सम्बन्धित रजिस्ट्रार कानूनगो से, विद्यमान प्रविष्टि की रिपोर्ट भी मांगेगा। रजिस्ट्रार कानूनगो खतौनी और नामांतरण रजिस्टर में विद्यमान प्रविष्टियों और नामांतरण में समाविष्ट अन्य विवरणों जिसके अन्तर्गत अन्तरित हित की प्रकृति व विस्तार तथा जोत के अन्य विवरण सम्मिलित हैं, के आधार पर अपनी आख्या प्रस्तुत करेगा।

(5) उदघोषणा में नियत तिथि के पश्चात् यदि कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होती है और रजिस्ट्रार कानूनगो की आख्या तथा अभिलेख पर

उपलब्ध सामग्री के परिशीलन से तहसीलदार का यह समाधान हो जाता है कि उत्तराधिकार अथवा अन्तरण के सम्बन्ध में दावा संहिता के प्रावधानों के अनुसार है तो वह धारा 36(2) एवं 89(2) के प्रावधानों के अधीन रहते हुये नामांतरण का आदेश पारित करेगा और यह निर्देश देगा कि अधिकार अभिलेख तद्नुसार संशोधित किये जांय।

(6) यदि नामांतरण का प्रकरण विवादित है तो तहसीलदार संक्षिप्त जांच के बाद सम्बन्धित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर विधि के उपबन्धों के अनुसार विवाद का विनिश्चय गुणदोष के आधार पर करेगा।

(7) तहसीलदार नामांतरण के अविवादित प्रकरण को उसके दर्ज किये जाने के दिनांक से पैंतालीस दिनों की अवधि के अन्दर और नामांतरण के विवादित प्रकरण को नब्बे दिनों के अवधि के अन्दर तय करने का प्रयास करेगा और यदि कार्यवाही ऐसी अवधि के अन्तर्गत समाप्त नहीं होती है तो उसके लिये कारण अभिलिखित किया जायेगा।

(8) दाखिल खारिज के सभी मामलों में इस आदेश को पारित करने वाला राजस्व अधिकारी अपने हस्तलेख में संक्षिप्तः यह अभिलिखित करेगा जिसे अधिकार अभिलेख में दर्ज किया जाना है।

रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा सूचना (धारा 36)

35. (1) जहां किसी भूमि जिसके लिए इस संहिता के अन्तर्गत अधिकार अभिलेख (खतौनी) बनाये जाते हैं, से सम्बन्धित दस्तावेज जैसा की धारा 36(1) में उल्लिखित है, रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत की जाती है तो रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी इसकी सूचना उसके रजिस्ट्री के सात दिनों के अन्दर सम्बन्धित तहसीलदार को प्रदान करेगा।

(2) ऐसी सूचना **आर0सी0 प्रपत्र–13** में भेजी जायेगी।

किसी भूल अथवा लोप का सुधार (धारा 38)

36. (1) धारा 38(1) के अन्तर्गत उल्लिखित अधिकार अभिलेख (खतौनी), नक्शा, खसरा में किसी त्रुटि अथवा लोप हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले दुरूस्ती प्रार्थना पत्र में निम्नलिखित तथ्य अन्तर्विष्ट होंगे–

(क) आवेदक का नाम, पितृत्व का नाम तथा पता।

(ख) वह दस्तावेज जिसकी दुरूस्ती आवेदन पत्र में चाही गई है।

(ग) उस भूमि का विस्तृत ब्यौरा जिसके सम्बन्ध में त्रुटि अथवा लोप सम्बन्धित है।

(घ) त्रुटि अथवा लोप की प्रकृति का संक्षिप्त विवरण।

(ड़) इस आवेदन पत्र के साथ सम्बन्धित नक्शा, खसरा अथवा खतौनी की अभिप्रमाणित प्रति लगाई जायेगी जिसके सम्बन्ध में त्रुटि अथवा लोप सम्बन्धित है।

(2) उक्त नियम (1) के अन्तर्गत बताये गये आवेदन पत्र के बिना भी नक्शा, खसरा अथवा अधिकार अभिलेख के दुरूस्ती की कार्यवाही प्रारम्भ की जा सकती है यदि उसमें किसी त्रुटि अथवा लोप की जानकारी तहसीलदार को किसी अन्य प्रकार से भी हो जाती है।

(3) नयी खतौनी के बनाये जाने, पड़ताल, स्थल सत्यापन, मौके पर भ्रमण या निरीक्षण के दौरान लेखपाल, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक अथवा किसी राजस्व अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई त्रुटि अथवा लोप (फर्जी अथवा कूटरचित प्रविष्टि सहित किन्तु ऐसी त्रुटि या लोप जैसा कि धारा 38 के स्पष्टीकरण में दिया गया है, को छोड़कर) नक्शा, खसरा अथवा अधिकार अभिलेख में विद्यमान है, वह इस प्रकरण को सम्बन्धित तहसीलदार को प्रेषित करेगा जो इस नियम के अन्तर्गत इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ करेगा।

(4) इस नियम के तहत त्रुटि अथवा लोप को दुरूस्त किये जाने की कार्यवाही में तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक या लेखपाल से आख्या प्राप्त करेगा तथा सम्बन्धित पक्षों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने तथा संक्षिप्त जांच करने के पश्चात मानचित्र में संशोधन के प्रकरण में कलेक्टर को और अन्य संशोधन के प्रकरण में उपजिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दर्ज किये जाने के दिनांक से तीस दिनों की अवधि के अन्दर अपनी आख्या सहित प्रकरण को प्रेषित करेगा।

(5) तहसीलदार द्वारा उपनियम (4) के अर्न्तगत प्रेषित रिपोर्ट के विरूद्ध, पक्षों को आपत्ति, यदि कोई हो, प्रस्तुत किये जाने की अनुमति कलेक्टर या उपजिलाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, देगा और उसके वाद विवाद को तय करेगा। यदि कलेक्टर या उपजिलाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, इस राय के हैं कि नक्शा, खसरा अथवा अधिकार अभिलेख में कोई त्रुटि अथवा लोप है तो वह इसके दुरूस्ती का आदेश प्रदान करेगा।

(6) धारा 38 के अन्तर्गत दुरूस्ती की कार्यवाही को आख्या सहित आवेदन प्राप्ति के दिनांक से पैंतालीस दिनों की अवधि के अन्दर कार्यवाही को समाप्त करने का प्रयास किया जायेगा और यदि कार्यवाही ऐसी अवधि के अन्दर समाप्त नहीं होती है तो उसके लिये कारण अभिलिखित किया जायेगा।

(7) राजस्व निरीक्षक अधिकार अभिलेख (खतौनी) अथवा खसरा में किसी अविवादित त्रुटि अथवा लोप को भू–अभिलेख मैनुअल में दी गयी रीति से जांच करने के बाद दुरूस्त कर सकेगा।

<u>किसान बही की अर्न्तवस्तु</u>

किसान बही की अन्तर्वस्तु (धारा 41)

37. प्रत्येक किसान बही जैसा कि धारा 41 में उल्लिखित है में निम्नलिखित विवरण होंगे–

(क) खातेदार का नाम; (पितृनाम तथा पता सहित)

(ख) यदि अवयस्क है, तो उसका उम्र तथा अभिभावक का नाम;

(ग) सभी जोतों का विवरण जो उसके द्वारा धारित हों;

(क्षेत्रफल तथा देय भू–राजस्व के साथ)

(घ) क्या खाता धारक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है;

(ङ) क्या भू–राजस्व के भुगतान से मुक्त है?

नोट : खातेदार की फोटो किसान बही पर चस्पा की जायेगी और निर्गत प्राधिकारी द्वारा उसे दिनांक सहित हस्ताक्षरित किया जायेगा। किसान बही पर सम्बन्धित खातेदार के अँगुष्ठ छाप अथवा हस्ताक्षर भी धारित होंगे।

किसान बही का प्रदाय (धारा 41)

38. (1) किसान बही के निर्गमन हेतु कलेक्टर किसी एक अथवा एक से अधिक राजस्व अधिकारियों (जो नायब तहसीलदार स्तर से कम न हो) को प्रत्येक तहसील अथवा ब्लाक हेतु नामित करेंगे।

(2) उपनियम (1) के अन्तर्गत नामित उस राजस्व अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि –

(क) उन व्यक्तियों के लिए किसान बही को तैयार कराये एवं वितरित करे जो उसके अधिकारी हैं।

(ख) धारा 41(5) के अर्न्तगत उल्लिखित कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(3) जिस भी खातेदार को किसान बही उपलब्ध करायी जायेगी उससे इस हेतु 10/– रूपये का शुल्क लिया जायेगा और इसकी रसीद भी

उसे दी जायेगी।

(4) यदि एक से अधिक सह–अंशधारी हैं तो उनमें से किसी एक को किसान बही का दिया जाना पर्याप्त होगा।

(5) यदि किसान बही खो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है या जीर्ण–शीर्ण हो जाती है तो उपनियम (1) में वर्णित राजस्व अधिकारी दूसरी किसान बही 20/– रूपये शुल्क लेकर जारी कर सकता है।

(6) संहिता और तदन्तर्गत बनी नियमावली के प्रावधानों के अधीन, समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश किसान बही (पासबुक) नियमावली, 1998 के प्रावधान, आवश्यक परिवर्तनों के साथ संहिता और तदन्तर्गत बनी नियमावली के अधीन जारी की जाने वाली किसान बही पर लागू होंगे।

प्रशासकीय निर्देश (धारा 41)

39. धारा 41 को प्रभावी रूप से लागू किये जाने हेतु राज्य सरकार समय–समय पर प्रशासकीय निर्देश निर्गत कर सकती है।

अध्याय–छः

ग्राम अभिलेखों का पुनरीक्षण

सर्वे अथवा अभिलेख संक्रियाओं का उद्देश्य (धारा 43)

40. संहिता के अध्याय–छः के अन्तर्गत राज्य सरकार किसी जिले अथवा किसी अन्य स्थानीय क्षेत्र में सर्वे अथवा अभिलेख संक्रिया या दोनों प्रशासनिक दृष्टिकोण से अथवा भूमि सुधार के उपाय के रूप में किये जाने का निर्देश दे सकती है।

उद्घोषणा का जारी किया जाना (धारा 48)

41. (1) जहां कोई स्थानीय क्षेत्र जो सर्वे संक्रिया या अभिलेख संक्रिया या दोनों के अधीन है धारा 48 के अन्तर्गत उल्लिखित उद्घोषणा अभिलेख अधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जायेगी तथा उस क्षेत्र में डुग्गी पिटवाकर भी सूचना प्रसारित की जायेगी।

(2) समीपस्थ गांव में भी सीमा द्योतक चिन्ह बनाये जाने की यदि आवश्यकता है तो उन्हें बनाया जायेगा भले ही वह गांव ऐसे संक्रिया के अधीन नहीं है।

लागत की वसूली (धारा 48)

42. सीमा द्योतक चिन्हों को लगाये जाने की वास्तविक लागत जैसा कि अभिलेख अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाये, धारा 48 के अन्तर्गत ऐसे व्यतिक्रमी ग्राम सभा अथवा भूमिधर से भू–राजस्व के बकाये के रूप में वसूली जायेगी।

अभिलेख अधिकारी को अपील [धारा 49(8)]

43. संहिता की धारा 49 की उपधारा (8) के अर्न्तगत अभिलेख अधिकारी के समक्ष की जाने वाली प्रत्येक अपील के साथ आक्षेपित आदेश की सत्यापित प्रति संलग्न की जायेगी।

जहां कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं वहां प्रक्रिया (धारा 52)

44. जहां कोई गांव अथवा उसका भाग अभिलेख संक्रिया के अर्न्तगत लाया जाता है किन्तु धारा 46 तथा 47 के अर्न्तगत उल्लिखित अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं, वहां अभिलेख अधिकारी प्रकरण को राजस्व परिषद को सन्दर्भित करेगा और उसके द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन करेगा।

सर्वे अथवा अभिलेख संक्रिया हेतु पृथक नियमावली [धारा 234 सपठित धारा 49(1)]

45. धारा 234 के अधीन सर्वे अथवा अभिलेख संक्रिया जिसके अन्तर्गत आबादी स्थल का सर्वे और अभिलेख संक्रिया भी सम्मिलित है, हेतु प्रशासकीय अनुदेश तथा निर्देश से सम्बन्धित विस्तृत विनियमावली राजस्व परिषद द्वारा पृथक से बनायी जायेगी।

अध्याय–सात

भूमि तथा अन्य सम्पत्तियों का स्वामित्व

पौध रोपण हेतु आवेदन [धारा 57(2)]

46. कोई व्यक्ति जो किसी सार्वजनिक सड़क, मार्ग या नहर के किनारे एक या एक से अधिक फलदार वृक्ष (जैसा की नियम 47 में वर्णित है) लगाना चाहता है वह कलेक्टर अथवा नियम 48 में उल्लिखित सक्षम प्राधिकारी के समक्ष **आर0सी0 प्रपत्र–14** में आवेदन कर सकता है।

फलदार वृक्ष का अर्थ (धारा 57)

47. इस अध्याय के प्रयोजन हेतु फलदार वृक्ष से तात्पर्य निम्न में से किसी वृक्ष से है–

क्र0 सं0	सामान्य नाम	वानस्पतिक नाम
1	2	3
1	आम	मैनगीफेरिया इंडिका
2	ऑवला	एमबिलिका आफिसिनाले
3	कटहल	एरोटोकारपस इन्टीग्रिफोलिया
4	लीची	नैफोलियम लीची
5	इमली	टमारिनडस इंडिका
6	जामुन	सिगिजियम क्यूमिन्नी
7	महुआ	मैधुका लैटिफोलिआ
8	बेल	
9	कैथा	
10	अमरूद	

सक्षम प्राधिकारी की परिभाषा (धारा 57)

48. इस अध्याय में उल्लिखित सक्षम प्राधिकारी का तात्पर्य उस प्रभागीय वनाधिकारी (वन), अधिशासी अभियन्ता (लोक निर्माण विभाग), अधिशासी अभियन्ता (सिंचाई), अथवा तहसीलदार (राजस्व) से है, जिसके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत प्रस्तावित वृक्षारोपण की भूमि अवस्थित हो।

आवेदन का निस्तारण (धारा 57)

49. कलेक्टर अथवा सक्षम प्राधिकारी इच्छुक अभ्यर्थियों के आवेदनों की प्रस्तावित वृक्षारोपण की उपयुक्तता व वास्तविकता के सम्बन्ध में जांच करेगा और तत्पश्चात वह आवेदन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करेगा।

अनुज्ञा का दिया जाना (धारा 57)

50. यदि आवेदन स्वीकार किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी निम्नलिखित विवरणों का उल्लेख करते हुये लिखित अनुज्ञा जारी

करेगा –

(क) आवेदक का नाम, पितृनाम और पता;

(ख) प्रस्तावित वृक्षारोपण किए जाने वाले वृक्षों की संख्या व उनकी किस्म;

(ग) प्रमित क्षेत्रफल और अवस्थिति जिसके लिये अनुज्ञा दी गयी है ;

(घ) वह अवधि जिसके अन्दर वृक्षारोपण कर लिया जायेगा;

अनुज्ञा का वापस लिया जाना
(धारा 57)

51. नियम 50(घ) में उल्लिखित अवधि के एक माह के अन्दर अनुज्ञापी लिखित रूप में अनुज्ञा देने वाले अधिकारी को सूचित करेगा, कि वृक्षारोपण पूरी तरह कर लिया गया है। यदि ऐसी लिखित सूचना आदेश में विनिर्दिष्ट समय के अन्दर नहीं दी जाती है तो सक्षम प्राधिकारी पन्द्रह दिनों के अन्दर प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद अग्रेतर समय देने या अनुज्ञा वापस लेने वाला समुचित आदेश पारित कर सकेगा।

विवादों का निस्तारण
(धारा 58)

52. (1) यदि धारा 58(1) में उल्लिखित किसी सम्पत्ति के बारे में कोई विवाद है, तो सम्बन्धित व्यक्ति निम्नलिखित विवरण को उल्लिखित करते हुये कलेक्टर को विवाद निस्तारण के लिये आवेदन देगा–

(क) आवेदक का नाम, पितृ नाम व पूरा पता;
(ख) सम्पत्ति का विवरण;
(ग) विवाद की प्रकृति;
(घ) उस व्यक्ति का नाम व पता जो विवाद कर रहा है;

(2) कलेक्टर विपक्षी को आपत्ति, यदि कोई हो, दाखिल करने को बुलायेगा और सरसरी जांच करते हुये विवाद का निस्तारण करेगा।

(3) कलेक्टर अपने अधीनस्थ अन्य अधिकारी को ऐसे किसी विवाद का निस्तारण हेतु प्रार्थना पत्र अंतरित भी कर सकेगा।

(4) इस नियम की कोई बात कलेक्टर या उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट अधिकारी अथवा धारा 18(2) के अन्तर्गत निगरानी न्यायालय द्वारा पारित आदेश से क्षुब्ध किसी व्यक्ति को सक्षम न्यायालय के समक्ष वाद के माध्यम से अपने अधिकार को साबित करने से वंचित नहीं करेगी।

(5) यदि इस अध्याय के अन्दर अनुज्ञा के लिये कई आवेदक है तो कृषि प्रयोजन के लिये आबंटन की अधिमानता लागू होगी। तथापि, यदि आवेदक का लगा हुआ घर या खेत है तो ऐसे आवेदक को प्रथम अधिमानता दी जायेगी।

अध्याय–आठ

ग्राम पंचायत अथवा अन्य स्थानीय प्राधिकारियों में निहित सम्पत्ति का प्रबन्धन

स्पष्टीकरण
(धारा 233)

53. इस अध्याय के उददे्श्य के लिए –

(क) ''अध्यक्ष'' का अर्थ समिति के अध्यक्ष से है ;

(ख) ''समिति'' का अर्थ भूमि प्रबन्धक समिति से है।

आदेश के प्रकाशित किये जाने का तरीका [धारा 59(1) और धारा 59(4)]

54. सामान्य अथवा विशेष आदेश जैसा कि धारा 59(1) और 59(4) में निर्दिष्ट सामान्य अथवा विशेष आदेश गजट में और उस क्षेत्र में प्रचलित दो समाचार पत्रों, जिनमें से एक हिन्दी में होगा, में प्रकाशित किया जायेगा।

राज्य सरकार द्वारा भूमि का पुनर्ग्रहण किया जाना
(धारा 59)

55. (1) जहां पर कोई भूमि अथवा कोई अन्य वस्तु किसी ग्राम पंचायत अथवा अन्य स्थानीय प्राधिकारी में निहित है अथवा निहित मानी जाती है और राज्य सरकार को ऐसी भूमि या अन्य वस्तु की धारा 59(4)(ग) के अन्तर्गत पुनर्ग्रहण की आवश्यकता है वहां वह ऐसी सम्पत्ति के विवरणों को विनिर्दिष्ट करते हुये अधिसूचना जारी करेगी और गजट में अधिसूचना का प्रकाशन इस बात का पर्याप्त साक्ष्य होगा कि ऐसी सम्पत्ति राज्य सरकार में निहित हो गयी है।

(2) ऐसी अधिसूचना की एक प्रति कलेक्टर को तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत अथवा स्थानीय निकाय को भेजी जाएगी।

(3) जहां उपनियम (1) में सन्दर्भित सम्पत्ति पूर्व से ही इस संहिता की धारा 64 या धारा 125 अथवा इस संहिता द्वारा निरसित अधिनियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को आबंटित की गयी है और ऐसा आबंटी, ऐसी भूमि पर, अधिसूचना के दिनांक से पहले ही कोई सुधार कर लिया है तब आबंटी उस सुधार के लिये ऐसा प्रतिकर पाने का हकदार होगा जैसा कि कलेक्टर विनिश्चित करें।

अध्यक्ष आदि के कर्तव्य
(धारा 60)

56. (1) धारा 60(2) के उपबन्ध (क) से लेकर (ज) तक में उल्लिखित कर्तव्यों के अतिरिक्त समिति का अध्यक्ष व प्रत्येक सदस्य ग्राम पंचायत में निहित अथवा निहित मानी गयी सम्पत्ति की क्षति, दुरूपयोग अथवा अनाधिकृत अध्यासन की सूचना उपजिलाधिकारी को देने के लिए बाध्य होगा।

(2) लेखपाल का कर्तव्य होगा कि वह ग्राम पंचायत में निहित सम्पत्ति की क्षति, दुर्विनियोजन, अनधिकृत अध्यासन के मामलों को, जैसे ही

उसके संज्ञान में आयें और किसी अन्य प्रकरण में प्रत्येक वर्ष खरीफ और रबी की पड़ताल समाप्त होने के पश्चात, तहसीलदार के माध्यम से कलेक्टर को रिपोर्ट करेगा।

(3) तहसीलदार खरीफ और रबी की पड़ताल समाप्त हो जाने के बाद स्वयं यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक लेखपाल ने ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(4) इस नियम के उपबन्ध यथोचित परिवर्तन सहित स्थानीय प्राधिकारी पर लागू होंगे जिसमें कि सम्पत्ति निहित है उपनियम (3) में उल्लिखित कर्तव्य ऐसे अधिकारी द्वारा किये जायेंगे जैसा कि उस स्थानीय प्राधिकारी द्वारा विनिश्चय किया जाय।

तालाबों का पट्टा

छोटे तालाबों का पट्टा (धारा 61)

57. (1) जहां धारा 61 (ख) में उल्लिखित तालाब का क्षेत्रफल 0.5 एकड़ से अधिक और 5 एकड़ से कम हो समिति निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार सिंघाड़ा उत्पादन अथवा मत्स्य पालन के लिए उपजिलाधिकारी की पूर्व अनुमति से पट्टा करेगा।

(2) ऐसे तालाबों के आबंटन के लिए तहसील स्तर पर शिविर का आयोजन किया जायेगा जिसके लिसे उस क्षेत्र में वृहद रूप से प्रचलित कम से कम एक सामाचार पत्र में शिविर की तिथि, समय व स्थान की जानकारी देते हुये वृहद स्तर पर प्रचारित किया जायेगा।

(3) अध्यक्ष, सचिव और नायब तहसीलदार से अन्यून स्तर का अधिकारी ऐसी शिविर की बैठक में उपस्थित रहेंगे। यदि एक से अधिक ग्राम पंचायत शामिल हो तब उन सभी सम्बन्धित समितियों के अध्यक्ष और सचिव उपस्थित रहेगें।

(4) प्रत्येक तहसील के लिये कलेक्टर द्वारा नियुक्त किये जाने वाले मछुआरा समुदाय के प्रतिनिधि की सहायता से सचिव उन पात्र व्यक्तियों की सूची तैयार करेगा जिन्हें उपनियम (5) में विनिर्दिष्ट अधिमानता क्रम के अनुसार संदर्भित तालाब को आबंटित किया जा सके।

(5) संभावित आबंटियों की पात्रता सूची निम्नलिखित वरीयता क्रम के अनुसार तैयार की जायेगी –

(क) सम्बन्धित ग्राम पंचायत में निवास करने वाला मछुआ समुदाय का व्यक्ति;

(ख) ग्राम पंचायत में निवास करने वाला गरीबी रेखा से नीचे का अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा सामान्य श्रेणी का व्यक्ति;

(ग) सम्बन्धित न्याय पंचायत क्षेत्र में निवास करने वाला मछुआ समुदाय का व्यक्ति;

(घ) सम्बन्धित विकास खण्ड में निवास करने वाला मछुआ समुदाय का व्यक्ति :

स्पष्टीकरण– इस नियम और नियम 56 के उददे्श्य के लिए मछुआ समुदाय के व्यक्ति का अर्थ होगा केवट, मल्लाह, निषाद, बिन्द, धीमर, कश्यप, बाथम, रैकवार, मांझी, गोडिया, कहार, तुरैहा अथवा तुराहा समुदाय से सम्बन्धित ऐसा व्यक्ति अथवा अन्य कोई व्यक्ति जो परम्परागत रूप से मत्स्य पालन व्यवसाय में लगा हो।

(6) उपनियम (5) के किसी पूर्ववर्ती खण्ड में उल्लिखित व्यक्ति पश्चातवर्ती खण्डों में उल्लिखित व्यक्तियों को अपवर्जित करते हुये ऐसे तालाबों का आबंटन पाने के हकदार होंगे।

(7) यदि उपनियम (4) के अन्तर्गत तैयार की गयी पात्रता सूची में पात्र व्यक्ति एक से अधिक हैं तब मौके पर ही नीलामी करायी जायेगी, जिसमें केवल पात्रता सूची में उल्लिखित व्यक्ति ही प्रतिभाग कर सकेंगे। यदि उपरोक्त पट्टा के लिये केवल एक व्यक्ति पात्र है, तो पट्टा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर नियत वार्षिक भाटक की धनराशि, जो प्रति एकड़ 1000/– रूपये से कम और 2000/– रूपये से अधिक नहीं होगी, पर दिया जायेगा।

(8) संहिता की धारा 189 व धारा 190 के उपबन्ध इस नियम के अन्तर्गत प्रत्येक नीलामी पर लागू होंगे।

(9) जब उच्चतम बोली की धनराशि जमा कर दी गयी हो, पात्रता सूची, नीलामी प्रपत्र और बोली की धनराशि को जमा करने सम्बन्धी आख्या, अध्यक्ष, सचिव और उपनियम (3) में उल्लिखित राजस्व अधिकारी द्वारा समुचित तरीके से हस्ताक्षरित करके अनुमोदन हेतु उपजिलाधिकारी को अग्रसारित की जायेगी।

(10) यदि उपजिलाधिकारी का समाधान हो जाता है कि तालाब को आबंटित करने का निर्णय नियमों के उपबन्धों के अनुसार किया गया है तो वह अनुमोदन दे देंगे और अभिलेख समिति को वापस कर देंगे।

(11) यदि उपजिलाधिकारी प्रस्ताव का अनुमोदन कर देते हैं, तो प्रपत्र समिति को वापस जायेंगे और एक आबंटन विलेख **आर0सी0 प्रपत्र–15** निष्पादित कराया जायेगा, जो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत कराया जायेगा।

(12) ऐसा प्रत्येक आबंटन पांच वर्ष की अवधि के लिए निष्पादित किया जायेगा और उसका आगे न तो नवीनीकरण किया जायेगा और न ही बढ़ाया जायेगा।

(13) आबंटी, आबंटित तालाब को मत्स्य पालन, अन्य जलजात पदार्थ या हरी सब्जियों के उत्पादन के प्रयोजनार्थ प्रयोग में ला सकेगा।

(14) यदि आबंटन की अवधि में आंबटी, आबंटन की शर्तो का उल्लघंन करता है, उपजिलाधिकारी आबंटी को कारण बताओ नोटिस जारी करके आबंटन निरस्त कर सकेगा।

(15) आबंटन की अवधि के दौरान स्थानीय निवासियों के उस तालाब में कपड़े धोने, जानवरों को पानी पिलाने, मिट्टी के बर्तन बनाने के प्रयोजनार्थ मिट्टी निकालने या इस प्रकार के अधिकार अबाधित रहेंगे।

बड़े तालाबों का पट्टा (धारा 61)

58. (1) जहां धारा 61(ख) में उल्लिखित तालाब का क्षेत्रफल 5 एकड़ से अधिक है, समिति उपजिलाधिकारी की पूर्व अनुमति से निम्नलिखित वरीयता क्रम के अनुसार पट्टा करेगी :–

(क) संबंधित ग्राम में निवास करने वाले मछुवा समुदाय के व्यक्तियों की सहकारी समितियां जो उ0प्र0 सहकारी समितियां अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत हों और मत्स्य पालन विभाग उ0प्र0 द्वारा मान्यता प्राप्त हों।

(ख) सम्बन्धित न्याय पंचायत क्षेत्र में निवास करने वाले मछुआ समुदाय के व्यक्तियों की सहकारी समितियां, जो ऊपर की भांति पंजीकृत और मान्यता प्राप्त हों।

(ग) सम्बन्धित विकास खण्ड में निवास करने वाले मछुआ समुदाय की सहकारी समितियां जो ऊपर की भांति पंजीकृत और मान्यता प्राप्त हों।

(घ) सम्बन्धित जनपद में निवास करने वाले मछुआ समुदाय की सहकारी समितियां जो ऊपर की भांति पंजीकृत और मान्यता प्राप्त हों।

(ङ) उ0प्र0 राज्य में निवास करने वाले मछुआ समुदाय की सहकारी समितियां जो ऊपर की भांति पंजीकृत और मान्यता प्राप्त हों।

(च) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की

सहकारी समितियां जो ऊपर की भांति पंजीकृत और मान्यता प्राप्त हों।

(छ) अन्य सहकारी समितियां जो ऊपर की भांति पंजीकृत और मान्यता प्राप्त हों।

(2) नियम 57 के प्रावधान अन्य सभी मामलों में यथोचित परिवर्तन सहित इस नियम से आच्छादित तालाबों के पट्टों में लागू होंगे। इस शर्त के साथ कि यदि उपरोक्त पट्टा के लिये केवल एक सहकारी समिति पात्र है, तो पट्टा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर नियत वार्षिक भाटक की धनराशि, जो प्रति एकड़ 4000/– रूपये से कम नहीं होगी, पर दिया जायेगा।

कलेक्टर को अपील
[धारा 233(2)(चौदह)]

59. नियम 57 अथवा 58 में उल्लिखित प्रत्येक पट्टा को कृषि कार्यो के उद्देश्य के लिये पट्टा माना जायेगा और उपजिलाधिकारी के अनुमोदन से क्षुब्ध कोई भी व्यक्ति अनुमोदन के दिनांक से 30 दिन के अन्दर कलेक्टर को अपील कर सकेगा और धारा 210 के प्राविधानों के अधीन कलेक्टर का आदेश अन्तिम होगा।

दैनिक आधार पर व्यवस्था
(धारा 61)

60. यदि किसी कारण से नियम 57 अथवा 58 के अन्तर्गत किसी पट्टे के विनिश्चयीकरण, निष्पादन अथवा रजिस्ट्रीकरण में विलम्ब हो रहा है, तो कलेक्टर मत्स्य आखेट के लिये दैनिक आधार पर अनुमति या व्यवस्था ऐसी शर्तो एवं उपबन्धों के अधीन कर सकेगा, जैसी वह उचित समझें।

आबादी स्थलों का आबंटन

अधिमानी श्रेणियों के लिये आबादी स्थल
(धारा 63 एवं 64)

61. (1) जहां उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 के उपबन्धों के अन्तर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य श्रेणियों के लिये आबादी के विस्तार के लिये चिन्हित भूमि और ग्राम पंचायत में निहित आबादी की कोई अन्य भूमि संहिता की धारा 64(1) में निर्दिष्ट व्यक्तियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिये पर्याप्त नहीं है, तहसील का उपजिलाधिकारी संहिता की धारा 63 की उपधारा (1) के अनुसार आबादी स्थल के लिये भूमि चिन्हित करने की कार्यवाही करेगा।

(2) यदि ग्राम में उपलब्ध धारा 63 की उपधारा (2) में उल्लिखित भूमि अपर्याप्त है तो कलेक्टर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2012 (अधिनियम संख्या 30 सन् 2013) के अन्तर्गत भूमि अर्जित करने के लिये प्रस्ताव तैयार कर सकेगा और उसे सरकार को उसके आदेश के

लिये अग्रसारित कर सकेगा।

(3) संहिता की धारा 64 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्तियों को आवासीय स्थल आबंटित करने से पहले सम्बन्धित उपजिलाधिकारी उस ग्राम के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूची और उद्धरण तैयार करवायेगाः–

(क) संहिता की धारा 64 की उपधारा (1) में उल्लिखित तीनों श्रेणियों के व्यक्तियों के अलग–अलग विवरण दर्शाते हुये **आर0सी0 प्रपत्र–16** में एक सूची;

(ख) धारा 63 की उपधारा (2) में उल्लिखित भूमियों की **आर0सी0 प्रपत्र–17** में एक सूची;

(ग) उपरोक्त सूची में दिये गये भूखण्डों को दर्शाते हुये ग्राम के मानचित्र का उद्धरण।

(4) संहिता की धारा 63 की उपधारा (2) के अन्तर्गत आवासीय स्थलों का आबंटन करने में संहिता की धारा 64 की उपधारा (1) में उल्लिखित अधिमानता क्रम का पालन किया जायेगा।

(5) इस नियम के अन्तर्गत आवासीय स्थलों के आबंटन के लिये कोई प्रीमियम नहीं लिया जायेगा।

अन्य आबादी स्थल (धारा 63 एवं 64)

62. (1) नियम 61 में निर्दिष्ट आबादी स्थलों से भिन्न आबादी स्थल जो ग्राम पंचायत में निहित है, को निम्नलिखित अधिमानता क्रम में आवासीय अथवा पूर्त प्रयोजन के लिये या कुटीर उद्योग के प्रयोजन के लिये भवन निर्माण के लिये आबंटित किये जा सकेंगेः

(क) ग्राम में निवास करने वाला भूमिहीन खेतिहर मजदूर या ग्राम का कारीगर;

(ख) ग्राम में निवास करने वाला भूमिधर अथवा असामी और जिसके पास 1.26 हेक्टेयर (3.125 एकड़) से कम भूमि हो;

(ग) ग्राम में निवास करने वाला कोई अन्य व्यक्ति।

(2) इस नियम के अन्तर्गत प्रत्येक आबंटी को समय–समय पर कलेक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल रेट पर आगणित रकम के पांच प्रतिशत के बराबर रकम जमा करना होगा और वह गांव फण्ड में जायेगाः

परन्तु यह कि पूर्त प्रयोजन के लिये आबंटित स्थल के सम्बन्ध में कोई प्रीमियम नहीं लिया जायेगा।

(3) वह आबंटी जिसे उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 अथवा तदन्तर्गत बनी नियमावली अथवा इस संहिता

या इसके अन्तर्गत बनी नियमावली के अधीन कुटीर उद्योग के प्रयोजन के लिये स्थल आबंटित किया गया है, यदि वह आबंटी उस कुटीर उद्योग में सफल नहीं है जिसके लिये वह स्थल आबंटित किया गया है, तो उस स्थल को किसी अन्य औद्योगिक या वाणिज्यिक प्रयोजन के लिये प्रयोग में ला सकता है।

भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आबंटन की प्रक्रिया (धारा 63 एवं 64)

63. (1) जब कभी भूमि प्रबन्धक समिति, नियम 61 अथवा 62 के अन्तर्गत आवासीय स्थल आबंटित करने की कार्यवाही करती है, तो वह ग्राम में डुग्गी पिटवाकर आबंटित किये जाने वाले स्थल, समय, दिनांक और आबंटन स्थल की घोषणा करेगी।

(2) सभी आबंटन पूर्ववर्ती उपनियम के अन्तर्गत घोषित किये गये दिनांक पर उस प्रयोजन के लिये की गयी बैठक में भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा किया जायेगा। जहां एक ही अधिमानता क्रम से सम्बन्धित एक से अधिक व्यक्ति विशेष स्थल के आबंटन के लिये अपनी इच्छा प्रकट करते हैं, वहां उक्त समिति पर्ची निकाल कर उस व्यक्ति का निर्धारण करेगी जिसे वह स्थल आबंटित किया जायः

परन्तु यह कि नियम 63 अथवा नियम 62 के अन्तर्गत कोई आबंटन तहसील के उपजिलाधिकारी के पूर्वानुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा।

(3) यदि स्थल के आबंटी द्वारा भूमि प्रबन्धक समिति को प्रीमियम, यदि कोई हो, अदा किया गया है तो उसे उसके लिये रशीद और आबंटन का प्रमाण पत्र दिया जायेगा। प्रमाण पत्र **आर0सी0 प्रपत्र–18** में होगा जो दो भागो में तैयार किया जायेगा, मुख्य प्रमाण पत्र आबंटी को दिया जायेगा और उसका दूसरा भाग भूमि प्रबन्धक समिति के पास अभिलेख के लिये रहेगा।

आबंटन का अधिकतम क्षेत्रफल और अन्य शर्तें (धारा 63 एवं 64)

64. (1) नियम 61 अथवा 62 के अन्तर्गत आबंटन का अधिकतम क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होगा।

(2) आबादी स्थल का आबंटी कोई प्रीमियम अथवा भूमि किराया अदा नहीं करेगा, किन्तु वह आबादी स्थल को निम्नलिखित शर्तो एवं उपबन्धों के अधीन रख सकेगा –

(क) आबंटी, आबंटित स्थल के कब्जा दिये जाने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के अन्दर घर बनायेगा और उसमें रहना प्रारम्भ कर देगा अथवा उस प्रयोजन के लिये प्रयोग में लायेगा जिसके लिये वह स्थल

आबंटित किया गया था।

(ख) यदि आबंटी इस नियम के उपनियम (2) के खण्ड (क) में उल्लिखित निबन्धन एवं शर्तों का पालन करने में असफल होता है तो कलेक्टर धारा 66 के अनुसार आबंटन को निरस्त कर सकेगा :

परन्तु यह कि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित व्यक्तियों के प्रकरण में मकान बनाने के लिये उपरोक्त समयसीमा लागू नहीं होगी।

(ग) आबंटी अथवा उसके उत्तराधिकारी आबंटन के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि के अन्दर स्थल अथवा उस पर बने मकान को विक्रय द्वारा अन्तरित करने के हकदार नहीं होंगे। यदि आबंटन के दिनांक से पांच वर्षों की अवधि के बाद स्थल अथवा मकान अन्तरित कर दिया जाता है तो आबंटी पुनर्आबंटन का पात्र नहीं होगा।

(घ) आबंटी को आबंटित भूमि में आनुवंशिक अधिकार प्राप्त होंगे।

(ङ) भूमि का उत्तराधिकार आबंटी के स्वीय विधि से शासित होगा।

(च) धारा 66 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये आबंटी अथवा उसके उत्तराधिकारी आबंटित भूमि अथवा उस पर बनाये गये मकान से बेदखल नहीं किये जायेंगे।

(छ) यदि भूमि अथवा उस पर बना मकान परित्यक्त कर दिया जाता है अथवा यदि आबंटी अथवा उसके उत्तराधिकारी की बिना किसी उत्तराधिकारी के मृत्यु हो जाती है तो सम्पत्ति ग्राम पंचायत में पुनः निहित हो जायेगी।

आबादी स्थलों के अनियमित आबंटन के जांच की प्रक्रिया (धारा 66)

65. (1) कलेक्टर नियम 61 अथवा 62 के अन्तर्गत आबंटन के किसी आदेश की यहां नीचे दी गयी रीति से स्वःप्रेरणा से जांच कर सकेगा अथवा ऐसे आदेश से क्षुब्ध किसी व्यक्ति के आवेदन पर जांच करेगा।

(2) इस नियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र शपथपत्र से समर्थित होगा। प्रार्थी अथवा उसका अधिवक्ता प्रार्थना पत्र दाखिल करने के दिनांक का पृष्ठांकन करेगा। यह प्रार्थना पत्र दाखिल किये जाने के दिनांक से दो कार्य दिवसों की अवधि के अन्दर प्रकरण के रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा।

(3) आबंटी और भूमि प्रबन्धक समिति ऐसे सभी प्रकरणों में आवश्यक पक्षकार होंगे।

(4) प्रार्थी अन्तरित अनुतोष के लिये शपथपत्र से समर्थित प्रार्थना पत्र दे

सकता है और कलेक्टर किसी पक्ष के ऐसे प्रार्थना पत्र पर अथवा अन्यथा प्रकरण के अन्तिम निस्तारण से पहले किसी समय उपयुक्त अन्तरित आदेश पारित कर सकता है।

(5) यदि कलेक्टर का प्रथम दृष्टया समाधान हो जाता है कि प्रार्थी क्षुब्ध व्यक्ति है तो वह आबंटन के आदेश में हितबद्ध सभी व्यक्तियों को नोटिस के तामीला के दिनांक से तीन सप्ताह के अन्दर अपने समक्ष उपस्थित होने और प्रति शपथपत्र दाखिल कर अपने प्रकरण को प्रस्तुत करने के लिये आहूत करेगा। इस प्रयोजन के लिये पर्याप्त आधार दर्शाये जाने पर कलेक्टर प्रतिशपथपत्र दाखिल करने के लिये अग्रेतर समय दे सकेगा।

(6) यदि प्रतिशपथपत्र दाखिल किया जाता है तो प्रतिउत्तर शपथपत्र दाखिल करने के लिये दो सप्ताह का समय दिया जायेगा जिसे उस प्रयोजन के लिये पर्याप्त कारण दर्शाये जाने पर बढ़ाया जा सकेगा।

(7) जहां कार्यवाही स्वःप्रेरणा से प्रारम्भ की जाती है वहां कलेक्टर आबंटन के आदेश में हितबद्ध सभी व्यक्तियों को अपने समक्ष उपस्थित होने और अपना प्रकरण प्रस्तुत करने के लिये आहूत करेगा।

(8) साक्ष्य अभिलिखित करना आवश्यक नहीं होगा लेकिन दिन प्रतिदिन की जांच का ज्ञाप कलेक्टर द्वारा अभिलेख पर रखा जायेगा।

(9) यदि जांच करने पर कलेक्टर का यह समाधान हो जाता है कि आबंटन अनियमित है तो वह आबंटन निरस्त करेगा और उस पर आबंटी और उसके माध्यम से दावा करने वाले प्रत्येक अन्य व्यक्ति का अधिकार, स्वत्व और हित उस भूमि में समाप्त हो जायेगा और वह भूमि पुनः ग्राम पंचायत में निहित हो जायेगी।

(10) कलेक्टर प्रकरण के दर्ज किये जाने के दिनांक से छः माह से अनधिक अवधि के अन्दर जांच को पूर्ण करने का प्रयास करेगा और यदि उपरोक्त अवधि के अन्दर जांच पूर्ण नहीं होती है तो उसके लिये कारण अभिलिखित करेगा।

सहायक कलेक्टर को सूचना (धारा 67)

66. धारा 67(1) के अन्तर्गत वांछित सूचना सम्बन्धित भूमि प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य अथवा सचिव अथवा स्थानीय प्राधिकारी के किसी अधिकारी द्वारा **आर0सी0 प्रपत्र–19** में सहायक कलेक्टर को दी जायेगी।

सहायक कलेक्टर द्वारा

67. (1) नियम 66 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त होने या अन्यथा उनकी

अग्रेतर जांच
(धारा 67)

जानकारी में आने पर सहायक कलेक्टर ऐसी जांच करेगा जैसी वह उचित समझे और निम्नलिखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में अग्रेतर सूचना प्राप्त कर सकेगा :–

(क) सम्पत्ति को अवैध अध्यासन अथवा दुर्विनियोजन से हुयी क्षति का विवरण जिसमें गांव, खाता संख्या, क्षेत्रफल, चौहद्दी और उक्त क्षति अथवा दुर्विनियोजित की गई सम्पत्ति का बाजारी मूल्य;

(ख) ऐसे दुर्विनियोजन या अवैध अध्यासन से सम्पत्ति को पहुँची क्षति के लिये उत्तरदायी व्यक्ति का नाम, पितृनाम और पूरा पता;

(ग) अवैध अध्यासन की अवधि, क्षति या दुर्विनियोजन और सम्मिलित भूखण्डों की भूमि की श्रेणी;

(घ) सम्पत्ति जिसे क्षति पहुँचायी गई अथवा दुर्विनियोजित की गई उसका कलेक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल रेट पर आगणित मूल्य और नुकसानी की रकम जिसकी वसूली की मांग की गयी।

(2) तत्पश्चात् सहायक कलेक्टर धारा 67(2) के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु सम्बन्धित व्यक्ति के विरूद्ध **आर0सी0 प्रपत्र–20** में कारण बताओ नोटिस जारी करेगा कि क्षति, दुर्विनियोजन अथवा अवैध अध्यासन के लिये नोटिस में विनिर्दिष्ट की गयी रकम से अनधिक रकम की वसूली उससे क्यों न की जाय और उसे ऐसी भूमि से बेदखल क्यों न कर दिया जाय।

(3) यदि धारा 67(2) के निर्दिष्ट नोटिस का अनुपालन नहीं किया जाता है अथवा सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा दर्शाया गया कारण पर्याप्त नहीं पाया जाता है तो सहायक कलेक्टर आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि–

(क) ऐसे व्यक्ति को आवश्यक बल का प्रयोग कर बेदखल किया जाये; अथवा

(ख) सहायक कलेक्टर द्वारा अवैध अध्यासन या क्षति के कारण आदेशित की गई क्षतिपूर्ति, उपनियम (3) में उल्लिखित व्यय की रकम सहित, यदि विनिर्दिष्ट समय में अदा नहीं की गयी है तो, भू–राजस्व के बकाये की भांति वसूल किया जाये।

(4) वसूल की जाने वाली क्षतिपूर्ति तथा निष्पादन हेतु आये खर्चे का उल्लेख ऐसी नोटिस में किया जायेगा जो कि निम्नलिखित रीति से निर्धारित की जायेगी :–

(क) क्षति अथवा दुर्विनियोजन के प्रकरण में नुकसानी की रकम

प्रचलित बाजार दर पर निर्धारित की जायेगी।

(ख) किसी भूमि पर अवैध अध्यासन की दशा में क्षतिपूर्ति की रकम प्रत्येक वर्ष के लिये कलेक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल रेट पर आगणित भूमि के बाजार मूल्य के पांच प्रतिशत के बराबर होगी।

(ग) निष्पादन हेतु आगत हुए खर्चे का आगणन इस प्रक्रिया में लगे हुए कर्मचारियों के एक दिन के वेतन के आधार पर किया जायेगा।

(5) यदि भूमि पर अवैध रूप से अध्यासित व्यक्ति उसमें खेती किया है तो उसे फसल की कटाई करने तक उसके अध्यासन में बने रहने की इजाजत दी जा सकती है बशर्ते कि वह सर्किल रेट के अनुसार आगणित उस भूमि के बाजारू मूल्य के पांच प्रतिशत के बराबर रकम जमा कर देता है जो कि समेकित गांव निधि में अथवा ग्राम पंचायत से भिन्न स्थानीय प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, के निधि में जायेगी। यदि सम्बन्धित व्यक्ति **आर0सी0 प्रपत्र–20** की नोटिस में दी गयी अवधि के अन्दर उपरोक्त रकम का भुगतान नहीं करता है तो भूमि का फसल सहित कब्जा भूमि प्रबन्धक समिति अथवा स्थानीय प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, को दे दिया जायेगाः

परन्तु यह कि जहां ऐसा व्यक्ति उसी भूमि पर अथवा ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, की अधिकारिता के अन्तर्गत किसी अन्य भूमि पर फिर से कब्जा करता है, वहां उसे तुरन्त उससे बेदखल कर दिया जायेगा और उस खाली भूमि का अथवा उस पर स्थित फसल सहित कब्जा भूमि प्रबन्धक समिति अथवा स्थानीय प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, को दे दिया जायेगा।

(6) सहायक कलेक्टर कारण बताओ नोटिस निर्गत किये जाने के दिनांक से नब्बे दिनों की अवधि के अन्दर धारा 67 के अन्तर्गत कार्यवाही को पूर्ण करने का प्रयास करेगा और यदि कार्यवाही ऐसी अवधि के अन्दर पूर्ण नहीं होती है तो उसके लिये कारण अभिलिखित किया जायेगा।

(7) उपनियम (5) की कोई बात भूमि प्रबन्धक समिति अथवा स्थानीय प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, उस व्यक्ति, जो इस संहिता अथवा नियमावली के अन्तर्गत बेदखल कर दिये जाने के बावजूद दोबारा उसी भूमि पर अतिक्रमण करता है, को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 447 के अन्तर्गत अभियोजित करने से बाधित नहीं करेगी।

(8) प्रत्येक कलेक्टर के कार्यालय में **आर0सी0 प्रपत्र–21** में एक रजिस्टर अनुरक्षित किया जायेगा जिसमें धारा 67 के अन्तर्गत कार्यवाही में लगायी गयी नुकसानी और प्रतिकर के कारण वसूल किये जाने के लिये आदेशित रकम का विवरण दर्शाया जायेगा।

(9) ऐसा ही रजिस्टर प्रत्येक तहसीलदार द्वारा भी अनुरक्षित किया जायेगा जिसमें ऐसी कार्यवाही में अधिरोपित नुकसानी और प्रतिकर की वसूली दर्शायी जायेगी। तहसील पर अनुरक्षित रजिस्टर में की गयी प्रविष्टियों का मिलान कलेक्टर द्वारा अनुरक्षित रजिस्टर से, उसमें की गयी प्रविष्टियों की यथार्थता को सुनिश्चित करने के लिये, किया जायेगा।

(10) धारा 67 के अन्तर्गत कार्यवाही में अधिरोपित नुकसानी और प्रतिकर की वसूली दर्शाने वाली प्रगति आख्या प्रति वर्षा अप्रैल और अक्टूबर के पन्द्रहवें दिन पर राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ को प्रेषित की जायेगी। परिषद जिलों से इस प्रकार प्राप्त आख्यायों को समेकित करने के पश्चात उसे सरकार को प्रेषित करेगा।

(11) नियम 66 और 67 की कोई बात किसी ऐसे मामले, जिसके लिये संहिता की धारा 67 के अन्तर्गत कोई आदेश पारित किया गया है, के सम्बन्ध में तत्समय लागू विधि के अनुसार सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में किसी व्यक्ति को अपना अधिकार, स्वत्व अथवा हित साबित करने से वर्जित नहीं करेगी।

गृह स्थलों का उनके विद्यमान स्वामियों के साथ बन्दोबस्त (धारा 67–ए)

68. (1) जहां संहिता की धारा 64 की उपधारा (1) में अभिदिष्ट किसी व्यक्ति ने धारा 63 में अभिदिष्ट किसी भूमि पर जो सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित नहीं की गयी हो, कोई मकान बना रखा हो और ऐसा मकान 29 नवम्बर, 2012 को विद्यमान हो तो ऐसा मकान–स्थल उस मकान के स्वामी द्वारा ऐसे निबन्धन और शर्तों पर धारित किया जायेगा जो नियम 64 में नियत किया गया है।

नोट :– संदेह के निवारण के लिये एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि संहिता की धारा 67–ए (1) अथवा तदन्तर्गत बनी नियमावली के अन्तर्गत बन्दोबस्त किया गया स्थल का अधिकतम क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होगा।

(2) जहां धारा 64 की उपधारा (1) में अभिदिष्ट किसी व्यक्ति ने किसी खातेदार की (जो सरकारी पट्टेदार न हो) किसी भूमि पर मकान

बनाया हो और ऐसा मकान 29 नवम्बर, 2000 को विद्यमान हो, तो यह समझा जायेगा कि मकान का स्वामी ऐसे मकान के स्थल को निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर धारण किये है–

(क) संहिता की धारा 67–ए (2) अथवा तदन्तर्गत बनी नियमावली के अधीन बन्दोबस्त किये जाने वाले स्थल का अधिकतम क्षेत्रफल 200 वर्गमीटर से अधिक नहीं होगा।

(ख) मकान का स्वामी तथा उसके उत्तराधिकारियों का स्थल में आनुवंशिक हित होगा तथा सुखाचार के वर्तमान अधिकारों के अधीन रहते हुये, स्थल पर विद्यमान वृक्षों तथा कुओं का उपयोग करने का भी अनिर्बन्धित अधिकार होगा।

(ग) उसे सुखाचार के वर्तमान अधिकारों के अधीन रहते हुये आवासीय मकान बनाने के लिये स्थल के उपयोग करने का अधिकार होगा।

(घ) मकान का स्वामी स्थल के सम्बन्ध में खातेदार या राज्य सरकार को भविष्य में किसी लगान का देनदार नहीं होगा।

(ङ) स्थल पर उत्तराधिकार ऐसी स्वीय विधि द्वारा, जिसके अधीन मकान का स्वामी था, प्रशासित होगा।

(च) मकान के स्वामी तथा उसके उत्तराधिकारी किसी भी आधार पर बेदखली के योग्य न होंगे।

(छ) यदि मकान का परित्याग कर दिया जाये या उसके स्वामी की ऐसे उत्तराधिकारी के बिना जो हकदार हो, मृत्यु हो जाये तो भूमि या स्थल राज्यसात सम्पत्ति हो जायेगी।

(ज) खातेदार को अपने खाते के उक्त भाग के लिये भू–राजस्व में समानुपातिक छूट दी जायेगी जिसका बन्दोबस्त इस नियम के अधीन मकान के स्वामी के साथ कर दिया जाये। संहिता के अधीन अनुरक्षित खतौनी में उस भूमि को आबादी के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा।

<u>गांव निधि एवं समेकित गांव निधि</u>

गांव निधि
[धारा 68(3)]

69. (1) ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या समिति द्वारा अथवा उसकी ओर से वसूली गयी या प्राप्त की गयी सभी धनराशि जिसमें दान भी सम्मिलित है, गांव निधि में जमा की जायेगी।

(2) उक्त निकायों को देय धनराशि का संग्रहण या तो उनके कार्यालय में भुगतान द्वारा या बहिरंग संग्रहण द्वारा किया जायेगा और ऐसे प्रत्येक भुगतान के लिये उचित रसीद प्रदान की जायेगी।

(3) अध्यक्ष पर समिति के गांव निधि के प्रबन्धन तथा उचित लेखा–जोखा रखने का उत्तरदायित्व होगा।

(4) धारा 69(2) के प्रावधान के अन्तर्गत गांव निधि का उपयोग धारा 60(2) में बताये गये उद्देश्यों के लिये किया जा सकेगा।

(5) गांव निधि से प्रत्येक खर्च समिति द्वारा प्रस्ताव पारित किये जाने पर ही भारित होगा।

समेकित गांव निधि [धारा 69(1)(ग) एवं धारा 69(5)]

70. (1) धारा 69(1) के उपधारा (क) और (ख) में जो धनराशि विनिर्दिष्ट की गई है के अलावा निम्न धनराशि भी समेकित गांव निधि में जमा की जायेगी–

(क) धारा 136(1) के अन्तर्गत वसूल की गयी क्षतिपूर्ति की धनराशि;

(ख) धारा 151(1) के अन्तर्गत वसूल की गयी क्षतिपूर्ति की धनराशि;

(ग) धारा 228 के अन्तर्गत पेड़ों के मूल्य की तथा दण्ड के स्वरूप वसूल की गई धनराशि;

(घ) संहिता की धारा 69(3) में उल्लिखित व्ययों को पूरा करने के लिये राज्य सरकार द्वारा दिया गया कोई अनुदान या अंशदान।

(2) यदि तहसील स्तर पर समेकित गांव निधि स्थापित की जाती है तो राज्य सरकार द्वारा नियत प्रतिशत में तहसील स्तर के समेकित गांव निधि में धनराशि जमा की जायेगी।

(3) तहसील स्तर पर समेकित गांव निधि का खाता सम्बन्धित उप–जिलाधिकारी और तहसीलदार द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जायेगा।

कलेक्टर के निर्देश [धारा 69(2)]

71. (1) जहां कि राज्य सरकार ने गांव निधि में जमा होने वाली समस्त राशि का एक निर्धारित प्रतिशत समेकित गांव निधि में जमा करने सम्बन्धी कोई अधिसूचना जारी की है तो कलेक्टर अध्यक्ष को प्रत्येक वर्ष के जून माह में यह निर्देश निर्गत करेंगे कि निर्धारित राशि को जिला स्तरीय एवं तहसील स्तरीय समेकित गांव निधि में अलग–अलग जमा किया जाये।

(2) अध्यक्ष उपर्युक्त निर्देशों का पर्याप्त अनुपालन करेगा और समिति को अगली बैठक में सूचित करेगा।

अधिवक्ताओं की नियुक्ति (धारा 72)

72. (1) ग्राम सभा, ग्राम पंचायत अथवा भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा या उसके विरूद्ध वादों, प्रार्थना पत्रों एवं अन्य कार्यवाहियों जिसके अन्तर्गत आपत्ति, अपील, निगरानी और विशेष अपील सम्मिलित हैं के संचालन

के लिये निम्नलिखित को उनके समक्ष उल्लिखित न्यायालय के लिये नामिका वकील के रूप में उपनियम (2) में उपबन्धित रीति से नियुक्त किया जायेगाः

(क) तहसीलदार के न्यायालय के समक्ष अथवा चकबन्दी अधिकारी के समक्ष चाहे वे अपना न्यायालय तहसील मुख्यालय पर अथवा तहसील के अन्दर किसी अन्य स्थान पर लगाते हों, राजस्व प्रकरणों के सम्बन्ध में प्रत्येक तहसील के लिये एक या अधिक तहसील ग्राम पंचायत नामिका वकील (राजस्व)। यदि केवल एक तहसील ग्राम पंचायत नामिका वकील (राजस्व) है तो वह तहसील के अन्दर सभी ग्राम पंचायतों का प्रतिनिधित्व करेगा लेकिन जहां पर एक से अधिक ग्राम पंचायत नामिका वकील (राजस्व) हैं वहां प्रत्येक तहसील ग्राम पंचायत नामिका वकील (राजस्व) तहसील के अन्दर ऐसे ग्राम पंचायतों का प्रतिनिधित्व करेगा जो कि कलेक्टर द्वारा उसे समनुदिष्ट की जायें।

(ख) तहसील के भीतर दीवानी न्यायालयों, यदि कोई हों, के समक्ष दीवानी मामलों के सम्बन्ध में प्रत्येक तहसील के लिये एक तहसील ग्राम पंचायत नामिका वकील (दीवानी)। वह तहसील के भीतर की सभी ग्राम सभाओं का प्रतिनिधित्व करेगा।

(ग) कलेक्टर, अपर कलेक्टर, सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी (तहसीलदार को छोड़कर), बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, उप–संचालक चकबन्दी, जिला उप–संचालक चकबन्दी और चकबन्दी संचालक के न्यायालय के समक्ष, चाहे वे अपना न्यायालय जिला मुख्यालय पर अथवा जिले के अन्दर किसी अन्य स्थान पर करते हों, राजस्व के मामलों के सम्बन्ध में प्रत्येक जिले के लिये एक जिला ग्राम पंचायत नामिका वकील (राजस्व) और एक या अधिक अपर जिला ग्राम पंचायत नामिका वकील (राजस्व)। यदि केवल एक जिला ग्राम पंचायत नामिका वकील (राजस्व) है तो वह उस जिले के अन्दर सभी ग्राम पंचायतों का प्रतिनिधित्व करेगा, लेकिन जहां एक या अधिक अपर जिला ग्राम पंचायत नामिका वकील (राजस्व) हैं, जिला ग्राम पंचायत नामिका वकील (राजस्व) और अपर जिला ग्राम पंचायत नामिका वकील (राजस्व) उस जिले के अन्दर ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिनिधित्व करेंगे जो सरकार द्वारा उसे समनुदिष्ट की जायें।

(घ) उच्च न्यायालय को छोड़कर, जिला मुख्यालय के सभी सिविल

न्यायालयों के समक्ष सिविल मामलों के सम्बन्ध में प्रत्येक जिले के लिये एक जिला ग्राम पंचायत नामिका वकील (दीवानी) जो जिले के अन्दर सभी ग्राम पंचायतों का प्रतिनिधित्व करेगा।

(ङ) आयुक्त और अपर आयुक्त के न्यायालयों के लिये प्रत्येक मण्डल मुख्यालय पर एक या अधिक मण्डलीय ग्राम पंचायत नामिका वकील (राजस्व)। यदि केवल एक मण्डलीय ग्राम पंचायत नामिका वकील (राजस्व) है तो वह मण्डल के अन्दर सभी ग्राम पंचायतों का प्रतिनिधित्व करेगा, लेकिन जहां पर एक से अधिक मण्डलीय ग्राम पंचायत नामिका वकील (राजस्व) हैं, वहां प्रत्येक मण्डलीय ग्राम पंचायत नामिका वकील (राजस्व) ऐसे जिले या जिलों के अन्दर सभी ग्राम पंचायतों का प्रतिनिधित्व करेंगे जो सरकार द्वारा उसे समनुदिष्ट की जायें।

(च) राज्य के अन्तर्गत सभी ग्राम पंचायतों के प्रकरणों के लिये राजस्व परिषद इलाहाबाद एवं लखनऊ प्रत्येक के लिये एक या अधिक स्थायी अधिवक्ता (राजस्व परिषद)। यदि केवल एक स्थायी अधिवक्ता (राजस्व परिषद) है तो वह राज्य के अन्दर सभी ग्राम पंचायतों का प्रतिनिधित्व करेगा लेकिन जहां पर एक से अधिक स्थायी अधिवक्ता (राजस्व परिषद) हैं वहां प्रत्येक स्थायी अधिवक्ता राजस्व परिषद उन जिला/जिलों अथवा मण्डल/मण्डलों के अन्दर सभी ग्राम पंचायतों का प्रतिनिधित्व करेंगे जो कि उसे सरकार द्वारा समनुदिष्ट हो।

(छ) उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं उसके पीठ लखनऊ प्रत्येक के लिये एक या अधिक स्थायी अधिवक्ता (राजस्व)। यदि उच्च न्यायालय इलाहाबाद के लिये केवल एक स्थायी अधिवक्ता (राजस्व) और एक स्थायी अधिवक्ता (राजस्व) लखनऊ पीठ के लिये है तो वह क्रमशः उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं लखनऊ पीठ के अधीन समस्त ग्राम पंचायतों का प्रतिनिधित्व करेगा लेकिन जहां पर एक से अधिक स्थायी अधिवक्ता (राजस्व) हैं वहां प्रत्येक स्थायी अधिवक्ता (राजस्व) ऐसे जिले/जिलों अथवा मण्डल/मण्डलों के अन्दर सभी ग्राम पंचायतों का प्रतिनिधित्व करेंगे जो उसे सरकार द्वारा समनुदिष्ट हों।

(2) नियुक्ति की रीतिः–

(क) तहसील नामिका वकील सम्बन्धित उपजिलाधिकारी की संस्तुति पर विचार करने के बाद जिले के कलेक्टर द्वारा नियुक्त किये जायेंगे।

(ख) जब तक किसी विशेष मामले या मामलों में सरकार द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाय, जिला मुख्यालय पर राजस्व न्यायालयों में सरकार की ओर से या उसके विरूद्ध वादों का संचालन करने के लिये सरकार द्वारा नियुक्त किये गये शासकीय अधिवक्ता उपनियम (1) के खण्ड (ग) के अधीन जिले के लिये जिला ग्राम पंचायत नामिका वकील (राजस्व) के रूप में सरकार द्वारा नियुक्त किये गये माने जायेंगे। इसी प्रकार जिला मुख्यालय पर सिविल न्यायालयों के समक्ष या आयुक्त/अपर आयुक्त अथवा राजस्व परिषद के समक्ष अथवा उच्च न्यायालय के समक्ष सरकार की ओर से या उसके विरूद्ध प्रकरणों का संचालन करने के लिये सरकार द्वारा नियुक्त किये गये शासकीय अधिवक्ता क्रमशः जिला ग्राम पंचायत नामिका वकील (दीवानी), मण्डलीय ग्राम पंचायत नामिका वकील (राजस्व), स्थायी अधिवक्ता (राजस्व परिषद) और स्थायी अधिवक्ता (राजस्व) के रूप में सरकार द्वारा नियुक्त किये गये माने जायेंगे।

(ग) इस नियम के उपनियम (1) के खण्ड (ग) में अभिदिष्ट नामिका वकील की नियुक्ति सरकार द्वारा कलेक्टर की संस्तुति पर विचार करने के बाद की जायेगी।

(घ) इस नियम के उपनियम (1) के खण्ड (ख) एवं (घ) में अभिदिष्ट नामिका वकील की नियुक्ति सरकार द्वारा कलेक्टर और जिला जज की संस्तुति पर विचार करने के बाद की जायेगी।

(ङ) इस नियम के उपनियम (1) के खण्ड (ङ) में अभिदिष्ट नामिका वकील की नियुक्ति सरकार द्वारा आयुक्त की संस्तुति पर विचार करने के बाद की जायेगी।

(च) इस नियम के उपनियम (1) के खण्ड (च) में अभिदिष्ट नामिका वकील की नियुक्ति सरकार द्वारा परिषद के अध्यक्ष की संस्तुति पर विचार करने के बाद की जायेगी।

(छ) इस नियम के उपनियम (1) के खण्ड (छ) में अभिदिष्ट नामिका वकील की नियुक्ति सरकार द्वारा परिषद के अध्यक्ष की संस्तुति पर विचार करने के बाद की जायेगी।

(ज) इस उपनियम के खण्ड (छ) में अभिदिष्ट ऐसी नियुक्तियों को करने में सरकार यदि आवश्यक समझे तो, महाधिवक्ता के दृष्टिकोण पर विचार कर सकती है।

(3) इस उपनियम के खण्ड (ख) में समाविष्ट किसी बात के होते हुये भी सरकार ग्राम पंचायत के प्रकरणों के लिये उपनियम (1) के खण्ड (ग) लगायत (छ) के अधीन नामिका वकील नियुक्त कर सकती है।

अधिवक्ताओं की निबन्धन और शर्तें (धारा 72)

73. (1) जब तक संहिता द्वारा या उसके अधीन विशेष रूप से अन्यथा उपबन्धित न किया जाये, धारा 72 के खण्ड (क) एवं (ख) में अभिदिष्ट स्थायी अधिवक्ता की निबन्धन एवं शर्तें उच्च न्यायालय में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये गये अन्य स्थायी अधिवक्ताओं के समान होंगी।

(2) जब तक संहिता द्वारा या उसके अधीन विशेष रूप से अन्यथा उपबन्धित न किया जाय, धारा 72 के खण्ड (ग) और (घ) के अन्तर्गत अभिदिष्ट अधिवक्ताओं के निबन्धन एवं शर्तें विभिन्न जनपदों में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त जिला शासकीय अधिवक्ता (दीवानी) के समान होंगी।

(3) नामिका वकील प्रत्येक मामले के हिसाब से, उसमें नियत किये जाने वाले दिनांक की संख्याओं पर विचार किये बिना, एक समान दर से निम्न वर्णित फीस के हकदार होंगे :–

(क) तहसील के मुख्यालय पर या तहसील के भीतर तहसीलदार और चकबन्दी अधिकारी के न्यायालय के लिये रू0 500/–

(ख) कलेक्टर, अपर कलेक्टर, प्रथम श्रेणी का असिस्टेंट कलेक्टर (तहसीलदार को छोड़कर), बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी और उच्च न्यायालय को छोड़कर समस्त दीवानी न्यायालयों के लिये रू0 600/–

(ग) आयुक्त, अपर आयुक्त, उपनिदेशक, संयुक्त निदेशक एवं चकबन्दी निदेशक के न्यायालय के लिये रू0 750/–

(घ) राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश के लिये रू0 1000/–

(ङ) उच्च न्यायालय के लिये रू0 1500/–;

प्रतिबन्ध यह है कि कलेक्टर या सरकार ऐसे आपवादिक या जटिल मामलों में जिसमें असामान्य समय और श्रम की आवश्यकता हो, अपेक्षाकृत उच्च फीस की अनुज्ञा दे सकती है जो अधिक से अधिक निम्नलिखित होगी :–

(क) तहसील के मुख्यालय पर या तहसील के भीतर तहसीलदार और चकबन्दी अधिकारी के न्यायालय के लिये रू0 1000/–

(ख) कलेक्टर, अपर कलेक्टर, प्रथम श्रेणी का असिस्टेंट कलेक्टर (तहसीलदार को छोड़कर), बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी और उच्च

न्यायालय को छोड़कर समस्त दीवानी न्यायालयों के लिये रू0 1200/–

(ग) आयुक्त, अपर आयुक्त, उपनिदेशक, संयुक्त निदेशक एवं चकबन्दी निदेशक के न्यायालय के लिये रू0 1500/–

(घ) राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश के लिये रू0 2000/–

(ङ) उच्च न्यायालय के लिये रू0 3000/–

स्पष्टीकरणः– यदि सारतः समान प्रश्नों को समाविष्ट करने वाले दो या अधिक मामलों की सुनवाई समान तर्कों के साथ एक ही साथ की जाती है तो नामिका वकील एकल प्रकरण के लिये केवल एक फीस के हकदार होंगे।

(4) सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेशों के अनुसार नामिका वकीलों को शासकीय प्रयोजनों के लिये कार्यालय सुविधा एवं टेलीफोन/मोबाइल काल्स् के लिये प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया जायेगा।

(5) यदि संहिता अथवा इन नियमों में अभिदिष्ट से भिन्न किसी कर्तव्य को पूरा करने के लिये नामिका वकील से कहा जाता है तो उसे ऐसी फीस का भुगतान किया जायेगा जो सरकार द्वारा नियत की जाय।

(6) उपनियम (3) में अभिदिष्ट नामिका वकील (राजस्व) के लिपिकों को ऐसे नामिका वकील को देय फीस के पन्द्रह प्रतिशत के बराबर फीस का भुगतान किया जायेगा।

(7) इस नियम के उपनियम (4) में वर्णित फीस के अलावा संहिता की धारा 72 के अन्तर्गत नियुक्त किये गये नामिका वकीलों को निम्नवत प्रारूपण फीस दी जायेगी।

क्रम सं0	प्रारूपण का विवरण	फीस
1	प्रार्थना पत्र/आपत्ति	100 रूपये
2	वादपत्र/ लिखित कथन	500 रूपये
3	शपथपत्र/प्रतिशपथपत्र/प्रतिउत्तर शपथपत्र	300 रूपये
4	अपील का ज्ञाप/ पुनरीक्षण का ज्ञाप/ पुनर्विलोकन का ज्ञाप	700 रूपये

5	लिखित बहस, यदि कोई हो,	
	(क) तहसीलदार, एस0डी0ओ0 या सी0ओ0 के समक्ष	400 रूपये
	(ख) जिला स्तरीय अधिकारी के समक्ष	500 रूपये
	(ग) आयुक्त /अपर आयुक्त के समक्ष	750 रूपये
	(घ) परिषद के समक्ष	1000 रूपये
	(ङ) उच्च न्यायालय के समक्ष	1500 रूपये
	परन्तु यह कि लिखित बहस के लिये फीस तभी दी जायेगी जब न्यायालय की इजाजत से अथवा भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव पर लिखित दाखिल की जाती है।	

परन्तु स्थगन के लिये दिये गये प्रार्थना पत्र पर कोई शुल्क नहीं दिया जायेगा।

(8) कलेक्टर, कमिश्नर और सचिव राजस्व परिषद नामिका वकीलों के सम्बन्ध में क्रमशः जिले में, मण्डलीय मुख्यालय में और राजस्व परिषद के मुख्यालय में गोपनीय पत्रावलियां रखेंगे और उसमें वर्षतः उन वकीलों की क्षमता, दक्षता, सत्यनिष्ठा और सामान्य कार्य के बारे में अभ्युक्तियां दर्ज करेंगे।

अधिवक्ताओं की अन्य शर्ते व निबन्धन (धारा 62 और 72)

74. धारा 72 के अन्तर्गत उल्लिखित अधिवक्तओं की नियुक्ति हेतु अन्य शर्ते एवं निबन्धन निम्न होंगे –

(क) प्रत्येक ऐसा अधिवक्ता आवश्यकता पड़ने पर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के प्रकरणों के संस्थित किये जाने, संचालित किये जाने और प्रतिवाद किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत की भूमि प्रबन्धक समिति को सलाह देगा।

(ख) यदि किसी वाद या कार्यवाही में ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या समिति के साथ राज्य सरकार भी पक्षकार हो तो, जब तक अन्यथा निदेश न दिया जाय, ऐसे निकायों के अधिवक्ता राज्य के हितों की भी रक्षा करेंगे।

(ग) ऐसे प्रत्येक अधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह उन सभी प्रकरणों के बारे में कलेक्टर को जानकारी दे जिसमें उसका यह समाधान हो जाय कि समिति का अध्यक्ष, सचिव या कोई अन्य सदस्य प्रतिपक्ष के साथ दुरभि सन्धि किया है अथवा मामले की पैरवी या

उसके संचालन में यथावश्यक रूचि नहीं ली है।

(घ) प्रत्येक ऐसे अधिवक्ता की मूल नियुक्ति तीन वर्ष के लिये होगी जिसे एक बार में तीन वर्ष की अग्रेतर अवधि के लिये नवीकृत किया जा सकेगा, शर्त यह है कि उसका कार्य, आचरण और सत्य निष्ठा सन्तोषजनक पायी जाये। परन्तु किसी समय बिना कोई कारण बताये नियुक्ति को समाप्त करना केवल नियुक्ति प्राधिकारी की स्वेच्छा पर होगा।

(ङ) कोई नामिका वकील कोई मामला तब तक संस्थित, प्रतिवाद या संचालित नहीं करेगा जब तक कि वह ऐसा करने के लिये, यथास्थिति, उपजिलाधिकारी या कलेक्टर या राजस्व परिषद या सरकार द्वारा प्राधिकृत न किया जाये। वह सरकार या उस जिले के जिसमें ग्राम पंचायत स्थित है, कलेक्टर की अनुज्ञा के बिना किसी ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या भूमि प्रबन्धक समिति जिसके लिये वह नियुक्त किया गया है के विरूद्ध मामले में उपस्थित होने के अयोग्य भी होगा। यह अनुज्ञा तभी दी जा सकती है जब उस पक्ष, जिसके लिये वह उपस्थित हो, और ग्राम पंचायत के बीच हित पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ता हो।

(च) नामिका वकीलों के अन्य कर्तव्य और उन पर कलेक्टर, आयुक्त, सचिव राजस्व परिषद अथवा सरकार, जैसी भी स्थिति हो, के नियन्त्रण और वादों एवं विधिक कार्यवाहियों के संचालन इस नियमावली की परिशिष्ट–II में समाविष्ट ग्राम पंचायत मुकदमों के संचालन के सम्बन्ध में अनुदेशों अथवा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों से शासित होंगे।

विशेष अधिवक्ता (धारा 73)

75. धारा 73 (2) में उल्लिखित प्रत्येक विशेष अधिवक्ता की नियुक्ति ऐसी विशेष शर्तों एवं निबन्धनों पर राज्य सरकार अथवा कलेक्टर द्वारा की जा सकती है जैसी कि प्रस्तुत वाद अथवा मामले की प्रकृति के दृष्टिगत उचित हों।

अधिवक्ताओं के कर्तव्य (धारा 72 व 73)

76. कोई भी अधिवक्ता जो धारा 72 एवं 73 में विनिर्दिष्ट है, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या समिति के तरफ से किसी भी वाद अथवा मामले में कोई करार अथवा समझौता नहीं करेगा या उसे वापस नहीं लेगा जब तक की धारा 62 में उल्लिखित उपबन्ध का अनुपालन न कर लिया जाय।

समिति की बैठकें

77. (1) समिति, अपने कार्यो तथा संहिता के अन्तर्गत अपने कर्तव्यों के

[धारा 59(5) और धारा 233(2) के खण्ड (नौ) से (पन्द्रह)]

निर्वहन के क्रम में आवश्यक बैठकें ऐसे अन्तराल पर जैसा वह समझती है, करेगी, किन्तु एक कैलेण्डर वर्ष में तीन बैठकों से कम बैठक नहीं होंगी जिसमें एक बैठक 15 मई से 15 जून के मध्य की जायेगी जिससे कि अगला कृषि वर्ष प्रारम्भ होने से पूर्व भूमि के आबंटन का कार्य पूर्ण हो जाय।

(2) ऐसी प्रत्येक बैठक अध्यक्ष द्वारा बुलायी जायेगी तथा इस आशय की नोटिस जिसमें बैठक का दिनांक, समय, स्थान तथा एजेण्डा सम्मिलित रहेगा और समिति के प्रत्येक सदस्य को कम से कम तीन दिन पूर्व तामील करायी जायेगी।

(3) ऐसी नोटिस समिति के प्रत्येक सदस्य को व्यक्तिगत रूप से तामील करायी जायेगी, ऐसा न हो पाने की दशा में उसके परिवार के किसी वयस्क सदस्य को तामील करायी जायेगी। यदि ऐसा तामीला सम्भव नहीं है तो नोटिस उसके आवास के किसी दृश्यमान स्थान पर चस्पा की जायेगी।

(4) प्रत्येक सदस्य के हस्ताक्षर अथवा अंगुष्ठ चिन्ह नोटिस की प्रति पर लिये जायेगें तथा उन्हें कार्यवाही रजिस्टर में चस्पा किया जायेगा।

(5) यदि समिति के कम से कम एक तिहाई सदस्यों के हस्ताक्षर से बैठक बुलाने का कोई प्रार्थना पत्र अध्यक्ष को प्राप्त होता है, तो अध्यक्ष आवश्यक रूप से इस प्रार्थना पत्र के प्राप्त होने के दस दिनों के अन्दर बैठक को बुलाये जाने के लिये बाध्य होंगे।

(6) अध्यक्ष, सदस्यों की सहमति से किसी व्यक्ति को किसी विशिष्ट बैठक में बिना मतदान के अधिकार का, परामर्शी के रूप में चुन सकता है।

समिति की बैठकों में कार्य का संचालन [धारा 59(5) तथा धारा 233(2) के खण्ड (नौ) से (पन्द्रह) तक]

78. (1) समिति की सभी बैठकों की अध्यक्षता अध्यक्ष करेगा तथा उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य बैठक के लिये अपने में से एक अध्यक्ष का चुनाव करेंगे।

(2) बैठकों का गणपूर्ति समिति के कुल सदस्यता के पचास प्रतिशत होगी, पर किसी स्थगित बैठक हेतु गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी, किन्तु उसके लिये सदस्यों को फिर से इसकी नई नोटिस दिया जाना आवश्यक होगा।

(3) सचिव प्रत्येक बैठक में लिये गये निर्णय का एक संक्षिप्त ब्यौरा हिन्दी भाषा में अभिलिखित रखेगा तथा **बी0पी0एस0 प्रपत्र–6 (पुराना**

बी0पी0एस0 प्रपत्र 2) में देवनागरी लिपि में लिपिबद्ध करेगा। प्रत्येक बैठक की कार्यवाही अगली बैठक में पढ़ी जायेगी तथा पुष्टि कराकर अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित करायी जायेगी।

(4) समिति के प्रभार में रखे गये खातों, रजिस्टर और सभी सम्पत्तियों के अद्यतन अभिलेख सचिव द्वारा रखे और अनुरक्षित किये जायेंगे जिसे एक कैलेण्डर वर्ष में उसे समिति के समक्ष दो बार जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त में किसी भी प्रकार की क्षति अथवा अन्तर को तत्काल उस क्षेत्र के राजस्व निरीक्षक के माध्यम से तहसीलदार की जानकारी में लाया जायेगा।

(5) किसी भी सम्पत्ति के अन्तरण अथवा पट्टे पर दिये जाने का कोई निर्णय किसी भी बैठक में नहीं लिया जायेगा जब तक कि उस बैठक के एजेण्डा में ऐसा प्रस्ताव विचार के लिये सम्मिलित न किया गया हो।

सचिव के कर्तव्य
[धारा 233(2)(सत्रह)]

79. सचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह समिति की प्रत्येक बैठक में भाग ले तथा विभिन्न रजिस्टर, अभिलेख व अन्य दस्तावेजों का जैसा कि इन नियमों में वर्णित है या राज्य सरकार या कलेक्टर द्वारा आपेक्षित है, को अनुरक्षित करे। इसके अतिरिक्त सचिव निम्न के लिये भी कर्तव्याबद्ध होगा –

(क) संहिता द्वारा तथा उक्त प्राधिकारियों द्वारा दिये गये सभी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

(ख) समिति द्वारा की गई कोई अनिमियतता अथवा लोप को उसकी जानकारी में लाये।

(ग) समिति द्वारा चाही गई समस्त सूचना देगा तथा किसी भी भू अभिलेख में किसी लेखे की प्रविष्टि के सम्बन्ध में प्रति निःशुल्क प्रदान करेगा (किन्तु ऐसी प्रति पर केवल समिति के कार्य हेतु लिखा जायेगा)

(घ) ग्राम पंचायत को सौपे गये समस्त सम्पत्तियों के सन्दर्भ में उसमें हुई कोई क्षति, अवैध अध्यासन या दुर्विनियोजन की सूचना तत्काल तहसीलदार के माध्यम से उपजिलाधिकारी/ कलेक्टर को देगा तथा उसकी प्रति अध्यक्ष को सूचनार्थ भेजेगा।

(ङ) समिति द्वारा निष्पादित किये गये सभी पट्टों का पंजीकरण या अभिप्रमाणीकरण विहित अवधि में करायेगा, तथा

(च) सभी ऐसे वादों में जिसमें ग्राम सभा, ग्राम पंचायत अथवा समिति

पक्षकार हो, पैरवी करना।

अभिलेख जो समिति द्वारा अनुरक्षित किये जाने हैं [धारा 233(2) खण्ड (चौदह) से (सत्रह) तक]

80. समिति निम्न अभिलेखों का अनुरक्षण करेगी :

(क) **बी0पी0एस0 (भूमि प्रबन्धक समिति) प्रपत्र–1** में उसकी सभी सम्पत्तियों का अभिलेख।

(ख) **बी0पी0एस0 प्रपत्र–2 (पुराना बी0पी0एस0 प्रपत्र 1–ए)** में भूमि प्रबन्धक समिति के कब्जे में पट्टा दी जाने वाली भूमि का तहसील रजिस्टर।

(ग) **बी0पी0एस0 प्रपत्र–3 (पुराना बी0पी0एस0 प्रपत्र 1–बी)** में फसली वर्ष 14–– में भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा पट्टे पर दी जाने वाली भूमि का विवरण।

(घ) 30 सितम्बर, 20.... को समाप्त होने वाले वर्ष में असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर/खातेदारों को पट्टे पर दी जाने वाली भूमि का विवरण **बी0पी0एस0 प्रपत्र–4 (पुराना बी0पी0एस0 प्रपत्र 1–सी)** में।

(ङ) भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा पट्टे पर दी गयी भूमि का विवरण **बी0पी0एस0 प्रपत्र–5 (पुराना बी0पी0एस0 प्रपत्र 1–डी)** में।

(च) कार्यवाही रजिस्टर, **बी0पी0एस0 प्रपत्र–6 (पुराना बी0पी0एस0 प्रपत्र 2)** में।

(छ) वृक्षों की कटाई के लिये परमिट **बी0पी0एस0 प्रपत्र–7 (पुराना बी0पी0एस0 प्रपत्र 2–ए)** में।

(ज) किसी भूमि में पट्टे की अनुमति का प्रतिपर्ण **आर0सी0 प्रपत्र–22** और **आर0सी0 प्रपत्र–23** में।

(झ) ग्राम पंचायत के असामियों की जमाबन्दी **आर0सी0 प्रपत्र–24** में।

(ञ) मांग और वसूली रजिस्टर **बी0पी0एस0 प्रपत्र–8 (पुराना बी0पी0एस0 प्रपत्र 3)** में।

(ट) ग्राम पंचायत देयों की वसूली का प्रमाणपत्र **बी0पी0एस0 प्रपत्र–9 (पुराना बी0पी0एस0 प्रपत्र 3–ए)** में।

(ठ) रसीद पुस्तकें **बी0पी0एस0 प्रपत्र–10 (पुराना बी0पी0एस0 प्रपत्र 4)** में।

(ड) कैश बुक **बी0पी0एस0 प्रपत्र–11 (पुराना बी0पी0एस0 प्रपत्र 5)** में।

(ढ) खर्चों का रजिस्टर **बी0पी0एस0 प्रपत्र–12 (पुराना बी0पी0एस0 प्रपत्र 6)** में।

(ण) कोई अन्य रजिस्टर जैसा कि राज्य सरकार अथवा परिषद द्वारा

आवश्यक बताया गया हो।

ग्राम पंचायत के असामियों के लिये जमाबन्दी

[धारा 233(2) खण्ड (नौ) से (सोलह)]

81. (1) प्रत्येक कृषि वर्ष की समाप्ति के तुरन्त बाद शीघ्र अतिशीघ्र लेखपाल अपने क्षेत्र का **आर0सी0 प्रपत्र–24** में ग्राम पंचायत के असामियों की जमाबन्दी तैयार करेगा जिसमें खरीफ तथा रबी फसलों का अलग–अलग लगान दर्ज होगा।

(2) ऐसी जमाबन्दी में लगान के अवशेष तथा पिछले वर्ष में यदि कोई अतिरिक्त वसूली की गई है, वह भी दर्ज की जायेगी।

(3) जमाबन्दी में समस्त प्रविष्टियों की जांच राजस्व निरीक्षक द्वारा की जायेगी तथा प्रत्येक सुधार पर उसके आद्यहस्ताक्षर होंगे।

(4) जमाबन्दी की पच्चीस प्रतिशत प्रविष्टियों की जांच नायब तहसीलदार द्वारा की जायेगी और उन पर उसके आद्यहस्ताक्षर होंगे, उनमें से पांच प्रतिशत प्रविष्टियों की तहसीलदार द्वारा जांच की जायेगी और उन पर उसके आद्यहस्ताक्षर किये जायेंगे तथा वह उपजिलाधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा जो खुद भी दो प्रतिशत प्रविष्टियों की जांच करेगा।

(5) इसके बाद जमाबन्दी प्रतिवर्ष पन्द्रह नवम्बर के पहले समिति के अध्यक्ष को सौंपी जायेगी।

(6) संग्रह और अवशेष का वार्षिक लेखा भी लेखपाल द्वारा भू–राजस्व संग्रह की रीति से तैयार किया जायेगा।

राज्य सरकार के आदेश व निर्देश

(धारा 70)

82. (1) समिति के लिये संहिता की धारा 70 के अन्तर्गत राज्य सरकार के सभी आदेश कलेक्टर के माध्यम से जारी किये जायेंगे।

(2) उक्त उपबन्ध के अन्तर्गत कलेक्टर के आदेश और निदेश राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये आदेश व निदेश से असंगत नहीं होंगे।

(3) राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये सभी आदेशों और निदेशों को अलग से मुद्रित और संकलित कराया जा सकेगा।

अध्याय–नौ

भू–धृति

क्षेत्रफल का निर्धारण [धारा 76(1)(घघ) का परन्तुक]

83. वह क्षेत्र जिसमें संहिता की धारा 76(1)(घघ) के अन्तर्गत असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर को अधिकार उत्पन्न होगा, उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 में दिये गये सिद्धान्तों के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।

लोक उपयोगिता की भूमि का श्रेणी परिवर्तन (धारा 77)

84. (1) जब धारा 77 के परन्तुक के अन्तर्गत किसी लोक उपयोगिता की भूमि के श्रेणी परिवर्तन की मांग की जाती है, तो आवश्यक आग्रह कलेक्टर के माध्यम से राज्य सरकार को प्रेषित किया जायेगा जिसमें भूमि का विवरण, उसके उपयोग की प्रकृति और परिवर्तन के लिये औचित्य का उल्लेख होगा।

(2) किसी लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी अपवादात्मक प्रकरणों में तभी परिवर्तित की जायेगी जब राज्य सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि भूमि का श्रेणी परिवर्तन जनहित में आवश्यक है।

(3) राज्य सरकार रूपान्तरण या बिना रूपान्तरण के आग्रह को स्वीकार कर सकती है और ऐसी शर्तें और निर्बन्धन अधिरोपित कर सकती है जो वह आवश्यक समझे। कलेक्टर उसके बाद भूमि की श्रेणी में परिवर्तन का सम्यक प्रचार करेगा और अभिलेख को तद्नुसार दुरूस्त किये जाने का निदेश देगा।

उद्घोषणा के लिए आवेदन (धारा 80)

85. (1) सक्रंमणीय अधिकार वाला भूमिधर जो अपने जोत या उसके किसी भाग के उपयोग कृषि से जुड़े हुये कार्यों में नहीं कर रहा है तो वह संहिता की धारा 80(1) के अन्तर्गत **आर0सी0 प्रपत्र–25** में उपजिलाधिकारी को उसकी उद्घोषणा हेतु आवेदन कर सकता है।

(2) आवेदक उद्घोषणा शुल्क की आवश्यक रकम जमा करेगा जो कि सम्बन्धित जिले के कलेक्टर द्वारा कृषि प्रयोजन के लिये निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार आगणित रकम का एक प्रतिशत अथवा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा नियत दर के अनुसार होगा।

(3) उपनियम (1) के अन्तर्गत यदि उपजिलाधिकारी को आवेदन प्राप्त होता है तो वह राजस्व अधिकारी जो राजस्व निरीक्षक के पद से नीचे का नहीं होगा, से अपना यह समाधान करने के लिये जांच करायेगा कि उस सम्पूर्ण जोत अथवा उसके किसी भाग पर कृषि से जुड़ा हुआ कोई कार्य नहीं हो रहा है। सम्बन्धित राजस्व अधिकारी मौका मुआईना

कर यह आख्या उपजिलाधिकारी को प्रस्तुत करेगा की जोत अथवा उसका भाग वास्तव में किस प्रयोजन के लिये प्रयोग में लाया जा रहा है।

भूमिधर को सूचना (धारा 80)

86. जब धारा 80(1) के अन्तर्गत कार्यवाही उपजिलाधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से प्रारम्भ की गयी हो वहां, वह सम्बन्धित भूमिधर को नोटिस देगा और भूमिधर द्वारा उस नोटिस के जवाब, यदि कोई हो, दिये जाने के पश्चात् नियम 85(3) के अन्तर्गत जांच कर आख्या प्रस्तुत की जायेगी।

घोषणा का किया जाना (धारा 80)

87. यदि राजस्व अधिकारी की आख्या की परीक्षण करने के बाद उपजिलाधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि :

(क) सम्पूर्ण जोत पर कृषि से सम्बन्धित कार्य नहीं हो रहा है; और

(ख) धारा 80(4) में उल्लिखित शर्तें पूरी हो रही हैं तब वह धारा 80(1) के अन्तर्गत ऐसी जोत के सम्बन्ध में उद्घोषणा करेगा।

भू–राजस्व का विभाजन (धारा 80)

88. (1) यदि संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर द्वारा अपनी जोत के केवल किसी भाग का प्रयोग कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिये किया जा रहा है और उपजिलाधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि धारा 80(1) के द्वितीय परन्तुक के उपबन्धों का उल्लंघन नहीं है, तो वह केवल ऐसे भाग के सम्बन्ध में उद्घोषणा कर सकेगा, बशर्ते कि नियम 22 के उपनियम (2) के अनुसार विभाजन का खर्च ऐसी घोषणा के पहले भूमिधर द्वारा जमा कर दी गयी हो।

(2) जहां उपजिलाधिकारी जोत के किसी भाग के सम्बन्ध में घोषणा के लिये स्वप्रेरणा से कार्यवाही करता है वहां ऐसे सीमांकन का खर्च उपजिलाधिकारी द्वारा भू–राजस्व के बकाये की भांति वसूला जायेगा।

(3) उपनियम (1) अथवा उपनियम (2) के अन्तर्गत घोषणा के प्रत्येक प्रकरण में विद्यमान सर्वे मानचित्र के आधार पर सीमांकन किया जायेगा और उपजिलाधिकारी ऐसे भूमिधर द्वारा देय भू–राजस्व का विभाजन करेगा।

(4) उपजिलाधिकारी आवेदन के दर्ज किये जाने के दिनांक से पैंतालीस दिनों की अवधि के अन्दर धारा 80 की उपधारा (1) के अन्तर्गत उद्घोषणा की कार्यवाही को पूर्ण करने का प्रयास करेगा और यदि कार्यवाही ऐसी अवधि के अन्दर पूर्ण नहीं की जाती है तो उसका कारण अभिलिखित किया जायेगा।

उद्घोषणा का निरस्तीकरण (धारा 82)

89. जहां कि किसी जोत या उसके किसी भाग की उदघोषणा, धारा 80 तथा पुराने उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 143 की गई है, उस जोत अथवा उसके किसी भाग पर पुनः कृषि से सम्बन्धित कार्य शुरू कर दिया जाता है तो, धारा 82 के अन्तर्गत उद्घोषणा को रदद् किये जाने हेतु आवश्यक आवेदन **आर0सी0 प्रपत्र–26** में प्रस्तुत किया जा सकता है।

निरस्तीकरण के पूर्व जांच (धारा 82)

90. नियम 89 के अन्तर्गत आवेदन प्राप्त होने पर, उपजिलाधिकारी धारा 82 के अनुसार उद्घोषणा निरस्त करने के पहले जांच करेगा और नियम 85 लगायत 88 में दी गयी प्रक्रिया का पालन करेगा।

उद्घोषणा एवं निरस्तीकरण का ढंग (धारा 83)

91. (1) धारा 80 के अन्तर्गत की गयी एवं धारा 82 के अन्तर्गत रदद् की गयी प्रत्येक घोषणा उप खण्ड अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित की जाएगी और उस पर उनके न्यायालय की मुहर लगी होगी तथा निम्न विशिष्टियों से युक्त होगीः

(क) धारा जिसके अन्तर्गत की गयी हो।

(ख) भूखण्ड की संख्या तथा क्षेत्रफल जिसके सम्बन्ध में किया गया हो।

(ग) प्रश्नगत भूखण्डों का भू–राजस्व, यदि कोई हो तो।

(घ) ग्राम, तहसील एवं जिले का नाम जिसमें भूखण्ड स्थित है।

(ङ) भूमिधर का नाम, पितृनाम तथा पता जिसके पक्ष में घोषणा हुई है।

(च) घोषणा का दिनांक।

(2) रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 के अन्तर्गत ऐसी घोषणा को पंजीकृत करना जरूरी नहीं होगा, परन्तु उसे अधिकार अभिलेख में अभिलिखित करना होगा।

ब्याज दर (धारा 82)

92. जब कब्जे के साथ बंधक को धारा 82(2) के खण्ड (ग) के परन्तुक के अन्तर्गत सामान्य बंधक से प्रतिस्थापित किया जाता है तो ऐसा सामान्य बंधक चार प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज वहन करेगा।

उद्घोषणा अथवा निरस्तीकरण का दर्ज किया जाना (धारा 83)

93. धारा 80 के अन्तर्गत प्रत्येक घोषणा अथवा धारा 82 के अन्तर्गत निरस्तीकरण को अधिकार अभिलेख में दर्ज किया जायेगा और धारा 80 के अन्तर्गत घोषणा के बाद भी अन्तरण अथवा उत्तराधिकार के आधार पर नामांतरण आदेश इस नियमावली के अध्याय पांच में विहित रीति से पारित किया जायेगा।

5.0586 हेक्टेअर से अधिक भूमि के अर्जन के लिये आवेदन [धारा 89(3)]

94. (1) राज्य सरकार साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा धारा 89(2) में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक भूमि के अर्जन के लिये किसी व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकती है, यदि ऐसा अर्जन –

(क) दान अथवा औद्यौगिक उद्देश्य हेतु; और

(ख) रजिस्टर्ड समिति या कम्पनी या अन्य निगम या शैक्षणिक संस्थान या पूर्व संस्थान के पक्ष में; और

(ग) उसकी राय में सार्वजनिक हित में हो।

(2) यदि किसी विशेष प्रकरण में, कोई व्यक्ति धारा 89(2) में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक भूमि को अर्जित करना चाहता है, तो वह राजस्व विभाग में सचिव, राज्य सरकार को निम्नलिखित विशिष्टताओं को विनिर्दिष्ट करते हुये आवेदन प्रस्तुत करेगा :–

(क) आवेदक का नाम एवं पता (यदि आवेदक विधिक व्यक्ति है, तो ऐसे व्यक्ति का विस्तृत ब्यौरा/विवरण);

(ख) अर्जन की जाने वाली सम्पत्ति का ब्यौरा;

(ग) व्यक्ति का नाम तथा पता जिससे भूमि अर्जन की जानी है;

(घ) अर्जन की रीति (विक्रय, दान आदि);

(ङ) विक्रय प्रतिफल, यदि कोई हो;

(च) अर्जन का प्रयोजन;

(छ) कोई अन्य सूचना जो सुसंगत समझी जाय;

(3) उपनियम (2) के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पर राज्य सरकार जांच कर सकती है और यदि वह इस राय का हो कि धारा 89(3) में विनिर्दिष्ट शर्तें पूर्ण हैं, तो वह अपेक्षित अनुमति शर्तों या प्रतिबंधों के साथ अथवा उसके बिना दे सकती है।

(4) यदि राज्य सरकार धारा 89(3) के अन्तर्गत अनुमति देती है तो उसकी एक प्रति सम्बन्धित जिले के कलेक्टर को भेजेगी।

भूमि के अर्जन की अनुज्ञा के लिये आवेदन (धारा 90)

95. भारतीय नागरिक से भिन्न व्यक्ति द्वारा धारा 90 के अन्तर्गत भूमि के अर्जन की अनुज्ञा के लिये प्रत्येक आवेदन राजस्व विभाग में सचिव, राज्य सरकार को दिया जाएगा और निम्न विशिष्टियों से युक्त होगा–

(क) आवेदक का नाम, पितृनाम तथा पता;

(ख) पासपोर्ट के अग्रभाग की प्रति (जिसमें जारी करने वाले अधिकारी का नम्बर तथा नाम दिखे);

(ग) क्या भारत में निवास करते हैं? यदि हाँ, तो कब से?

(घ) यदि भारत से बाहर रहते हैं, तो उन देशों का नाम जिसमें वह पिछले पांच वर्षों से रह रहा था;

(ङ) भूमि का ब्यौरा जिसके लिये अनुमति मांगी गयी है;

(च) उस व्यक्ति का नाम, पितृनाम तथा पता जिसकी भूमि का अर्जन चाहा गया है;

(छ) अर्जन की रीति (विक्रय, दान आदि) यदि यह विक्रय है, तो विक्रय मूल्य की राशि;

(ज) भूमि के अर्जन का उद्देश्य;

(झ) यदि किसी कम्पनी या संघ या किसी अन्य निकाय द्वारा भूमि का अर्जन चाहा गया है, तो इसके सदस्यों का नाम एवं पता सहित ब्यौरा;

राज्य सरकार द्वारा जांच (धारा 90)

96. (1) नियम 95 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पर राज्य सरकार आवेदन स्वीकृत या खारिज करने के पूर्व ऐसी जांच कर सकती है, जैसा वह आवश्यक समझे।

(2) यदि धारा 90 के अन्तर्गत आवेदन स्वीकार किया जाता है, तो राज्य सरकार उस जिले के कलेक्टर जहां प्रश्नगत भूमि स्थित है, को भी सूचित करेगा।

(3) इस नियम के अन्तर्गत जांच करने के पूर्व राज्य सरकार आवेदक को जांच के ऐसे व्यय को अदा करने के लिये समय–समय पर जारी शासनादेश द्वारा अपेक्षित ऐसा शुल्क जमा करने को कहेगा जैसा वह उचित समझे।

संव्यवहार जिसे विक्रय समझा जायेगा (धारा 93)

97. (1) जैसे ही लेखपाल को ऐसे संव्यवहार, जिसे धारा 93 के अन्तर्गत विक्रय समझा जायेगा, का ज्ञान हो जाता है वह सहायक कलेक्टर को निम्न विशिष्टयों को विनिर्दिष्ट करते हुये आख्या प्रस्तुत करेगा –

(क) अंतरक एवं अंतरिती के नाम, पितृनाम और पते;

(ख) अंतरित भूमि की संख्या, क्षेत्रफल तथा अन्य विवरण;

(ग) कब्जे के अंतरण का दिनांक;

(घ) ऐसे अंतरण की प्रकृति;

(2) लेखपाल की आख्या प्राप्त होने पर अथवा अन्यथा प्राप्त सूचना पर, सहायक कलेक्टर संव्यवहार के पक्षकार को कारण बताने के लिये बुलाएगा कि क्यों न प्रश्नगत भूमि के संबंध में धारा 93 (सपठित धारा 103 व 104) के अन्तर्गत कार्यवाही की जाए।

(3) पक्षकारों को सुनने के बाद एवं ऐसी अतिरिक्त जांच के बाद जैसा

वह आवश्यक समझे, सहायक कलेक्टर उपयुक्त आदेश पारित करेगा और यदि आवश्यक हो तो तद्नुसार अभिलेखों को ठीक किये जाने हेतु निर्देशित करेगा।

भूमि का पट्टा (धारा 95 एवं 97)

98. (1) संहिता की धारा 95 के खण्ड (क) से (ज) और खण्ड (ञ) में उल्लिखित कोई व्यक्ति अथवा कोई व्यक्ति जो किसी लोक या व्यक्तिगत सेवा, कारबार, व्यापार अथवा वृत्ति में होने के कारण अथवा संसद या राज्य विधानमण्डल का निर्वाचित या मनोनीत सदस्य होने के कारण अपनी जोत में खेती करने में असमर्थ है, वह अपनी सम्पूर्ण जोत या उसके भाग को एक बार में तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिये पट्टे पर दे सकेगा।

(2) भूमि का प्रत्येक पट्टा, जिसका धारा 94 अथवा धारा 95 के अन्तर्गत वार्षिक किराया रूपया 100 से अधिक हो, केवल रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा निष्पादित किया जाएगा।

(3) ऐसा प्रत्येक पट्टा जिसका वार्षिक किराया रूपया 100 या उससे कम हो, राजस्व अधिकारी, जिसकी श्रेणी संबंधित क्षेत्र के राजस्व निरीक्षक से नीचे न हो, द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है।

(4) इस नियम के अन्तर्गत राजस्व अधिकारी द्वारा प्रत्येक प्रमाणन यथा सम्भव निम्न रूप में होना चाहिये :–

'पट्टे का यह विलेख मेरे समक्ष दिनांक को नीचे विनिर्दिष्ट लोगों द्वारा प्रस्तुत किया गया। उनकी पहचान को लेकर मैं संतुष्ट हूँ और वे पट्टे की शर्तों पर सहमत हैं।

1. पट्टाकर्ता का नाम तथा पता :.....

2. पट्टेदार का नाम तथा पता :.....

3. साक्षियों/गवाह के नाम तथा पता

(क) .....

(ख) .....

प्रमाणन अधिकारी के हस्ताक्षर

(5) प्रमाणन अधिकारी द्वारा प्रमाणित सभी पट्टों का अभिलेख सुरक्षित रखा जायेगा।

अनुसूचित जाति के भूमिधर की भूमि के अन्तरण के लिये

99. (1) धारा 98(1) के अन्तर्गत अथवा धारा 98(1) सपठित धारा 107 के अन्तर्गत विक्रय अथवा दान द्वारा भूमि अन्तरण की अनुज्ञा के लिये या भूमि की वसीयत करने के लिये अनुज्ञा के लिये, जैसी भी स्थिति हो,

कलेक्टर की अनुज्ञा (धारा 98)

आवेदन अनुसूचित जाति से सम्बन्धित संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर द्वारा **आर0सी0 प्रपत्र–27** में कलेक्टर को दिया जायेगा।

(2) अनुसूचित जाति से सम्बन्धित भूमिधर भूमि में अपने हित का बन्धक करने की अनुज्ञा के लिये धारा 98(1) के अन्तर्गत आवेदन **आर0सी0 प्रपत्र–28** में कलेक्टर को करेगा।

(3) अनुसूचित जाति से सम्बन्धित भूमिधर भूमि को पट्टे पर उठाने की अनुज्ञा के लिये धारा 98(1) के अन्तर्गत आवेदन **आर0सी0 प्रपत्र–29** में कलेक्टर को देगा।

(4) धारा 98(1) के अन्तर्गत आवेदन प्राप्त होने पर कलेक्टर ऐसी जांच करेगा जैसी वह प्रकरण की परिस्थितियों में आवश्यक समझे। वह नायब तहसीलदार से अन्यून श्रेणी के किसी अधिकारी को भी निम्न जांच के लिये प्रतिनियुक्त कर सकता है :–

(क) आवेदन में दिये गये तथ्यों का सत्यापन; और

(ख) उन परिस्थितियों की आख्या जिनमें अन्तरण की अनुमति चाही गयी है।

(5) इस नियम के उपनियम (4) में अभिदिष्ट जांच अधिकारी ऐसी जांच के आदेश को प्राप्त करने के दिनांक से पन्द्रह दिनों की अवधि के अन्दर दो प्रतियों में आख्या प्रेषित करेगा।

(6) आख्या की एक प्रति आवेदक को निःशुल्क कलेक्टर के कार्यालय से, जहां पर ऐसी आख्या प्रेषित की गयी है, दी जायेगी।

(7) आवेदक आख्या की प्रति प्राप्त करने के दिनांक से सात दिनों की अवधि के अन्दर जांच अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्या के विरूद्ध आपत्ति दाखिल कर सकेगा।

(8) यदि उपनियम (3) के अन्तर्गत प्रेषित की गयी आख्या और आपत्ति, यदि कोई हो, प्राप्त करने के बाद कलेक्टर का यह समाधान हो जाता है कि–

(क) धारा 98 की उपधारा (1) के खण्ड (क) अथवा खण्ड (ख) की शर्तें पूर्ण हैं; अथवा

(ख) खातेदार अथवा उसके परिवार का कोई सदस्य किसी घातक बीमारी से ग्रस्त है, जिसके सम्बन्ध में सम्बन्धित बीमारी में विशेषज्ञ किसी फ़िज़ीशियन अथवा शल्य चिकित्सक द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया है, और ऐसी बीमारी के उपचार के लिये व्ययों को पूरा

करने के लिये अन्तरण की अनुज्ञा आवश्यक है; अथवा

(ग) आवेदक प्रस्तावित अन्तरण के प्रतिफल से किसी अन्य भूमि को क्रय करने के लिये ऐसे प्रस्तावित अन्तरण हेतु संहिता की धारा 98(1) के अन्तर्गत अनुज्ञा की माँग कर रहा है और आवेदन में इस सम्बन्ध में दिये गये तथ्य आवेदक के पक्ष में रजिस्ट्रीकृत विक्रय करार की सत्यापित प्रति से समर्थित हैं; अथवा

(घ) आवेदन के दिनांक पर आवेदक द्वारा धृत भूमि का क्षेत्रफल, ऐसे अन्तरण के बाद, 1.26 हेक्टेअर से कम नहीं होगा, और

(ङ) यदि, जहां विक्रय द्वारा अन्तरण के लिये अनुज्ञा की मांग की जा रही है, भूमि के अन्तरण के लिये प्रतिफल कलेक्टर द्वारा नियत सर्किल रेट के अनुसार आगणित रकम से कम नहीं है;

तो वह कारण अभिलिखित करते हुये अनुज्ञा प्रदान कर सकेगा।

स्पष्टीकरण :– सन्देह के निवारण के लिये एतदद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि इस उपनियम के खण्ड (घ) में उल्लिखित शर्त पूर्ण नहीं है लेकिन इस उपनियम के खण्ड (क) से (ग) में उल्लिखित कोई शर्त पूर्ण है तो कलेक्टर संहिता की धारा 98(1) के अन्तर्गत अनुज्ञा दे सकता है।

(9) भूमि को पट्टे पर देने या बन्धक रखने, जैसी भी स्थिति हो, के लिये नियम 99 के उपनियम (2) अथवा उपनियम (3) में अभिदिष्ट आवेदन, कलेक्टर द्वारा उसके यह समाधान होने पर अनुज्ञात किया जा सकता है कि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति से सम्बन्धित व्यक्ति के पक्ष में बन्धक अथवा पट्टे पर दिया जाना, जैसी भी स्थिति हो, सम्भव नहीं है।

(10) भूमि की वसीयत करने के लिये अनुज्ञा हेतु नियम 99 के उपनियम (1) में अभिदिष्ट आवेदन कलेक्टर द्वारा उसके यह समाधान हो जाने पर अनुज्ञात किया जा सकता है कि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति से सम्बन्धित व्यक्ति के पक्ष में भूमि की वसीयत सम्भव नहीं थी।

(11) कलेक्टर जांच अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्या प्राप्त करने के दिनांक से 15 दिनों की अवधि के भीतर धारा 98(1) के अन्तर्गत आवेदन निस्तारित करने का प्रयास करेगा और यदि ऐसी अवधि के अन्दर आवेदन का निस्तारण नहीं होता है तो उसके लिये कारण

अभिलिखित करना होगा।

भूमिधरों के मध्य विनियम के लिये आवेदन (धारा 101)

100. (1) दो भूमिधरों के मध्य भूमि के विनियम के आवेदन में निम्न विशिष्टतायें अन्तर्विष्ट होंगी –

(क) विनियम के दोनों पक्षकारों का नाम, पितृनाम तथा पता।

(ख) विनियम में दी जाने वाली एवं प्राप्त की जाने वाली भूमि का ब्यौरा (भूखण्ड संख्या, क्षेत्रफल, अवस्थिति तथा भू–राजस्व)।

(ग) क्या प्रस्तावित विनियम जोतों की चकबन्दी अथवा खेती की सुविधा के लिये आवश्यक है?

(घ) क्या प्रस्तावित विनियम में भूमि पर अविभाजित हित सम्मिलित है?

(ड़) क्या भूमि अथवा उसका कोई भाग पट्टे पर दिया गया है अथवा विल्लंगामित है?

(च) विनिमय में दी गयी एवं प्राप्त होने वाली भूमि का मूल्यांकन और ऐसे मूल्यांकन में अन्तर की मात्रा।

(छ) विनियम में दी गयी एवं प्राप्त होने वाली भूमि का क्षेत्रफल एवं ऐसे क्षेत्रफल में अंतर की मात्रा।

(ज) क्या विनियम की गयी एवं प्राप्त भूमि उसी अथवा उसी तहसील के संलग्न गांव में स्थित है?

(2) ऐसे प्रत्येक आवेदन के साथ विनियम में दिये जाने एवं प्राप्त किये जाने वाले भूखण्डों से सम्बन्धित खतौनी की प्रमाणित प्रतियां भी संलग्न होंगी।

ग्राम पंचायत की भूमि के विनिमय के लिए आवेदन (धारा 101)

101. (1) धारा 101(1) के खण्ड (ख) के अधीन भूमिधर द्वारा विनिमय के लिए दिये गये प्रत्येक आवेदन में निम्नलिखित विवरण होंगे –

(क) नियम 100(1) में विनिर्दिष्ट विवरण;

(ख) क्या ग्राम पंचायत से विनिमय में प्राप्त की जाने वाली भूमि नियोजित उपयोग के लिये आरक्षित है अथवा ऐसी भूमि है जिसमें भूमिधरी अधिकार उद्‌भूत नहीं होता है।

(ग) क्या ग्राम पंचायत से विनिमय में प्राप्त की जाने वाली भूमि पर कोई वृक्ष या आस्तियां हैं यदि हाँ तो उसका विवरण।

(2) ऐसे सभी आवेदनों के साथ विनिमय में प्राप्त व दिये जाने वाले भूखण्डों की प्रमाणित खतौनी व भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा ऐसे विनिमय के पक्ष में पारित किये गये प्रस्ताव की प्रति संलग्न की जायेगी।

उपजिलाधिकारी द्वारा विनिमय की अनुमति प्रदान किया जाना (धारा 101 और 102)

102. (1) नियम 100 अथवा नियम 101 के अन्तर्गत आवेदन प्राप्त होने पर उपजिलाधिकारी भूमिधर या सम्बन्धित ग्राम पंचायत को इस आशय का कारण बताओ नोटिस जारी करेगा कि क्यों न विनिमय की अनुमति प्रदान कर दी जाय?

(2) उपजिलाधिकारी विनिमय में ली या दी जाने वाली भूमि के बाजार मूल्य का आगणन करायेगा और यदि कोई पट्टाधारक, बन्धकदार या अन्य कोई भारधारक यदि कोई हो तो सुनवाई करेगा।

(3) आवश्यक जांच करने के पश्चात यदि उपजिलाधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि कि पक्षकार ऐसे विनिमय के लिए सहमत है और धारा 101(2) के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं है तो वह ऐसे विनिमय की अनुमति देगा और तदनुसार अधिकार अभिलेख (खतौनी) में संशोधन करने के लिए निदेश देगा।

(4) यदि उपधारा (1) के खण्ड (ख) में अभिदिष्ट भूमि के सम्बन्ध में आवेदन है और यदि वह नियोजित प्रयोग के लिये आरक्षित है अथवा ऐसी भूमि है जिसमें भूमिधरी अधिकार उद्‌भूत नहीं होते हैं और उपजिलाधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि विनिमय की अनुज्ञा आवेदक के हित में और जनहित में भी है तो वह मामले को समुचित आदेश के लिये राज्य सरकार को सन्दर्भित कर सकेगा और यदि राज्य सरकार द्वारा अनुज्ञा प्रदान की जाती है तो उपजिलाधिकारी अधिकार अभिलेख (खतौनी) को तदनुसार संशोधित करने का निदेश देगा।

संहिता के उपबन्धों के उल्लंघन में अन्तरण (धारा 105)

103. (1) यदि किसी भूमिधर या असामी ने किसी जोत या उसके हिस्से से सम्बन्धित अपने हितों का अन्तरण किया है, जो धारा 104 के अन्तर्गत शून्य है तो लेखपाल अविलंब नियम 97(1) में विहित विवरणों सहित अपनी आख्या उपजिलाधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(2) उपनियम (1) के अन्तर्गत लेखपाल की आख्या प्राप्त होने पर अथवा अन्य प्रकार से सूचना प्राप्त होने पर उपजिलाधिकारी पक्षकारों को तलब करेगा कि क्यों न प्रश्नगत भूमि के अन्तरण के सम्बन्ध में धारा 104 सपठित धारा 105 के अधीन कार्यवाही कर दी जाय।

(3) पक्षकारों को सुनने एवं आवश्यक जांच करने के पश्चात यदि उपजिलाधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि प्रश्नगत अन्तरण धारा 104 के अधीन शून्य है तो वह घोषित करेगा कि –

(क) ऐसे अन्तरण की विषयवस्तु राज्य सरकार में निहित हो जायेगी;

(ख) जोत या उसके किसी हिस्से पर स्थित वृक्ष, फसल व अन्य आस्तियां समस्त भारों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित हो जायेंगी; और

(ग) अन्तरिती और अन्तरक के समस्त हित ऐसे अन्तरण के दिनांक से समाप्त हो गये।

(4) उपजिलाधिकारी राजस्व अभिलेखों को तद्नुसार संशोधित करने का निदेश देगा और जहां इस संहिता के प्रावधानों के उल्लंघन में किया गया अन्तरण किसी जोत के अंश से सम्बन्धित है तो वह अध्याय–ग्यारह में वर्णित नियमों के अनुसार अन्तरणकर्ता के पास बची हुई भूमि का भू–राजस्व निर्धारित करेगा।

(5) इस नियम के अधीन उपजिलाधिकारी द्वारा पारित प्रत्येक आदेश आवश्यक कार्यवाही के लिए समिति को पृष्ठांकित किया जायेगा।

(6) जहां धारा 105 में वर्णित कोई सम्पत्ति राज्य सरकार में निहित हो गयी है वहां कलेक्टर ऐसी सम्पत्ति पर किसी व्यक्ति के अवैध कब्जे को खाली करायेगा और सम्बन्धित ग्राम पंचायत को उक्त सम्पत्ति का कब्जा सौंपेगा।

अनुसूचित जाति से सम्बन्धित भूमिधर द्वारा वसीयत [(धारा 107(2)]

104. (1) यदि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित कोई संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर अपने द्वारा धारित भूमि की वसीयत ऐसे व्यक्ति के पक्ष में करना चाहता है जो ऐसी जाति या जनजाति से सम्बन्धित नहीं है, तो वह धारा 107(2) के अधीन अनुज्ञा दिये जाने के लिये आवेदन कर सकेगा।

(2) ऐसी अनुमति प्रदान किये जाने के पूर्व कलेक्टर उन परिस्थितियों की जांच करेगा कि आवेदक ऐसे व्यक्ति के पक्ष में वसीयत क्यों करना चाहता है, जो उस जाति या जनजाति से सम्बन्धित नहीं है और अज्ञापक आदेश द्वारा आवेदन को अनुज्ञात अथवा नामंजूर कर सकेगा।

भूमि का पट्टा (धारा 115)

105. (1) जहां कोई भूमिधर या ग्राम पंचायत का असामी अपने ज्ञात वारिस को छोड़े बिना मर गया हो और उपजिलाधिकारी ने ऐसे भूमिधर या असामी की भूमि पर कब्जा प्राप्त कर लिया हो, उपजिलाधिकारी एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए तहसील पर लोक नीलामी द्वारा भूमि को किराये पर दे सकेगा।

(2) नोटिस जिसमें दिनांक, स्थान तथा किराये पर उठाये जाने वाली भूमि का विवरण हो, तहसील के सूचना पट पर चस्पा की जायेगी और उस ग्राम में जहां भूमि स्थित है, डुग्गी पीटकर मुनादी भी करायी जायेगी।

(3) नीलामी में सबसे ऊँची बोली लगाने वाले को बोली की 25 प्रतिशत धनराशि मौके पर ही जमा करनी पड़ेगी तथा शेष धनराशि एक सप्ताह के अन्दर जमा करनी होगी।

(4) यदि उपनियम (3) में विहित अवधि के अन्तर्गत अवशेष धनराशि जमा नहीं की जाती है तो नये सिरे से पुनः नीलामी करायी जायेगी और 25 प्रतिशत जमा धनराशि राज्य सरकार के पक्ष में जब्त मानी जायेगी।

(5) यदि विहित समय सीमा के अन्तर्गत अवशेष धनराशि जमा करा दी जाती है तो सबसे ऊँची बोली लगाने वाला व्यक्ति अगले 30 जून की अवधि की समाप्ति तक भूमि पर खेती कर सकेगा। इसी प्रकार अगले कृषि वर्ष के लिए नयी नीलामी का आयोजन किया जायेगा।

(6) पट्टे की अवधि के दौरान पट्टाधारक, नीलामी प्रतिफल के अतिरिक्त किराये पर उठायी गयी भूमि के भू–राजस्व की अदायगी के लिए भी बाध्य होगा।

(7) ऐसे पट्टे की अवधि की समाप्ति पर पट्टाधारक भूमि को खाली कर देगा तथा असफल रहने पर उपजिलाधिकारी आवश्यक बल प्रयोग करके भूमि खाली करा सकेगा।

दावाकर्ता को भूमि का पुनर्स्थापन
(धारा 115)

106. (1) धारा 115(3) में विहित समय सीमा के अन्दर यदि कोई दावाकर्ता सम्बन्धित भूमि पर कब्जे को पुनर्स्थापित करने हेतु आवेदन करता है तो उपजिलाधिकारी तहसीलदार से विस्तृत आख्या मंगायेगा और आवेदक या अन्य हितबद्ध व्यक्ति (भूमि प्रबन्धक समिति सहित) को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के पश्चात आवेदक के दावे को निर्णीत करेगा।

(2) यदि ऐसा दावा निरस्त किया जाता है तो उपजिलाधिकारी नियम 105(1) के अनुसार भूमि को किराये पर उठाने के लिए कार्यवाही जारी रखेगा, लेकिन यदि दावा स्वीकार कर लिया जाता है अथवा दावाकर्ता का दावा धारा 115(4) के अधीन डिक्री कर दिया जाता है तो उपजिलाधिकारी धारा 115(7) के क्रम में आवश्यक आदेश पारित

करेगा।

जोतों का विभाजन

जोतों के विभाजन के लिये वाद
(धारा 116)

107. जोत के विभाजन के प्रत्येक वाद पत्र में (वृक्ष, कुंआ और अन्य आस्तियों सहित) निम्नलिखित विवरण सम्मिलित होंगे–

1. वादी का नाम, पितृनाम व पता;
2. जोत में अन्य सह–खातेदारों के नाम, पितृनाम व पता;
3. वादी द्वारा दावा किया गया अंश;
4. अन्य सह–खातेदारों का अंश;
5. जोत की खसरा संख्याओं, क्षेत्रफल और भू–राजस्व सहित विस्तृत विवरण;
6. वादी अभिलिखित अथवा अनाभिलिखित खातेदार है।

नोट– वादी के वाद पत्र के साथ खतौनी व अन्य अभिलेखों, जिस पर वाद पत्र आधारित है, की सत्यापित प्रतियां संलग्न होंगी।

विभिन्न जोतों के विभाजन के लिये वाद
(धारा 116)

108. जहां एक से अधिक जोतों के लिये वाद हो, वहां नियम 107 में वर्णित विभाजन के विवरण, वाद पत्र में सभी जोतों के लिये दिया जायेगा।

प्रारम्भिक एवं अन्तिम डिक्री
(धारा 117)

109. (1) यदि वाद पत्र नियम 107 अथवा नियम 108 के अनुसार है तो इसे दावे के रूप में दर्ज रजिस्टर कर लिया जायेगा और प्रतिवादीगण को अपना लिखित अभिकथन दाखिल करने के लिए बुलाया जायेगा। तब ऐसे दावे का निस्तारण सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

(2) विभाजन करने के पहले न्यायालय–

(क) वादी और अन्य सह–खातेदारों में प्रत्येक का अंश अलग–अलग निर्धारित करेगा;

(ख) यह अभिलिखित करेगा कि कौन–कौन से खातेदार, यदि कोई हों, संयुक्त बने रहना चाहते हैं; और

(ग) जोत में प्रत्येक गाटे पर लागू, कलेक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार जोत (या जोतों) का मूल्यांकन करेगा।

(3) यदि दावा डिक्री किया जाता है तो न्यायालय वादी का हिस्सा घोषित करने के लिए प्रारम्भिक डिक्री पारित करेगा।

(4) प्रारम्भिक डिक्री तैयार होने के बाद उपजिलाधिकारी लेखपाल से कुर्रा तैयार करवायेगा।

(5) लेखपाल इस निमित्त आदेश प्राप्त करने के दिनांक से एक माह की अवधि के अन्दर कुर्रा की आख्या प्रेषित करेगा और कुर्रा तैयार करते समय निम्नलिखित सिद्धान्तों का पालन करेगा–

(क) प्रत्येक पक्षकार को जोत में उसके अंश के अनुपात में गाटा अथवा गाटों को आबंटित किया जायेगा ;

(ख) प्रत्येक पक्षकार को दिया गया भाग यथासम्भव संहत होगा;

(ग) जहां तक सम्भव हो सकेगा किसी भी पक्षकार को न तो सारी की सारी निम्न श्रेणियों की भूमि ही दी जायेगी और न सारी की सारी प्रवर श्रेणियों की ही भूमि दी जायेगी;

(घ) जहां तक सम्भव हो सके वर्तमान खेतों को विभक्त नहीं किया जायेगा;

(ङ) ऐसे गाटे जो किसी खातेदार के कब्जे में अलग से हों, यथासम्भव उस खातेदार को आबंटित किये जायेंगे यदि वे उसके अंश से अधिक न हों;

(च) यदि गाटा या उसका कोई भाग वाणिज्यिक मूल्य का है अथवा सड़क, आबादी या किसी अन्य वाणिज्यिक मूल्य वाली भूमि से लगा हुआ है तो उसे प्रत्येक खातेदार को आनुपातिक रूप से आबंटित किया जायेगा और द्वितीय शर्त के प्रकरण में उसे सड़क, आबादी अथवा वाणिज्यिक मूल्य की अन्य भूमि से लगा हुआ आनुपातिक रूप से आबंटित किया जायेगा; और

(छ) यदि सह–खातेदार आपसी सहमति अथवा पारिवारिक बन्दोबस्त के आधार पर अलग–अलग कब्जे में हैं तो कुर्रा यथासम्भव तदनुसार नियत किया जायेगा।

(6) जब लेखपाल द्वारा कुर्रा से सम्बन्धित आख्या प्रेषित की जायेगी तो उस पर आपत्ति आमंत्रित की जायेगी और उसके बाद उपजिलाधिकारी पक्षों को सुनवायी का अवसर प्रदान करने और लेखपाल द्वारा प्रेषित आख्या के विरूद्ध दाखिल आपत्ति, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद समुचित आदेश पारित करेगा।

(7) यदि आख्या और कुर्रा की पुष्टि उपजिलाधिकारी द्वारा कर दी जाती है तो अन्तिम डिक्री बनायी जायेगी।

(8) अन्तिम डिक्री के प्रक्रम पर, न्यायालय–

(क) वादी के अंश को प्रतिवादी अंश से सीमांकन द्वारा पृथक कर

देगा।

(ख) अभिलेख पर एक मानचित्र रखेगा जिसमें वादी को दी जाने वाली सम्पत्तियों को प्रतिवादी को दी जाने वाली सम्पत्तियों से पृथक विभिन्न रंगों से दर्शाया जायेगा।

(ग) पक्षों द्वारा देय भू–राजस्व को विभाजित करेगा।

(घ) अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र को तदनुसार संशोधित करने का निदेश देगा।

(9) यदि पक्षों के बीच साम्या का समायोजन करने के लिये पेड़ों, कुंओं या अन्य सुधारों के सम्बन्ध में प्रतिकर का भुगतान आवश्यक हो जाता है तो सम्बन्धित राजस्व न्यायालय अन्तिम डिक्री के प्रक्रम पर आवश्यक आदेश भी पारित कर सकेगा।

(10) उपजिलाधिकारी छः माह की अवधि के अन्दर वाद को तय करने का प्रयास करेगा और यदि वाद ऐसी अवधि के अन्दर तय नहीं किया जाता है तो कारण अभिलिखित किया जायेगा।

समर्पण

भूमिधर द्वारा समर्पण (धारा 118)

110. अपनी जोत या उसके किसी भाग के समर्पण के लिए भूमिधर द्वारा धारा 118 के अन्तर्गत तहसीलदार को आवेदन दिया जायेगा जिसमें निम्नलिखित विवरण होंगे –

(क) आवेदक का नाम, पितृनाम व पता;

(ख) क्या आवेदक धारा 74 के खण्ड (क) अथवा खण्ड (ख) से सम्बन्धित श्रेणी में आता है;

(ग) जिस जोत का समर्पण किया जाना है, उसका विवरण (गाटा संख्या, क्षेत्रफल, ग्राम, तहसील आदि);

(घ) देय भू–राजस्व;

(ङ) क्या जोत का सम्पूर्ण भाग अथवा उसके किसी अंश का समर्पण किया जाना है। यदि किसी अंश का, तो ऐसे अंश का विवरण;

(च) क्या आवेदक अपनी जोत का अकेला स्वामी है अथवा वह केवल सह–खातेदार है। सह–खातेदार होने की दशा में अन्य सह–खातेदारों के नाम व पते;

(छ) क्या जोत किसी भार से युक्त है? यदि हाँ तो उसका विवरण;

(ज) क्या जोत या उसका कोई अंश किराये पर दिया गया है? यदि हाँ तो ऐसे पट्टाधारी का विवरण;

(झ) ऐसे समर्पण का कारण।

सह–खातेदार द्वारा संयुक्त रूप से दिया जाना
(धारा 118)

111. (1) यदि समर्पण की जाने वाली जोत में दो या दो से अधिक सह–खातेदार है, तो नियम 110 के अन्तर्गत आवेदन सभी सह–खातेदारों द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा।

(2) केवल कुछ सह–खातेदारों द्वारा दिये गये समर्पण के आवेदन को ग्रहण नहीं किया जायेगा।

समर्पण की प्रक्रिया
(धारा 118)

112. (1) समर्पण के लिए प्रत्येक आवेदन तहसीलदार के समक्ष व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया जायेगा अथवा पंजीकृत डाक से भेजा जा सकेगा।

(2) तहसीलदार अविलम्ब सम्बन्धित भूमि प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष को नोटिस की एक प्रति भेजेगा जो आवेदक को बुलवायेगा तथा उसके हस्ताक्षर दो गवाहों से सत्यापित करायेगा।

(3) भूमि प्रबन्धक समिति का अध्यक्ष भूमि पर आवेदक से कब्जा प्राप्त करेगा और उपनियम (2) के अन्तर्गत सन्दर्भित नोटिस के साथ अपनी आख्या तहसीलदार को भेजेगा।

(4) तहसीलदार अन्तिम आदेश पारित करने के पूर्व पट्टाधारक और विल्लंगमधारक को यदि आवश्यक हो तो, सुनेगा।

(5) यदि किसी जोत के केवल किसी अंश का समर्पण किया गया है तो तहसीलदार उसके भू–राजस्व का भाग तय करेगा और तदनुसार अधिकार अभिलेख में संशोधन के लिए निदेश देगा।

असामी द्वारा समर्पण
(धारा 119)

113. (1) अपनी जोत के समर्पण के लिए इच्छुक असामी ऐसे समर्पण के आशय की नोटिस भू–धारक (ग्राम पंचायत या खातेदार) को भेजेगा और भू–धारक को ऐसी जोत का कब्जा सौंप देगा।

(2) असामी को ऐसी जोत के किसी अंश के समर्पण का अधिकार नहीं होगा।

(3) असामी द्वारा जोत के समर्पण का नोटिस व्यक्तिगत रूप से अथवा पंजीकृत डाक से भेजा जा सकेगा और इसमें समर्पण की जाने वाली जोत से सम्बन्धित विवरण होंगे।

जोत का परित्याग
(धारा 122)

114. (1) जब कभी यह पाया जाता है कि किसी भूमिधर ने धारा 122 के अन्तर्गत विहित चूक या अपने अधिकार को सौंप देने का कार्य किया है तो लेखपाल तत्काल प्रकरण से सम्बन्धित आख्या तहसीलदार के माध्यम से कलेक्टर को सूचित करेगा जिसमें निम्नलिखित विवरण

होंगे –

(क) सम्बन्धित भूमिधर का नाम, पितृनाम व पता;

(ख) फसली वर्ष का उल्लेख जिसके लिए भूमिधर भू–राजस्व की अदायगी करने में असफल रहा है;

(ग) फसली वर्ष जिसमें उसने जोत का उपयोग नहीं किया है;

(घ) खण्ड (ख) व (ग) से सम्बन्धित खसरा नम्बरों का विवरण;

(ड.) सम्बन्धित भूमिधर का अन्तिम ज्ञात पता।

(2) उपनियम (1) के अन्तर्गत लेखपाल की आख्या कलेक्टर को अग्रसारित करने के पूर्व तहसीलदार ऐसी आख्या पर आवश्यक पृष्ठांकन करेगा।

(3) उपनियम (1) के अधीन लेखपाल की आख्या प्राप्त होने पर अथवा अन्य श्रोतों से तथ्यों का संज्ञान होने पर कलेक्टर धारा 122(1) में विहित चूक और अधिकार सौंपने के कृत्य के सम्बन्ध में तहसीलदार से आख्या मांगेगा।

(4) उपनियम (3) के अन्तर्गत अपनी आख्या प्रेषित करने के पूर्व तहसीलदार :–

(क) सम्बन्धित भूमिधर के अन्तिम ज्ञात पते पर इस आशय का नोटिस भेजेगा कि नोटिस में विहित भूमि का कब्जा क्यों न ले लिया जाय;

(ख) उस ग्राम में जहां भूमि स्थित है डुग्गी पीटकर मुनादी करायेगा और यदि कोई ऐसा साहूकार, जिसका उस भूमि के सापेक्ष कोई भार या आर्थिक बोझ है को अपना दावा दाखिल करने के लिए बुलायेगा;

(ग) यह भी सुनिश्चित करेगा कि प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में भूमिधर के विरूद्ध तकावी या अन्य सरकारी देय बकाया नहीं है; और

(घ) यदि कोई आपत्तियां या दावा तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो कलेक्टर को अपनी आख्या भेजने से पूर्व आपत्तिकर्ता या दावाकर्ता की जांच करेगा और पक्षकारों द्वारा भरोसा किये गये अभिलेखों का परिशीलन करेगा।

तहसीलदार की रिपोर्ट (धारा 122)

115. नियम 114 के अधीन कलेक्टर को भेजे जाने वाली अपनी आख्या में तहसीलदार यह अंकित करेगा कि, क्या भूमिधर धारा 122(1) में विहित लोप या अधिकार सौंपने के कृत्य का दोषी है? और क्या उसकी भूमि पर इस संहिता के प्रावधानों के अनुसार ऋणभार, बन्धक या अन्य किसी भार की देयता है?

कलेक्टर का आदेश
(धारा 122)

116. तहसीलदार की आख्या का परिशीलन करने के पश्चात कलेक्टर यह निर्णय करेगा कि क्या धारा 122(1) के अधीन भूमिधर द्वारा धारित भूमि पर वह कब्जा लेगा और क्या किसी आर्थिक भार, बन्धक या अन्य कोई ऋणभार यदि अपेक्षित है, को परिसमाप्त किया जाना है और यदि ऐसा है तो, ऐसी परिसमाप्ति के लिए तरीका और प्रक्रिया का निर्धारण करेगा।

कलेक्टर के द्वारा भूमि का पट्टा
(धारा 122)

117. (1) यदि संहिता की धारा 122(1) के अन्तर्गत कलेक्टर किसी भूमिधर की भूमि पर कब्जा प्राप्त करते हैं तो वह उस भूमि को नियम 105 में दिये गये प्रक्रिया के अनुसार पट्टे पर उठा देंगे।

(2) यदि कोई व्यक्ति अथवा भूमिधर जो उस भूमि पर कब्जे के लिये हकदार है, धारा 122(3) के अन्तर्गत बताये गये समय सीमा में उपस्थित होकर यह दावा करता है और उसके दावे को यदि कलेक्टर स्वीकार करते हैं तो वह भूमि उसे दावेदार के पक्ष में बहाल करते हुये कार्यवाही समाप्त कर दी जायेगी।

(3) पुनर्स्थापन आदेश के साथ, कलेक्टर, पट्टे से वसूली गई रकम (ऐसे पट्टे को किये जाने में हुआ खर्च तथा भू–राजस्व के बकाये को काट कर) दावेदार को वापस कर दी जायेगी।

(4) यदि विहित समय सीमा में कोई दावेदार उपस्थित नहीं होता है तो कलेक्टर उस भूमि को अभ्यर्पित घोषित कर देगें और उसका कब्जा सम्बन्धित भूमि प्रबन्धक समिति को सौंप देंगे तथा तदनुसार अधिकार अभिलेख में परिवर्तन किये जाने का निर्देश भी देंगे।

(5) धारा 122(4) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा किये गये ऐसे प्रत्येक आदेश को सम्बन्धित तहसील तथा भूमि प्रबन्धक समिति के सूचना पट पर चस्पा किया जायेगा।

ग्राम पंचायत को कब्जा दिया जाना
(धारा 124 और 136)

118. (1) जहां कि किसी भूमिधर का हित किसी भूमि में संहिता के उपबन्धों के अन्तर्गत या तत्समय प्रचलित किसी विधि के अनुसार समाप्त हो गया है, और उस भूमि में कोई अन्य व्यक्ति अवैध अध्यासन में है, तो भूमि प्रबन्धक समिति ऐसे अध्यासी के बेदखली के लिये उपजिलाधिकारी को आवेदन कर सकती है।

(2) उपजिलाधिकारी सम्बन्धित अवैध अध्यासी को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा और तद्नुसार उसे बेदखल कर उस भूमि का कब्जा ग्राम पंचायत को प्रदान करेगा।

(3) इस नियम के उपबन्ध धारा 95(2) के अन्तर्गत किसी ग्राम पंचायत के असामी या किसी बैंक के पट्टेदार के बेदखली के लिये भी लागू होगें।

ग्राम पंचायत की भूमि का आबंटन

ग्राम पंचायत की भूमि का आबंटन (धारा 125 और 126)

119. (1) जहां भूमि प्रबन्धक समिति धारा 125 के अन्तर्गत उल्लिखित भूमि में किसी व्यक्ति को प्रवेश दिये जाने पर विचार करती है तो कम से कम ऐसी बैठक जिसमें यह निर्णय लिया जाना है, के 7 दिन पूर्व सम्बन्धित ग्राम पंचायत क्षेत्र में डुग्गी पिटवाकर निम्न रूप में घोषित करेगी –

(क) बैठक का दिनांक, समय तथा स्थान;

(ख) आबंटित किये जाने वाले भूखण्डों की संख्या; और

(ग) ऐसे भूखण्डों का क्षेत्रफल।

(2) बैठक के दिन समिति ऐसे व्यक्तियों का चयन करेगी जिन्हें भूमि का आबंटन असामी अथवा असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के रूप में जैसी भी स्थिति हो, किया जाना है। **आर0सी0 प्रपत्र–30** में ऐसे सभी व्यक्तियों की सूची बनायी जायेगी जो उपस्थित हैं और भूमि में प्रवेश दिये जाने की सहमति प्रदान की है। असामी तथा असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर की सूची अलग–अलग तैयार की जायेगी। सूची में व्यक्तियों के नाम धारा 126(1) के अन्तर्गत वर्णित अधिमान क्रम में रखे जायेंगे।

(3) यदि सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या उस संख्या से अधिक नहीं है जिसे भूमि का बन्दोबस्त किये जाने के सम्बन्ध में घोषणा की गयी है, तो समिति सूची में उल्लिखित उन व्यक्तियों के पात्रता की जांच करेगी और प्रत्येक व्यक्ति को व्यवस्थित किये जाने वाले भूखण्डों के सम्बन्ध में विनिश्चय करेगी।

(4) यदि सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या, उन व्यक्तियों की संख्या से अधिक है जिन्हें भूमि व्यवस्थित की जानी है तब वह सूची भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा बुलाई गयी ग्राम सभा की खुली बैठक के समक्ष रखी जायेगी और आबंटन के लिये ऐसे व्यक्तियों का चयन किया जायेगा जो ऐसी बैठक में सहमति के आधार पर गुण–दोष के आधार पर सर्वोत्तम उपयुक्त पाये जाते हैं। यदि ऐसी सहमति नहीं बन पाती है तो समिति लॉटरी के द्वारा व्यक्तियों का चयन करेगी।

(5) उपनियम (2) अथवा उपनियम (4) में अभिदिष्ट बैठक में समिति आबंटन के लिए चयनित व्यक्तियों के नामों की और आबंटियों द्वारा देय भू–राजस्व या लगान की भी घोषणा करेगी।

उपजिलाधिकारी के अनुमोदन के पूर्व की प्रक्रिया
(धारा 125 और 126)

120. (1) नियम 119 में उल्लिखित औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात समिति निम्न दस्तावेजों को तैयार करेगी –

(क) आबंटन हेतु चयनित व्यक्तियों की सूची, **आर0सी0 प्रपत्र–31** में।

(ख) धारा 77 में उल्लिखित भूमि में प्रवेश दिये जाने का प्रमाण पत्र **आर0सी0 प्रपत्र–32** में।

(ग) भूमि में प्रवेश का प्रमाण पत्र (धारा 77 में बतायी गयी भूमि के अतिरिक्त) **आर0सी0 प्रपत्र–33** में।

(घ) प्रतिपर्ण **आर0सी0 प्रपत्र–22 और 23** में।

(2) उपनियम (1) के खण्ड (क), (ख) एवं (घ) में उल्लिखित दस्तावेज अध्यक्ष तथा शेष दस्तावेज पर आबंटन हेतु चयनित व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे।

(3) उपनियम (1) अथवा (2) में उल्लिखित सभी दस्तावेजों को उपजिलाधिकारी को निम्न के साथ प्रस्तुत की जायेगी –

(क) समिति द्वारा उस बैठक के कार्यवाही की प्रति जिसमें आबंटन किये जाने सम्बन्धी निर्णय लिया गया था;

(ख) लेखपाल द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र कि भूमि के सम्बन्ध में (भू–राजस्व और किराया सहित) सूची में वर्णित विवरण सही है, आबंटित की जाने वाली भूमि मौके पर रिक्त है तथा आबंटन संहिता एवं नियमावली के उपबन्धों के अनुसार किया गया है;

(ग) यदि आबंटित की जाने वाली भूमि सर्वे संख्या का भाग है तो आबंटित की जाने वाली भूमि के स्थल का विनिर्दिष्ट क्षेत्रफल, चौहद्दी और लम्बाई तथा चौड़ाई का उल्लेख किया जायेगा और वह मिनजुमला संख्या के रूप में नहीं होगी।

उपजिलाधिकारी का अनुमोदन
(धारा 125)

121. (1) नियम 120 के अन्तर्गत अभिलेख प्राप्त होने पर, उपजिलाधिकारी समिति के उस प्रस्ताव की जांच करेगा, और यदि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसा प्रस्ताव संहिता एवं इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार है तो वह भूमि के प्रवेश के प्रमाण पत्र **आर0सी0 प्रपत्र–32 या आर0सी0 प्रपत्र–33,** जैसी भी स्थिति हो, पर अपना अनुमोदन प्रदान करेगा तथा दो सप्ताह के अन्दर सभी अभिलेखों को निम्न

निर्देशों के साथ भूमि प्रबन्धक समिति को वापस कर देगा –

(क) आबंटियों को कब्जा दिलाया जाये; और

(ख) लेखपाल द्वारा आबंटियों को कब्जा प्राप्त होने के बाद उनके दाखिल खारिज हेतु आख्या राजस्व निरीक्षक को प्रेषित किया जाये। मानचित्र में भी तदनुसार संशोधन का निदेश दिया जायेगा।

(2) यदि उपजिलाधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव पूरी तरह से अथवा भागतः संहिता तथा नियमावली से संगत नहीं है तो वह प्रमाण पत्र पर अपनी असहमति अभिलिखित करते हुये उपर्युक्त समय सीमा के अन्तर्गत प्रस्ताव को भूमि प्रबन्धक समिति को वापस कर देगा।

आबंटी को कब्जे का दिया जाना
(धारा 125)

122. उपजिलाधिकारी के पास से अभिलेख वापस प्राप्त होने पर, अध्यक्ष उन सभी आबंटियों को बुलायेगा जिनके पक्ष में आबंटन स्वीकृत हुआ है, और उन्हें आबंटन प्रमाण पत्र **आर0सी0 प्रपत्र**–33 में हस्तगत करायेगा तथा प्रतिपर्ण **आर0सी0 प्रपत्र–22** में उससे निष्पादित करायेगा। यदि भूमि जो आबंटित की गयी है, वह धारा 77 के अन्तर्गत उल्लिखित है, तब आबंटी को **आर0सी0 प्रपत्र–32** में आबंटन प्रमाण पत्र हस्तगत करायेगा और उसका प्रतिपर्ण **आर0सी0 प्रपत्र–23** में उससे निष्पादित करायेगा।

उपजिलाधिकारी द्वारा अस्वीकृत किये जाने पर प्रक्रिया
(धारा 125)

123. जहां कि उपजिलाधिकारी द्वारा समिति के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया है वहां समिति पुनः नये सिरे से संहिता और नियमावली के अनुसार आबंटन किये जाने हेतु कार्यवाही करेगी।

राजस्व अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणन
(धारा 97 एवं 125)

124. (1) धारा 125 के अन्तर्गत सम्मिलित किये जाने का प्रमाण पत्र राजस्व निरीक्षक से अन्यून श्रेणी के राजस्व अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित किया जा सकेगा।

(2) उपर्युक्त अभिप्रमाणन किये जाने के पूर्व, सम्बन्धित राजस्व अधिकारी अपना यह समाधान करेगा कि–

(क) नियम 119 से नियम 123 तक के उपबन्धों का पूर्ण रूप से पालन किया गया है; और

(ख) पट्टे पर दी गयी भूमि किसी नियोजित प्रयोजन के लिये आरक्षित नहीं है।

(3) यदि राजस्व अधिकारी यह पाता है कि उपनियम (2) में

उल्लिखित शर्त का अनुपालन नहीं किया गया है, तो वह मामले को उपजिलाधिकारी को आवश्यक आदेश हेतु प्रेषित कर देगा।

(4) राजस्व अधिकारी द्वारा पट्टे के विलेख का अभिप्रमाणन निम्न प्रारूप के अनुसार किया जायेगा–

यह विलेख श्री.....पुत्र श्री..... निवासी..... के द्वारा दिनांक को प्रस्तुत किया गया।

इस विलेख के निष्पादन की स्वीकृति श्री.....के द्वारा दी गयी जिन्हें निम्न साक्षियों द्वारा पहचाना गया है –

नाम, पितृनाम तथा पता :.....

(साक्षी संख्या–1) हस्ताक्षर

नाम, पितृनाम तथा पता :.....

(साक्षी संख्या–2) हस्ताक्षर

आबंटी का नाम तथा पता :.....

हस्ताक्षर

मेरा उपरोक्त व्यक्तियों के पहचान के सम्बन्ध में समाधान हो गया है और मैं एतदद्वारा इस विलेख के निबन्धनों को अभिप्रमाणित करता हूँ।

दिनांकः.....

मुहर अभिप्रमाणित करने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर

पट्टा आबंटन की शर्ते एवं निबन्धन

[धारा 126(2) और धारा 127(2)]

125. जहां कोई भूमि किसी व्यक्ति को पट्टे पर धारा 125 के अन्तर्गत दी गई है वहां आबंटी उस भूमि को निम्न निबन्धन और शर्तों के अनुसार अपने पास रखेगा–

(क) यह कि आबंटी भूमि का उपयोग धारा 79(2) अथवा धारा 84 जैसी भी स्थिति हो के अनुसार ही करेगा;

(ख) यह कि आबंटी इस भूमि का अन्तरण संहिता के प्राविधानों के उल्लंघन में नहीं करेगा;

(ग) यह कि आबंटी नियमित तौर पर भू–राजस्व अथवा किराया जैसी भी स्थिति हो, का भुगतान करेगा;

(घ) यह कि आबंटी उस भूमि में खड़े किसी वृक्ष को क्षति अथवा उसका विनियोजन नहीं करेगा, न तो उस भूमि पर किये गये किसी सुधार आदि को क्षति पहुँचायेगा;

(ङ) यह कि आबंटी के मृत्यु हो जाने पर, उत्तराधिकार, संहिता के

अन्तर्गत दिये गये उपबन्धों के अनुसार शासित होगें; और

(च) यह कि पट्टे की अवधि के समाप्त होने के पश्चात्, असामी भूमि का कब्जा समिति को सौंप देगा और असामी का नाम खतौनी से खारिज कर दिया जायेगा।

आबंटन का निरस्तीकरण (धारा 128)

126. (1) कलेक्टर स्वप्रेरणा से धारा 125 के अन्तर्गत किये गये आबंटन में हुयी अनियमितता की जांच कर सकेगा और ऐसे आबंटन से क्षुब्ध किसी व्यक्ति के आवेदन पर ऐसे आबंटन में हुयी अनियमितता की जांच करेगा।

(2) जब उपनियम (1) के अन्तर्गत आवेदन प्राप्त होता है तो कलेक्टर इस बात की जांच कर सकता है कि क्या आवेदक एक क्षुब्ध व्यक्ति है? क्या आवेदन मियाद काल जैसा कि धारा 128(1–क) में दिया गया है, के अन्दर है और क्या वह स्वप्रेरणा से कार्यवाही प्रारम्भ करना चाहता है।

(3) जब कलेक्टर मामले मे जांच किया जाना तय करते हैं तब, समिति और आबंटी पक्षकार बनाये जायेंगे तथा ऐसी कार्यवाही में कोई अंतिम आदेश पारित किये जाने के पूर्व उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान करेंगे।

(4) कार्यवाही के लम्बित होने के दौरान कलेक्टर को यह शक्ति है कि वह कोई भी ऐसा अंतरिम आदेश पारित कर सकता है जैसा कि परिस्थितियों को देखते हुये उसे पारित किया जाना न्याय संगत है।

(5) आबंटी और समिति को नोटिस निर्गत होने के दिनांक से तीन सप्ताह का समय प्रति शपथपत्र/आपत्ति दाखिल करने के लिये दिया जायेगा जिसे पर्याप्त कारण दर्शाये जाने पर बढ़ाया जा सकेगा। रेप्लिका/प्रतिउत्तर शपथ पत्र दाखिल किये जाने के लिये आवेदक को दो सप्ताह का समय दिया जायेगा जिसे पर्याप्त कारण दर्शाये जाने पर बढ़ाया जा सकेगा।

(6) कलेक्टर नोटिस निर्गत होने के दिनांक से तीन माह की अवधि के अन्दर जांच को पूर्ण करने का प्रयास करेगा और यदि जांच तीन माह की अवधि के अन्दर पूर्ण नहीं की जाती है, तो बिलम्ब का कारण अभिलिखित किया जायेगा।

नुकसानी की दर (धारा 134 और 136)

127. धारा 134(1) के अन्तर्गत नुकसानी के लिए दायर वाद तथा धारा 136(1) के अन्तर्गत उल्लिखित कार्यवाही में, नुकसानी की दर

न्यायालय अथवा सम्बन्धित राजस्व अधिकारी के विवेक पर होगा, लेकिन नुकसानी की धनराशि अध्यासन के प्रत्येक वर्ष के लिये विवादित भूमि पर लागू और कलेक्टर द्वारा नियत सर्किल रेट के अनुसार आगणित धनराशि के पाँच प्रतिशत के बराबर धनराशि से कम नहीं होगी जब तक कि न्यायालय अथवा राजस्व अधिकारी द्वारा अभिलिखित कारणों से अन्यथा निदेश न दिया जाय।

किराया

किराये का निर्धारण (धारा 138 एवं 139)

128. धारा 139 के अन्तर्गत किराये के निर्धारण की कार्यवाही में, तहसीलदार ऐसे असामी अथवा भूमिधर को, जैसी भी स्थिति हो, को नोटिस जारी करेगा और सुनवाई को अवसर देते हुये, असामी द्वारा देय किराये का निर्धारण करेगा। उक्त भूमि का किराया, उसी प्रकार के समान भूमि के लिए, प्रचलित किराये के समान होगा किन्तु, ऐसी दर कलेक्टर द्वारा नियत सर्किल रेट के अनुसार आगणित धनराशि के एक प्रतिशत से कम नहीं होगी।

राज्य सरकार द्वारा छूट [धारा 140(2)]

129. यदि धारा 140(1) के अन्तर्गत न्यायालय किराये में छूट प्रदान कर देता है तो, भू–राजस्व में उसी मात्रा के अनुसार परिणामी छूट राज्य सरकार द्वारा अनुदानित की जा सकती है।

किराये के नकदी में परिवर्तन (धारा 141)

130. (1) जहां किसी जोत के सम्बन्ध में असामी द्वारा देय किराये का भुगतान नगद में किया जा रहा हो, तहसीलदार, असामी या भूमि धारक के आवेदन पर यह किराया दोनों पक्षो को सुनकर कम कर सकते है।

(2) इस नियम के अन्तर्गत कम किया गया किराया मौरूसी दर पर आगणित किराये के 33 प्रतिशत से कम नहीं होगा।

किराये के बकाये को बट्टे खाते में डालना (धारा 143)

131. (1) यदि किराये का बकाया जैसा कि धारा 143 में उल्लिखित है, दो वर्ष से अधिक समय तक बकाया रह जाता है, और उसके वसूले जाने की कोई स्थिति नहीं है तो समिति या स्थानीय प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, एक संकल्प द्वारा उपजिलाधिकारी को उसे समाप्त किये जाने की अनुशंसा कर सकेंगे।

(2) उपनियम (1) के अन्तर्गत प्रेषित संकल्प की पुष्टि किये जाने के पूर्व उपजिलाधिकारी निम्न के सम्बन्ध में अपना समाधान करेगा –

(क) यह कि समिति अथवा स्थानीय प्राधिकारी के पक्ष में कोई उपेक्षा अथवा दुराचरण तो नहीं है जिससे कि उक्त बकाये की वसूली नहीं

हो सकी; और

(ख) यह कि व्यतिक्रमी के पास कोई अन्य सम्पत्ति नहीं है जिससे उस बकाया को वसूल किया जा सके या इस प्रकार की वसूली प्रकरण की विशेष परिस्थितियों में व्यतिक्रमी के ऊपर असम्यक् दबाव कारित कर सकता है जो मामले की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए उपयुक्त नहीं होगा।

अध्याय–दस

सरकारी पट्टेदार

नुकसानी की दर [धारा 151(1)]

132. जहां सरकारी पट्टेदार द्वारा नुकसानी के लिए, धारा 151(1) के अधीन, बेदखली अथवा बिना बेदखली के वाद योजित किया जाता है, तो नुकसानी की दर सम्बन्धित न्यायायल के विवेकानुसार निर्णीत होगी लेकिन नुकसानी की धनराशि अवैध अध्यासन के प्रत्येक वर्ष के लिये विवादित भूमि पर लागू और कलेक्टर द्वारा नियत सर्किल रेट के अनुसार आगणित धनराशि के पाँच प्रतिशत के बराबर धनराशि से कम नहीं होगी, जब तक कि न्यायालय द्वारा अभिलिखित कारणों से अन्यथा निदेश न दिया जाय।

अध्याय–ग्यारह

भू–राजस्व का निर्धारण

निर्धारण प्राधिकारी
[धारा 153(1)]

133. इस संहिता के अध्याय–ग्यारह के उद्देश्य के लिए राज्य सरकार परिषद अथवा किसी सदस्य को अधिसूचना के माध्यम से निर्धारण प्राधिकारी नियुक्त कर सकेगी और ऐसी प्रक्रिया निर्धारित कर सकेगी, जो इस प्रकार के निर्धारण के लिए निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अनुसरित की जायेगी।

भू–राजस्व का अवधारण
[धारा 154(3)]

134. धारा 154(3) में उल्लिखित किसी भूमिधर द्वारा देय भू–राजस्व की धनराशि उस धनराशि के बराबर होगी जिसकी गणना भूमि के सम्बन्ध में लागू मौरूसी दरों के दोगुने पर की जायेगीः

प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार गणना की गयी धनराशि किसी असिंचित भूमि के सम्बन्ध में 5 रू0 प्रति एकड़ से कम या 10 रू0 प्रति एकड़ से अधिक न होगी और किसी सिंचित भूमि के सम्बन्ध में 10 रू0 प्रति एकड़ से कम या 20 रू0 प्रति एकड़ से अधिक न होगी।

भू–राजस्व में परिवर्तन, छूट या स्थगन
(धारा 155 और 157)

135. (1) यदि बाढ़ की क्रिया अथवा अन्य नैसर्गिक कारण से जोत का क्षेत्रफल या उसमें समाविष्ट भूमि की उत्पादकता घट जाती है या बढ़ जाती है तो भूमिधर द्वारा देय भू–राजस्व इस अध्याय में विहित रीति से परिवर्तित किया जा सकेगा।

(2) निम्नलिखित वर्गों में आने वाली कृषि सम्बन्धी आपदाओं के होने पर धारा 157 के अन्तर्गत जोत के भू–राजस्व में राहत दी जा सकती है–

वर्ग–I– जहां भूमि की उर्वरता पर प्रभाव पड़ा हो।

वर्ग–II– जहां फसल की एक विशेष उपज पर विपरीत प्रभाव पड़ा हो।

(3) नियम 136 के प्रावधान वर्ग–I की कृषि सम्बन्धी आपदा और नियम 137 के प्रावधान, वर्ग–II की कृषि सम्बन्धी आपदा पर लागू होंगे।

उर्वरता के प्रभाव पर भू–राजस्व में छूट
(धारा 157)

136. (1) उन दशाओं में जब किसी खाते की भूमि की उर्वरता अत्यधिक उपयोग, रेत एकत्रित होने, बालू पड़ने, कांस अथवा हानिकारक घास–पात उग आने या इसी तरह के दूसरे कारणों से इतना गम्भीर रूप से प्रभावित हो गई हो कि अनुचित कठिनाई के बिना भू–राजस्व

की अदायगी न की जा सकती हो, तब उस खाते की या उसके किसी भाग के भू–राजस्व में उस अवधि के लिए जब तक ऐसी आपदा बनी रहे ऐसे अनुपात में जो आपदा से प्रभावित क्षेत्र का खाते के कुल क्षेत्रफल के साथ हो, छूट के रूप में सहायता दी जायेगी।

(2) उपनियम (1) के प्रावधान ग्राम पंचायत के असामियों पर भी लागू होंगे, जैसे कि उक्त असामियों द्वारा दिया जाने वाला लगान भू–राजस्व हो।

(3) जब उपनियम (1) में उल्लिखित खाता या उसका कोई भाग पट्टे पर हो तो उक्त उपनियम में वर्णित सिद्धान्त के अनुसार असामी को सहायता दी जायेगी।

(4) खरीफ की पड़ताल के तुरन्त पश्चात लेखपाल राजस्व निरीक्षक को तीन प्रतियों में एक विवरण देगा, जिसमें उसके हलके के ऐसे सब खाते दर्शाये जायेंगे जिन पर उपनियम (1) में उल्लिखित विपत्तियों का प्रभाव पड़ा हो। राजस्व निरीक्षक विवरण पत्र की समस्त प्रविष्टियों का स्वयं निरीक्षण करके जांच करेगा और ऐसी शुद्धियां करने के बाद, जिन्हें किया जाना आवश्यक हो, विवरण पत्र तहसीलदार को भेज देगा। तहसीलदार स्थल निरीक्षण और प्रतिशत परीक्षा द्वारा विवरण पत्र की शुद्धता की जांच करेगा और विवरण पत्र की ऐसी दो प्रतियाँ, जिनकी उसने स्वयं शुद्धि की हो, परगने के उपजिलाधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रेषित करेगा, और वह दी जाने वाली छूट की धनराशि का उल्लेख करेगा। कलेक्टर अपने जिले के ऐसे खातों का, जिनके सम्बन्ध में छूट देने का प्रस्ताव हो, एक समेकित विवरण पत्र भूमि व्यवस्था आयुक्त के माध्यम से सरकार के पास छूट की स्वीकृति के लिए भेजेगा।

(5) जब एक बार वर्ग (I) की कृषि सम्बन्धी आपदाओं के कारण सरकार में भू–राजस्व या लगान में छूट देने की स्वीकृति दे दी हो, तो प्रत्येक वर्ष वर्षा के पश्चात उस जोत का, जिसके लिए छूट देने की स्वीकृति दी गयी हो, निरीक्षण ऐसे अधिकारी द्वारा किया जायेगा जो तहसीलदार के पद से कम का न हो और जब तहसीलदार यह प्रमाणित कर दे कि उक्त आपदा उस पूरी जोत या उसके किसी भाग पर जारी है, तो कलेक्टर उस क्षेत्र के लिए छूट जारी रखेगा। ऐसे खातों या उनके भागों पर फिर से भू–राजस्व निर्धारित कर दी जायेगी

जिन पर से उक्त आपदा का प्रभाव हट गया हो। तहसीलदार द्वारा खातों का निरीक्षण कर लेने के पश्चात, कलेक्टर 30 नवम्बर तक एक ऐसा विवरण पत्र, जिसमें छूट के कुल भू–राजस्व का ब्यौरा दिया गया हो, भूमि व्यवस्था आयुक्त के पास अभिलेख के रूप में रखने के लिए भेज देगा।

(6) तहसील स्तर पर **आर0सी0 प्रपत्र–34** में एक रजिस्टर रखा जायेगा जिसमें उन खातों का जिनके सम्बन्ध में वर्ग (I) की कृषि सम्बन्धी आपदा के कारण सहायता की स्वीकृत दी गयी हो, ब्यौरा दिया जायेगा।

(7) कलेक्टर को धनराशि देय होने के दिनांक से तीन महीने तक के लिए भू–राजस्व या लगान की वसूली स्थगित करने का अधिकार है, किन्तु उससे अधिक अवधि के स्थगन के लिए राजस्व परिषद या सरकार की स्वीकृति अपेक्षित होगी।

फसलों पर दुष्प्रभाव के कारण भू–राजस्व में छूट (धारा 157)

137. (1) वर्ग (II) की कृषि सम्बन्धी आपदाओं के आने पर खाते के भू–राजस्व में छूट सामान्यतः निम्नलिखित दर से दी जायेगी–

सामान्य उपज के प्रति रू0 पर पैसों में निकाली गयी हानि	प्रति रू0 पर भू–राजस्व की दी गयी राहत	
1	2	
	रू0	पै0
50 पैसे किन्तु 60 पैसे से कम	0	40
60 पैसे किन्तु 75 पैसे से कम	0	60
75 पैसे या उससे अधिक	1	00

प्रतिबन्ध यह है कि बुन्देलखण्ड और इलाहाबाद, इटावा, आगरा और मथुरा जनपदों के यमुना पार भाग में और अन्य क्षेत्रों में, यदि कास्तकारों की परिस्थितियों द्वारा न्यायानुगत हो, तो भू–राजस्व का स्थगन या छूट रूपये में पच्चीस पैसे की सीमा तक की जा सकती है जबकि परिमापित क्षति 40 प्रतिशत हो लेकिन 50 प्रतिशत से अधिक न हो।

(2) जब किसी जोत का सम्पूर्ण या उसका भाग पट्टे पर दिया गया हो, तो लगान में राहत ऐसी जोत पर लागू मानक के अनुसार असामी को दी जायेगी और भूधारक को दी जाने वाली राहत से अलग एवं

मुक्त होगी जो कि इस प्रकार आगणित की जायेगी कि मानों जोत का कोई भाग पट्टे पर नहीं दिया गया था।

(3) उपनियम (1) में दी गयी राहत का मानक ग्राम पंचायत के अधीन असामी के प्रकरण में भी ऐसे लागू होगा मानो असामी द्वारा देय किराया भू–राजस्व हो।

(4) कलेक्टर राजस्व और किराये की वसूली को उस दिनांक से जिस पर वह देय होता है, केवल तीन माह की अवधि के लिये स्थगित करने के लिये सक्षम है लेकिन अधिक अवधि के लिये स्थगत हेतु राजस्व परिषद या राज्य सरकार की मंजूरी आवश्यक होगी।

अध्याय–बारह

भू–राजस्व की वसूली

भू–राजस्व का किस्तों में भुगतान
(धारा 165)

138. एक कृषि वर्ष के लिए प्रत्येक खाते के भू–राजस्व की देयता कृषि वर्ष के प्रथम दिवस को हो जायेगी, किन्तु निम्न प्रकार से किस्तों में भी अदायगी की जा सकेगी–

(क) 15 नवम्बर तक 50 प्रतिशत और

(ख) 1 मई तक 50 प्रतिशत

भू–राजस्व के भुगतान की रीति
(धारा 165)

139. (1) भू–राजस्व का भुगतान सामान्यतः उस तहसील के कार्यालय में किया जायेगा, जिसकी सीमाओं के अन्तर्गत वह खाता स्थित हो जिसके निमित्त भुगतान किया जाना है। भू–राजस्व की धनराशि का भुगतान सीधे उस अमीन को भी किया जा सकता है, जिसे इसके लिए नियुक्त किया गया हो।

(2) चेक अथवा मनीआर्डर द्वारा किया गया भुगतान स्वीकार्य नहीं होगा।

(3) ऐसे प्रत्येक भुगतान के लिए भूमिधर **आर0सी0 प्रपत्र–35** में एक पावती रसीद का हकदार होगा।

कतिपय कर्मचारियों को भुगतान पर निषेध
(धारा 165)

140. भुगतान उन कर्मचारियों को नहीं किया जायेगा, जिन्हें किसी मांग पत्र की तामील या धारा 170 के अन्तर्गत उल्लिखित किसी भी प्रक्रिया के निष्पादन का कार्य सौंपा गया हो।

मांग पत्र

आवश्यक होने पर मांग पत्र का निर्गमन
(धारा 169)

141. (1) धारा 170 के अन्तर्गत, भू–राजस्व की बकाये की भांति वसूली के लिए व्यतिक्रमी के विरूद्ध कार्यवाही तब तक नहीं की जा सकेगी, जब तक उसे मांग पत्र तामील न करा दिया गया हो और बकाया का भुगतान न हुआ हो।

(2) यदि व्यतिक्रमी किसी अन्य तहसील का निवासी हो, तब तहसीलदार स्वयं सीधे अथवा सम्बन्धित तहसील के तहसीलदार के माध्यम से मांग पत्र तामील करा सकेगा।

(3) प्रत्येक मांग पत्र **आर0सी0 प्रपत्र–36** में निर्गत किया जायेगा।

मांग पत्र की तामील
(धारा 169)

142. (1) मांग पत्र स्वयं व्यतिक्रमी पर तामील किया जायेगा। किन्तु यदि ऐसा सम्भव न हो तो उसके अभिकर्ता अथवा उसके परिवार के वयस्क सदस्य पर तामील किया जा सकता है। यदि ऐसा सम्भव न हो, तब मांग पत्र व्यतिक्रमी के निवास के समीपवर्ती किसी मुख्य

स्थान पर चस्पा कर दिया जाना चाहिए।

(2) कलेक्टर की स्वीकृति से मांग पत्र रजिस्टर्ड डाक द्वारा भी व्यतिक्रमी पर तामील किये जा सकेंगे।

(3) यह आदेशिका तामीलकर्ता का दायित्व होगा कि वह व्यतिक्रमी पर मांग पत्र की तामील की रीति, प्रक्रिया और दिनांक की आख्या दे।

एकल मांग पत्र का जारी किया जाना (धारा 169)

143. एक मांग पत्र निर्गत किया जा सकता है–

(क) किसी भू–राजस्व के बकाये के भुगतान के लिये संयुक्त रूप से उत्तरदायी एक या अधिक व्यतिक्रमियों के विरूद्व;

(ख) भू–राजस्व के बकाये के सम्बन्ध में यद्यपि कि वह एक या अधिक खाता खतौनी के सम्बन्ध में देय हो।

गिरफ्तारी और निरोधन

व्यतिक्रमी की गिरफ्तारी (धारा 171)

144. (1) किसी व्यतिक्रमी के विरूद्व गिरफ्तारी की वारण्ट किसी राजस्व अधिकारी, जो सहायक कलेक्टर से निम्न न होगा, द्वारा **आर0सी0 प्रपत्र–37** में जारी किया जा सकेगा और यह ऐसे संग्रह अमीन अथवा आदेशिका वाहक द्वारा निष्पादित किया जा सकेगा, जिसका नाम उस गिरफ्तारी वारण्ट में दर्ज हो।

(2) गिरफ्तारी किये जाने के पश्चात व्यतिक्रमी को गिरफ्तारी का वारन्ट जारी करने वाले अधिकारी के समक्ष उपस्थित किया जायेगा। यदि व्यतिक्रमी सम्पूर्ण बकाया जमा कर देता है या यह वचन देता है कि वह सम्पूर्ण अथवा पर्याप्त भाग की अदायगी कर देगा और इस आशय की पर्याप्त प्रतिभूति देता है, तब गिरफ्तारी वारण्ट को निरस्त किया जा सकता है। हिरासत में रखे जाने का आदेश तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक गिरफ्तारी वारण्ट निर्गत करने वाले अधिकारी को यह विश्वास न हो जाये कि व्यतिक्रमी के निरोधन से बकाया का पूरा या आंशिक भाग वसूल हो जायेगा। गिरफ्तारी की अवधि (15 दिवस से अनधिक) का भी उल्लेख निरूद्धि आदेश में किया जायेगा।

व्यतिक्रमी का निरोध (धारा 171)

145. व्यतिक्रमी को तहसील हवालात में निरूद्ध किया जायेगा। यदि कोई हवालात न हो, तो व्यतिक्रमी को अभिरक्षा में जिले के दीवानी कारावास जेलर के नाम ऐसे अधिपत्र के साथ भेजा जा सकता है, जिसमें सुपुर्दगी का दिनांक, निरोधन का दिनांक तथा वह धनराशि निर्दिष्ट की गयी हो (जिसमें व्यतिक्रमी के निरोधन का परिव्यय भी सम्मिलित होगा), जिसके चुका दिये जाने पर निरोधन से छोड़ा

जायेगा।

निर्वाह भत्ता
(धारा 171)

146. (1) यदि व्यतिक्रमी का निरोधन दीवानी कारावास में हो तो उसके निर्वाह का परिव्यय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 57 के अधीन निर्धारित किये गये दरों के अनुसार लिया जायेगा। यदि जेलर यह प्रमाणित करे कि इस प्रकार का परिव्यय चुकता होने से रह गया है तो उसे भी भू–राजस्व की बकाया की भांति वसूल कर लिया जायेगा।

(2) यदि व्यतिक्रमी तहसील के हवालात में बन्द किया जाय तो उसे अपने लिए भोजन स्वयं बनाने की अनुमति दे दी जायेगी। यदि वह ऐसा करने के लिए इच्छुक न हो या ऐसा करने में असमर्थ हो तो उसे आवश्यक भोजन दिया जायेगा जिस पर होने वाले परिव्यय को भी भू–राजस्व की बकाया के रूप में वसूल लिया जायेगा।

<u>चल सम्पत्ति की कुर्की</u>

चल सम्पत्ति की कुर्की
(धारा 172)

147. (1) व्यतिक्रमी की चल सम्पत्तियों को धारा 172 के अन्तर्गत कुर्क किया जा सकेगा, केवल उन दशाओं को छोड़कर, जिन्हें यथा वर्णित उपधारा (2) अथवा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के धारा 60 व 61 में निर्दिष्ट किया गया है।

(2) उक्त धारा के अन्तर्गत कुर्की की प्रत्येक कार्यवाही उपजिलाधिकारी द्वारा **आर0सी0 प्रपत्र–38** में की जायेगी और, जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, इस उदेश्य के लिए अधिकृत संग्रह अमीन द्वारा निष्पादित की जायेगी।

सूची का तैयार किया जाना
(धारा 172)

148. (1) इस प्रकार कुर्क की गयी चल सम्पत्तियों की एक सूची मौके पर तैयार की जायेगी, जिस पर कुर्की अधिकारी और दो गवाहों द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे।

(2) इस प्रकार कुर्क की गयी चल सम्पत्तियों को व्यतिक्रमी के अभिरक्षण में अथवा धारा 172(3) और 172(4) में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत जिम्मेदार व्यक्तियों को दिया जायेगा।

पशुधन की कुर्की
(धारा 172)

149. (1) उस स्थिति में जब व्यतिक्रमी के पशुधन की कुर्की की गयी हो और उसे निकट के कांजी हाऊस में भेज दिया गया हो, तो कांजी हाऊस का रक्षक –

(क) पशुधन की संख्या और उसका वर्णन,

(ख) वह दिनांक तथा समय जब पशुधन उसकी अभिरक्षा में आया हो,

(ग) उस कुर्की अधिकारी का नाम जिसने सम्पत्ति सौंपी हो,

एक रजिस्टर में दर्ज करेगा और ऐसे इन्द्राज की एक प्रतिलिपि कुर्क अधिकारी को दे देगा।

(2) कांजी हाऊस का रक्षक पशुओं को उचित रूप से चारा पानी देगा और इस निमित्त उसे पशु अत्याचार अधिनियम, 1871 में निर्धारित दर के अनुसार उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा किराया देय होगा।

(3) कांजी हाऊस के रक्षक की अभिरक्षा में सौंपा गया पशु तब तक नहीं छोड़ा जायेगा जब तक कुर्की की आज्ञा देने वाला अधिकारी या तहसीलदार ऐसी लिखित आज्ञा न दे दें।

(4) यदि पशुधन का विक्रय भू–राजस्व की बकाया के क्रम में कर दिया जाता है, तो उपनियम (2) के अन्तर्गत देय परिव्ययों का भुगतान नीलामी की कार्यवाही से प्राप्त धनराशि से किया जायेगा। यदि पशुधन का इस प्रकार विक्रय नहीं किया जाता है तो इस प्रकार देय परिव्ययों को भू–राजस्व की बकाया के रूप में वसूल लिया जायेगा।

कुर्की के विरूद्ध आपत्ति (धारा 172)

150. यदि चल सत्पत्ति की कुर्की के विरूद्ध कोई आपत्ति इस आधार पर दाखिल की जाती है कि उक्त सम्पत्ति कुर्की से अलग थी अथवा उक्त सम्पत्ति का व्यतिक्रमी से सम्बन्ध नहीं है, तब उपजिलाधिकारी अथवा सहायक कलेक्टर द्वारा, ऐसी आपत्ति दाखिल करने के दिनांक से एक माह के अन्दर अथवा वास्तविक नीलामी के पूर्व, जैसा भी हो, निस्तारित की जायेगी।

चल सम्पत्तियों का विक्रय

चल सम्पत्ति का विक्रय लोक नीलामी द्वारा किया जाना (धारा 172)

151. (1) चल सम्पत्ति से सम्बन्धित प्रत्येक विक्रय लोक नीलामी द्वारा किया जायेगा और ऐसे विक्रय की उद्घोषणा **आर0सी0 प्रपत्र–39** में निर्गत की जायेगी जिसमें निम्नलिखित विवरण होंगे–

(क) वसूली की धनराशि जिसके सापेक्ष सम्पत्ति के विक्रय का आदेश किया गया हो;

(ख) ऐसे विक्रय के सम्बन्ध में समय, दिनांक और स्थान का विवरण।

(2) विक्रय की उद्घोषणा की एक प्रति सम्बन्धित तहसील के सूचनापट पर चस्पा की जायेगी और उद्घोषणा की दूसरी प्रति व्यतिक्रमी को ऐसे विक्रय के दिनांक से सात दिन पूर्व तामील करायी जायेगी।

(3) यदि राजस्व अधिकारी (उपजिलाधिकारी से भिन्न) को नीलामी

आयोजित एवं सम्पन्न कराने हेतु नियुक्त किया जाता है तब विक्रय की उद्घोषणा में ऐसे अधिकारी के नाम और पद का भी उल्लेख किया जायेगा।

(4) यदि विक्रय की तिथि के पूर्व विक्रय उद्घोषणा में विहित धनराशि जमा कर दी जाती है तो ऐसी नीलामी रोक दी जायेगी।

(5) यदि सात दिन से अधिक की अवधि के लिए विक्रय की कार्यवाही स्थगित की जाती है तो विक्रय के लिए नयी उद्घोषणा जारी करना आवश्यक होगा।

विक्रय की धनराशि का जमा किया जाना [(धारा 172) और धारा 189(2)]

152. (1) ऐसे विक्रय के सम्बन्ध में सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को धारा 189(2) के अनुपालन में एकमुश्त सम्पूर्ण धनराशि जमा करने के लिए कहा जायेगा।

(2) यदि विक्रय की धनराशि जमा नहीं की जाती है तो चल सम्पत्तियों का पुनः अविलम्ब विक्रय किया जायेगा।

(3) सबसे ऊंची बोली लगाने वाले के द्वारा विक्रय की धनराशि जमा करने के पश्चात ऐसे विक्रय की कार्यवाही अन्तिम मानी जायेगी और क्रेता को विक्रीत समस्त वस्तुओं को अपने कब्जे में लेने का अधिकार होगा।

<u>बैंक खाते की कुर्की</u>

लॉकर व बैंक खाते की कुर्की (धारा 173)

153. भू–राजस्व के बकाया की वसूली व्यतिक्रमी के लॉकर व बैंक खाते की कुर्की करके की जा सकेगी। इसके लिए सम्बन्धित बैंक के प्रबन्धक को **आर0सी0 प्रपत्र–40** में स्पष्ट आदेश तामील कराया जायेगा।

लॉकर का खोला जाना (धारा 173)

154. सम्बन्धित शाखा प्रबन्धक को नियम 153 के अन्तर्गत ऐसे स्पष्ट आदेश के तामील के उपरान्त यथाशीघ्र उपजिलाधिकारी सम्बन्धित बैंक को सुविधा के अनुसार व्यतिक्रमी के लॉकर को खोलने की तिथि तय करेगा और लॉकर खोलेगा तथा उपजिलाधिकारी शाखा प्रबन्धक एवं व्यतिक्रमी की उपस्थिति में लॉकर के अन्दर की रखी वस्तुओं की विवरणिका तैयार की जायेगी। व्यतिक्रमी को ऐसी तिथि के बारे में उचित रीति से सूचित किया जायेगा।

शाखा प्रबन्धक द्वारा धनराशि का जमा कराया जाना (धारा 173)

155. यदि व्यतिक्रमी के खाते में बकाया की सम्पूर्ण धनराशि या उसके किसी अंश के भुगतान के लिए पर्याप्त धनराशि जमा है तो शाखा प्रबन्धक (खाते को चालू रखने के लिए आवश्यक धनराशि को घटाकर) उपजिलाधिकारी के लिखित निर्देश पर व्यतिक्रमी के खाते से

धनराशि निकालकर कोषागार में जमा कराएगा।

व्यतिक्रमी के लॉकर की वस्तुओं का विक्रय (धारा 173)

156. शाखा प्रबन्धक द्वारा नियम 155 के अन्तर्गत जमा कराई गई धनराशि यदि बकाए के सम्पूर्ण भुगतान के लिए पर्याप्त नहीं है तो यदि व्यतिक्रमी के लॉकर में विक्रय योग्य सामान उपलब्ध है तो उपजिलाधिकारी टेन्डर प्रक्रिया द्वारा अथवा लोक नीलामी के द्वारा, जैसा वह उचित समझे, ऐसे सामान के विक्रय की व्यवस्था करेगा। ऐसे प्रत्येक विक्रय के सम्बन्ध में चल सम्पत्ति के विक्रय के लिए विहित प्रक्रिया यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगी।

बैंक के दायित्वों का उन्मोचन (धारा 173)

157. नियम 155 के अन्तर्गत शाखा प्रबन्धक द्वारा किये गये प्रत्येक भुगतान और नियम 156 के अन्तर्गत क्रेता को विक्रय की गई वस्तुओं की आपूर्ति की कार्यवाही व्यतिक्रमी के सन्दर्भ में बैंक के दायित्वों के वैध उन्मोचन के रूप में लागू होगी।

<u>भूमि की कुर्की जिसके सापेक्ष बकाया देय है।</u>

जोत की कुर्की (धारा 174)

158. (1) धारा 174 के अन्तर्गत भूमि की कुर्की की कार्यवाही उपजिलाधिकारी द्वारा **आर0सी0 प्रपत्र–41** में निर्गत की जायेगी और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची के आदेश 21 नियम 54 के अनुसार प्रभावी होगी।

(2) **आर0सी0 प्रपत्र–41** की एक प्रति व्यतिक्रमी को भी तामील कराई जाएगी और कुर्की के आशय की घोषणा मौके पर डुग्गी पिटवाकर की जायेगी।

(3) यदि व्यतिक्रमी बकाया की धनराशि कुर्की की प्रक्रियात्मक लागत सहित अदा कर देता है, सम्पत्ति कुर्की से अवमुक्त हो जायेगी।

आपत्तियों का निस्तारण (धारा 174 और 183)

159. यदि नियम 158 के अन्तर्गत की गई कुर्की के विरूद्ध कोई आपत्ति दाखिल की जाती है, तो उसका निस्तारण तत्काल कुर्की अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

<u>भूमि का पट्टा अथवा विक्रय जिसके लिये बकाया देय है।</u>

भूमि का पट्टा (धारा 178 और 179)

160. (1) धारा 174(1) के अन्तर्गत भूमि की कुर्की के पश्चात कलेक्टर अथवा कलेक्टर द्वारा अधिकृत सहायक कलेक्टर भूमि को यथाशीघ्र ऐसे किसी उपयुक्त व्यक्ति को जो व्यतिक्रमी से भिन्न हो, पट्टे पर उठा देगा, जो पट्टा विलेख के निष्पादन से पूर्व कुर्की की कार्यवाही की प्रक्रियात्मक लागत एवं सम्पूर्ण बकाया चुकता कर सके।

(2) पट्टे की अवधि (जो 10 वर्ष से अधिक नहीं होगी) कलेक्टर

अथवा कलेक्टर द्वारा अधिकृत सहायक कलेक्टर द्वारा बकाए की धनराशि एवं भूमि के क्षेत्रफल को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित की जायेगी।

(3) ऐसा प्रत्येक पट्टा **आर0सी0 प्रपत्र–42** में धारा 175 में विहित प्रक्रिया के अनुसार निष्पादित किया जायेगा और पट्टे की अवधि के दौरान पट्टा धारक उस भूमि पर देय भू–राजस्व को देने हेतु बाध्य होगा।

(4) यदि पट्टेदार भू–राजस्व की अदायगी में चूक करता है अथवा किसी अन्य प्रकार से पट्टे की शर्तों और दशाओं का उल्लंघन करता है, तब कलेक्टर अथवा कलेक्टर द्वारा अधिकृत सहायक कलेक्टर पट्टेदार को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुए पट्टा निरस्त कर सकेगा।

(5) पट्टे की अवधि पूर्ण होने अथवा पट्टा निरस्त होने, जैसी भी स्थिति हो, भूमि व्यतिक्रमी अथवा धारा 175(4) के अन्तर्गत उसके विधिक प्रतिनिधियों के पक्ष में पुनःस्थापित हो जायेगी।

जोत का विक्रय (धारा 176 और 179)

161. (1) यदि धारा 175 के अनुसार कोई उपयुक्त व्यक्ति भूमि को पट्टे पर लेने के लिए इच्छुक न हो और भूमि पर बकाये की धनराशि अवशेष हो, तब कलेक्टर अथवा कलेक्टर द्वारा अधिकृत सहायक कलेक्टर सम्पूर्ण भूमि अथवा उसके किसी भाग की, जिसके सम्बन्ध में बकाया शेष है, लोक नीलाम द्वारा विक्रय की कार्यवाही कर सकेगा और इस सम्बन्ध में धारा 184 से 205 के प्रावधान यथा आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

(2) उपनियम (1) के अन्तर्गत विक्रय की कार्यवाही करते समय विक्रय अधिकारी यह घोषणा करेगा कि नीलामी की कार्यवाही में भूमि के अर्जन के समय केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा, जिनसे धारा 89 के प्रावधानों का उल्लंघन न होता हो।

(3) इस नियम के अन्तर्गत विक्रय की प्रत्येक उद्घोषणा **आर0सी0 प्रपत्र–43** में जारी की जायेगी और इसमें धारा 184 में विनिर्दिष्ट विवरण सम्मिलित होंगे।

व्यतिक्रमी की अन्य अचल सम्पत्ति की कुर्की एवं विक्रय

अन्य अचल सम्पत्ति की कुर्की

162. (1) धारा 177 के अन्तर्गत व्यतिक्रमी की अन्य अचल सम्पत्ति की कुर्की की कार्यवाही **आर0सी0 प्रपत्र–41** में निर्गत की जायेगी और सिविल

(धारा 177 एवं 179)

प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची के आदेश 21 नियम 54 के अनुसार प्रभावी होगी।

(2) व्यतिक्रमी को भी **आर0सी0 प्रपत्र–41** की एक प्रति तामील करायी जायेगी।

(3) यदि व्यतिक्रमी बकाया की धनराशि कुर्की की प्रक्रियात्मक लागत सहित अदा कर देता है तो सम्पत्ति कुर्की से अवमुक्त हो जायेगी।

विक्रय की उद्घोषणा
(धारा 184)

163. नियम 161 के अन्तर्गत विहित प्रत्येक सम्पत्ति के विक्रय की उद्घोषणा **आर0सी0 प्रपत्र–43** में निर्गत की जायेगी और इसकी एक प्रति धारा 184(4) के अनुसार व्यतिक्रमी को भी तामील की जायेगी।

विक्रय अधिकारी
(धारा 186)

164. प्रत्येक अचल संपत्ति का विक्रय कलेक्टर अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत सहायक कलेक्टर द्वारा किया जायेगा, जो समय–समय पर विक्रय को स्थगित कर सकता है। यदि विक्रय 21 दिन से अधिक के लिये स्थगित की जाती है तो नये विक्रय के नये उद्घोषणा पत्र की आवश्यता होगी।

नियन्त्रक अधिकारी को सूचना
(धारा 186)

165. जहां कोई अचल सम्पत्ति धारा 186 के अनुक्रम में विक्रीत होती है और उसकी अवस्थिति छावनी क्षेत्र के मध्य है तो जैसा ही विक्रय की पुष्टि होगी, कलेक्टर छावनी के नियन्त्रक अधिकारी को उस विक्रय के सन्दर्भ में तथा क्रेता का नाम व पता की सूचना देगा।

कलेक्टर द्वारा बोली
(धारा 186)

166. जहां नीलामी के विक्रय में आरक्षित कीमत की धनराशि तक बोली नहीं आती है, वहां कलेक्टर ऐसी बकाया की धनराशि तक बोली लगा सकेगा।

कमी की वसूली
(धारा 189)

167. जहां नीलामी विक्रय में, जिस व्यक्ति को विक्रेता घोषित किया गया है, यदि धारा 189 (1) के अन्तर्गत बोली का 25 प्रतिशत का भुगतान करने में विफल रहता है, और पुनः विक्रय में मूल्य में कमी आ जाती है, तो पुनः विक्रय में आयी कमी (साथ में प्रथम विक्रय पर आये खर्च को जोड़ते हुये) को उस व्यक्ति से भू–राजस्व की भांति वसूला जायेगा।

क्रय राशि का जमा किया जाना
(धारा 189 और 190)

168. जहां कोई सम्पत्ति (चल अथवा अचल) लोक नीलामी के माध्यम से संहिता के अध्याय–बारह के अन्तर्गत भू–राजस्व के वसूली के लिए विक्रय की जाती है, वहां धारा 189 या धारा 190 के अन्तर्गत प्रत्येक क्रय राशि को नगद अथवा डिमान्ड ड्राफ्ट अथवा भागतः नगद और भागतः ड्राफ्ट के द्वारा किया जायेगा।

प्राथमिकता हेतु आवेदन (धारा 191)

169. (1) यदि संहिता के अध्याय–बारह के अन्तर्गत भू–राजस्व के वसूली हेतु किसी अनुसूचित जाति की अचल सम्पत्ति का विक्रय किया जाता है तो कोई व्यक्ति जो उस जाति से सम्बन्धित है, धारा 191 के अन्तर्गत कलेक्टर के समक्ष (आवश्यक जमा राशि के साथ) प्राथमिकता हेतु आवेदन नीलामी की तिथि से 30 दिन के अन्दर प्रस्तुत कर सकता है।

(2) अनुसूचित जनजाति के अचल सम्पत्ति के विक्रय के सन्दर्भ में भी उपनियम (1) के समान ही कार्यवाही की जायेगी।

(3) यदि एक या एक से अधिक व्यक्तियों ने (आवश्यक जमा राशि के साथ) प्राथमिकता का आवेदन पत्र विहित अवधि के अन्दर प्रस्तुत किया है तो कलेक्टर अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत सहायक कलेक्टर उन आवेदनकर्ताओं के मध्य निविदा आमन्त्रित करेगा अथवा उनके मध्य खुली नीलामी करायेगा और तय करेगा कि उनमें से कौन उच्च बोली दाता है।

(4) धारा 192, धारा 193 अथवा धारा 195 के अन्तर्गत यदि नीलामी विक्रय विखण्डित की जाती है, तो प्राथमिकता प्रदान करने का प्रश्न नहीं उठेगा।

विक्रय को अपास्त किये जाने हेतु आवेदन (धारा 192)

170. (1) जहां कि कोई जोत अथवा कोई अचल सम्पत्ति जो किसी व्यक्ति की है अथवा उसके द्वारा धारित है को संहिता के अध्याय–बारह के अन्तर्गत विक्रय किया गया है, वहां वह व्यक्ति विक्रय किये जाने के तीस दिन के अन्दर धारा 192 के अन्तर्गत आवश्यक जमा के साथ उस विक्रय के विखण्डन हेतु आवेदन कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

(2) धारा 192(1) के खण्ड (क) से (ग) में विहित धनराशि को आवेदक उपनियम (1) के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत करने के दिनांक से सात दिन की अवधि के अन्दर जमा कर सकता है।

(3) यदि उपनियम (2) के अन्तर्गत धनराशि जमा कर दी जाती है तो कलेक्टर विक्रय को विखण्डित कर देगा तथा धारा 197 के क्रम में क्रय धनराशि को वापस किये जाने का निर्देश देगा।

विक्रय अपास्त करने के लिये आवेदन (धारा 193)

171. (1) धारा 193(1) के अन्तर्गत उल्लिखित कोई भी व्यक्ति नीलामी विक्रय को किसी महत्वपूर्ण अनियमितता या प्रकाशन या नीलामी की प्रक्रिया में व्यतिक्रम के आधार पर उसे विखण्डित किये जाने का

आवेदन नीलामी किये जाने के तीस दिनों के अन्दर मण्डलायुक्त को कर सकता है।

(2) ऐसे प्रत्येक आवेदन में स्पष्ट रूप से नीलामी विक्रय को विखण्डित किये जाने का आधार बताया जायेगा और सभी हितबद्ध व्यक्ति पक्षकार बनाये जायेंगे।

(3) यदि इस नियम के अन्तर्गत नीलामी विखण्डित की जाती है तो क्रेता धारा 197 में विनिर्दिष्ट धनराशि को वापस पाने का हकदार होगा।

कलेक्टर द्वारा पुष्टि (धारा 194)

172. किसी अचल सम्पत्ति के नीलामी विक्रय के तीस दिनों के पश्चात् कलेक्टर धारा 194 के अन्तर्गत विक्रय की पुष्टि कर सकता है यदि निम्न शर्ते पूरी होती हैं –

(क) यह कि विक्रय को विखण्डित किये जाने का कोई आवेदन धारा 192 अथवा धारा 193 के अन्तर्गत विक्रय के तीस दिनों के अन्दर प्राप्त न हुआ हो;

(ख) यह कि यदि ऐसा कोई आवेदन प्रस्तुत किया गया हो तो वह कलेक्टर अथवा आयुक्त, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा खारिज कर दिया गया हो;

(ग) यदि वह विक्रीत सम्पत्ति अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की है और धारा 191 के अन्तर्गत कोई आवेदन विक्रय के तीस दिनों के अन्दर प्रस्तुत नहीं किया गया है;

(घ) यदि क्रय राशि 50 लाख से ऊपर नहीं है;

(ड.) यदि क्रय राशि बकाया राशि जैसा की उद्घोषणा पत्र में उल्लिखित है, के बराबर या उससे अधिक है;

(च) यह कि धारा 195 के उपबन्ध इस नीलामी विक्रय पर लागू नहीं होते हैं।

आयुक्त द्वारा विक्रय की पुष्टि (धारा 194)

173. नियम 171 के अन्तर्गत उल्लिखित विक्रय को तीस दिनों के उपरान्त धारा 194 के अन्तर्गत आयुक्त विक्रय की पुष्टि करेंगे यदि निम्न शर्ते पूरी होती हों–

(क) यह कि विक्रय को विखण्डित किये जाने का कोई आवेदन धारा 192 अथवा धारा 193 के अन्तर्गत विक्रय के तीस दिनों के अन्दर प्राप्त न हुआ हो;

(ख) यह कि यदि ऐसा कोई आवेदन प्रस्तुत किया गया हो तो वह

कलेक्टर अथवा आयुक्त, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा खारिज कर दिया गया हो;

(ग) यदि वह विक्रीत सम्पत्ति अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति की है और धारा 191 के अन्तर्गत कोई आवेदन विक्रय के 30 दिनों के अन्दर प्रस्तुत नहीं किया गया है;

(घ) यदि क्रय राशि 50 लाख से ऊपर है;

(ड.) यदि क्रय राशि विक्रय उद्घोषणा में उल्लिखित बकाये की धनराशि अथवा आरक्षित कीमत से कम हो।

(च) यह कि धारा 195 के उपबन्ध प्रश्नगत नीलामी विक्रय पर लागू नहीं होते हैं।

क्रेता द्वारा उल्लंघन न किया जाना (धारा 89)

174. नियम 172 या नियम 173 के अन्तर्गत विक्रय की पुष्टि करने से पूर्व कलेक्टर अथवा मण्डलायुक्त, जैसी भी स्थिति हो, अपना यह समाधान करेंगे कि भूमि का क्रेता धारा 89 के प्रावधानों का उल्लंघन न किया हो।

स्वामित्व का दिनांक [धारा 198(3)]

175. जब धारा 194 के अनुसार अचल सम्पत्ति के विक्रय की पुष्टि कर दी गई हो तो व्यतिक्रमी में निहित उपरोक्त अचल सम्पत्ति की भूमि में अधिकार, स्वत्व व हित नीलामी विक्रय के दिनांक से प्रमाणित क्रेता में निहित समझा जायेगा।

<u>विक्रय प्रमाण पत्र</u>

विक्रय का प्रमाण पत्र (धारा 198)

176. (1) जब धारा 194 के अन्तर्गत अचल सम्पत्ति के विक्रय की पुष्टि की गयी है, तो कलेक्टर द्वारा **आर0सी0 प्रपत्र–44** के अन्तर्गत विक्रय का प्रमाण पत्र उस व्यक्ति को जारी करेगा जो निलामी विक्रय का क्रेता घोषित किया गया है।

(2) जब अचल सम्पत्ति को धारा 184(2) के अन्तर्गत समूह में विक्रय किया गया है, वहां प्रत्येक निलामी क्रेता के लिए विक्रय प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

(3) प्रत्येक विक्रय प्रमाण पत्र उतने मूल्य के स्टाम्प पत्र पर विलेखित किया जायेगा जितना कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के धारा 18 के अनुसूची I-B में बताया गया है।

(4) इस नियम के अन्तर्गत जारी किये गये विक्रय विलेख के रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण की आवश्यता नहीं है परन्तु, राजस्व अधिकारी जिसने विक्रय प्रमाण पत्र

को जारी किया है, उसकी एक प्रति रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के पास उक्त अधिनियम के धारा 89 के अन्तर्गत बही संख्या–1 में दर्ज किये जाने हेतु प्रेषित करेगा।

(5) विक्रय प्रमाण पत्र की प्रति जो पंजीकरण हेतु पंजीकरण प्राधिकारी के पास उपनियम (4) के अन्तर्गत प्रेषित की गई है वह स्टाम्प शुल्क से मुक्त होगी।

कब्जे का परिदान
(धारा 199 एवं 201)

177. यदि वह व्यक्ति जिसको अचल सम्पत्ति का क्रेता घोषित किया गया है, उस सम्पत्ति पर कब्जे के लिए आवेदन करता है तो, कलेक्टर उसे उस सम्पत्ति में कब्जा प्राप्त करायेगा और इस हेतु आवश्यकतानुसार आवश्यक बल का प्रयोग किया जा सकता है।

आदेशिकाओं के लिए खर्चे और संग्रह प्रभार

विभिन्न आदेशिकाओं के लिए खर्चे
(धारा 180)

178. धारा 170 से 178 के अन्तर्गत उल्लिखित विभिन्न प्रकार के आदेशिकाओं के लिए मूल्य निम्नवत होंगे जो भू–राजस्व की भांति वसूले जायेगें–

(क) बकाये का अधिपत्र रू0 5/–

(ख) गिरफ्तारी का अधिपत्र रू0 10/–

वसूली प्रभार
(धारा 180)

179. जहां भू–राजस्व के बकाये के रूप में वसूल किये जाने योग्य किसी धनराशि को इस संहिता के अधीन या उसके उपबंधों के अनुसार वसूल किया जाना हो, तो राज्य सरकार धारा 180 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये नियम 178 में निर्दिष्ट प्रक्रिया के लागत के अतिरिक्त प्रत्येक बकाये की राशि की पांच प्रतिशत की दर से वसूली प्रभार की हकदार होगी।

समन एवं अन्य सम्बन्धित प्रक्रियाओं की तामील हेतु शुल्क
[धारा 233(2)(उन्नीस)]

180. (1) जब किसी वाद, प्रार्थना पत्र या अन्य कार्यवाही (जिसमें अपील पुनरीक्षण अथवा पुनर्विलोकन सम्मिलित है) से संबंधित कोई नोटिस, समन, उद्घोषणा या अन्य आदेशिका विपक्षी को निर्गत करना होता है, तब वादी, अपीलार्थी या प्रार्थी, इस नियम और नियम 181 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, समय–समय पर संशोधित राजस्व न्यायालय संग्रह में उल्लिखित राजस्व न्यायालयों द्वारा निर्गत आदेशिकाओं के तामीला एवं निष्पादन के लिये प्रभार्य शुल्क की दर के अनुसार आदेशिका शुल्क जमा करेंगे।

(2) उक्त आदेशिका शुल्क न्यायालय फीस स्टाम्प में देय होगी।

(3) यदि ऐसी कोई आदेशिका को समाचार पत्र में प्रकाशन द्वारा

तामील कराया जाता है, तो वादी, अपीलार्थी या प्रार्थी को प्रकाशन की वास्तविक लागत नगद रूप में जमा करनी होगी।

(4) यदि ऐसी कोई आदेशिका विशेष वाहक के द्वारा तामील करायी जाती है, तो वादी, अपीलार्थी या प्रार्थी को ऐसा विशेष शुल्क, जो न्यायालय प्रत्येक वाद में निर्धारित करें, जमा करना होगा।

(5) इस नियम में निर्धारित शुल्क, आदेशिका की लागत अथवा वसूली प्रभार जैसा कि धारा 180 में निर्दिष्ट है, के अतिरिक्त होगा।

आदेशिका जिनके लिये कोई शुल्क प्रभार्य नहीं है

(धारा 233)

181. पूर्ववर्ती नियमों में कुछ भी होते हुये, कोई भी शुल्क तामीली अथवा निष्पादन के लिए प्रभार्य नहीं होगा –

(क) राजस्व न्यायालय या राजस्व अधिकारी के अपने समावेदन द्वारा जारी कोई आदेशिका।

(ख) कोई भी आदेशिका जो पक्षकार के आवेदन से अन्यथा स्थगन के परिणाम स्वरूप दूसरी बार जारी हुई हो।

(ग) किसी न्याय सदन या कार्यालय में डाक द्वारा प्रेषित समन, नोटिस या कोई अन्य आदेशिका की प्रतिलिपि।

(घ) कोई भी आदेश जो जेल के प्रभारी अधिकारी को उसकी अभिरक्षा में रखे किसी व्यक्ति को निरूद्ध करने अथवा निर्मुक्त करने को निदेशित करता हो।

(ङ) कोई भी आदेशिका जो किसी राजस्व न्यायालय या राजस्व अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति की हाजिरी के लिए जारी की गयी हो (वाद, अपील या अन्य कार्यवाही के पक्षकार के अलावा) और जो ऐसे किसी पक्षकार द्वारा गवाह के रूप में न बुलाया गया हो।

(च) कोई भी उद्घोषणा जो धारा 35 या धारा 48 में निर्दिष्ट हो।

अध्याय–तेरह

राजस्व न्यायालयों की अधिकारिता तथा प्रक्रिया

प्रमाणित प्रति या आदेश या डिक्री जिसे संलग्न करना हो।
(धारा 233)

182. जहां किसी आदेश या डिक्री के विरूद्ध कोई अपील या पुनरीक्षण संहिता के किसी उपबन्ध के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जाता है, तो ऐसे आदेश या डिक्री की प्रमाणित प्रति सदैव अपील या पुनरीक्षण के ज्ञापन के साथ संलग्न होगी, जब तक की ऐसी प्रति सम्बन्धित न्यायालय या अधिकारी द्वारा अभिमुक्त न कर दी गयी हो।

अपीली एवं पुनरीक्षण न्यायालय की शक्तियां
(धारा 207, 208 एवं 210)

183. (1) अपीली या पुनरीक्षण न्यायालय या तो अपील या पुनरीक्षण, जैसी भी स्थिति हो, को स्वीकार कर सकता है या अपीलार्थी अथवा पुनरीक्षणकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के बाद संक्षेपतः उसे खारिज कर सकता है।

(2) यदि अपील अथवा पुनरीक्षण स्वीकार किया जाता है, तो मामले की सुनवाई के लिए तिथि नियत की जायेगी और प्रत्यर्थी अथवा विरोधी पक्षकार को नोटिस तामील करायी जायेगी।

(3) अपीली अथवा पुनरीक्षण न्यायालय, पक्षों की सहमति से, अपील अथवा पुनरीक्षण को ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही अन्तिम रूप से निस्तारित कर सकते हैं।

(4) अपीली अथवा पुनरीक्षण न्यायालय, अपील अथवा पुनरीक्षण, जैसी भी स्थिति हो, को दाखिल करने के दिनांक से छः माह की अवधि के अन्दर अन्तिम रूप से तय करने का प्रयास करेगा और यदि उक्त अवधि के अन्दर वह अन्तिम रूप से तय नहीं की जाती है तो उसके लिये कारण अभिलिखित करना होगा।

पुनरीक्षण के आदेश में फेर–बदल
(धारा 210)

184. धारा 210 के अन्तर्गत पुनरीक्षण में किसी भी आदेश में फेर–बदल नहीं किया जायेगा अथवा उसे उलट नहीं दिया जायेगा, जब तक कि इच्छुक पक्षकार को नोटिस तामील न हो जाये और उन्हें सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो।

राज्य सरकार को पक्षकार बनाया जाना
(धारा 213)

185. जब ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा कोई वाद, प्रार्थना पत्र या कार्यवाही दाखिल की जाती है या संस्थित की जाती है तो राज्य सरकार को पक्षकार के रूप में अभियोजित किया जायेगा।

सी0पी0सी0 का लागू न होना
(धारा 214)

186. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के प्रावधान संहिता अथवा इस नियमावली के अधीन संक्षिप्त कार्यवाही पर लागू नहीं होंगे, किन्तु ऐसी कार्यवाहियों के निस्तारण में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में

उल्लिखित सिद्धान्तों और नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का पालन किया जायेगा।

विशेषज्ञ साक्ष्य का बाधित हो (धारा 233)

187. धारा 33 से 35 में निर्दिष्ट नामान्तरण की कार्यवाहियों में, किसी भी राजस्व न्यायालय या राजस्व अधिकारी द्वारा विशेषज्ञ साक्ष्य उपलब्ध कराने का अनुरोध ग्रहण नहीं किया जायेगा, जब तक कि अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से ऐसे न्यायालय या अधिकारी द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न कर दिया जाये।

संहिता के उपबन्धों का लागू किया जाना (धारा 214)

188. जब इस संहिता के अधीन किसी वाद, प्रार्थना पत्र या कार्यवाही के संबंध में उक्त संहिता या तदन्तर्गत बनी नियमावली या विनियमावली में अभिव्यक्त उपबन्ध बनाया गया है, तो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 या परिसीमा अधिनियम, 1963 में किसी बात के होते हुये भी, संहिता, नियमावली एवं विनियमावली के प्रावधान लागू होंगे।

अध्याय–चौदह

प्रकीर्ण

सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले प्रवेश पर पाबन्दी
(धारा 220)

189. सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद कोई भी राजस्व अधिकारी अन्य लोक सेवकों के साथ अथवा उनके बिना किसी भूमि अथवा इमारत में कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्रवेश नहीं करेगा।

दरवाजे को तोड़ कर खोला जाना
(धारा 220)

190. (1) निवास–गृह का कोई बाहरी दरवाजा इस संहिता के अधीन कर्तव्य के निर्वहन के लिये किसी राजस्व अधिकारी द्वारा तोड़कर खोला नहीं जायेगा जब तक कि ऐसा निवास गृह किसी व्यतिक्रमी के अधिभोग में न हो और वह सम्यक् चेतावनी के बावजूद ऐसे दरवाजे को खोलने से इंकार कर रहा हो।

(2) जहां निवास गृह में कोई कमरा किसी ऐसी महिला के अधिभोग में हो जो स्थानीय रीति के अनुसार लोगों के सामने न आती हो तो संबंधित राजस्व अधिकारी उक्त कमरे में प्रवेश करने के पूर्व प्रत्याहृत की स्वतंत्रता देगा।

परिसीमा और न्याय शुल्क
(धारा 233)

191. (1) सभी वाद, प्रार्थना पत्र और कार्यवाहियां जो परिशिष्ट–I में वर्णित है, प्रत्येक के समक्ष विनिर्दिष्ट परिसीमा की कालावधि के भीतर संस्थित होंगे।

(2) परिशिष्ट में वर्णित वाद के सम्बन्ध में वाद पत्र पर देय न्यायालय शुल्क उनके समक्ष विनिर्दिष्ट दर के अनुसार देय होगा।

(3) इन नियमों में जैसा उपबंधित है को छोड़कर, अपील के ज्ञाप पर न्यायालय शुल्क वहीं होगा जो कि परीक्षण न्यायालय के समक्ष दाखिल किये गये वाद पत्र पर देय होगा।

(4) सभी अभिलेख, उपनियम (2) एवं (3) में विनिर्दिष्ट को छोड़कर, जो कि किसी वाद, प्रार्थना पत्र या कार्यवाही में दाखिल अथवा प्रदर्शित किये गये हो, न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 में दिये गये शुल्क की दर से प्रभार्य होंगे।

संक्षिप्त कार्यवाही में प्रश्नों का निर्धारण
(धारा 225–क)

192. (1) इस संहिता या इस नियमावली के अन्तर्गत किसी संक्षिप्त कार्यवाही में निर्धारण के लिये उद्भूत सभी प्रश्नों का विनिश्चय शपथपत्र पर किया जायेगा।

(2) निम्नलिखित कार्यवाहियां संक्षिप्त कार्यवाहियां मानी जायेंगी, अर्थातः–

धारा	विवरण
24	सीमांकन की कार्यवाही।
25	रास्ते के अधिकार और अन्य सुखाचार के सम्बन्ध में कार्यवाही।
26	अवरोध हटाने के सम्बन्ध में कार्यवाही।
30(2)	मिनजुमला संख्या के भौतिक विभाजन से सम्बन्धित कार्यवाही।
31(2)	अंश के निर्धारण से सम्बन्धित कार्यवाही।
32	अभिलेख संशोधन से सम्बन्धित कार्यवाही।
35	नामांतरण कार्यवाही।
38	त्रुटि या लोप की दुरूस्ती से सम्बन्धित कार्यवाही।
49	मानचित्र और अभिलेख के पुनरीक्षण से सम्बन्धित कार्यवाही।
58	धारा 54, 56 या 57 में उल्लिखित किसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में उद्भूत विवाद के सम्बन्ध में कार्यवाही।
66	आबादी स्थल के अनियमित आबंटन की जांच के सम्बन्ध में कार्यवाही।
67	अवैध अध्यासी की बेदखली के सम्बन्ध में कार्यवाही।
80	अकृषिक प्रयोग के लिये घोषणा के सम्बन्ध में कार्यवाही।
82	घोषणा के निरस्तीकरण के सम्बन्ध में कार्यवाही।
98	अनुसूचित जाति से भिन्न व्यक्ति को भूमिधरी भूमि अन्तरित करने की अनुज्ञा से सम्बन्धित कार्यवाही।
101	विनिमय की कार्यवाही।
105(2)	भूमि के कब्जे की कार्यवाही।
128	आबंटन एवं पट्टे के निरस्तीकरण की कार्यवाही।
149 और 150	सरकारी पट्टेदार की बेदखली की कार्यवाही।
193	अनियमितता के लिये विक्रय अपास्त कराने की

	कार्यवाही।
195	कलेक्टर अथवा आयुक्त द्वारा विक्रय को अपास्त कराने के लिये कार्यवाही।
212	प्रकरणों के स्थानान्तरण के लिये कार्यवाही।

(3) राज्य सरकार या परिषद संहिता या इस नियमावली के अन्तर्गत वादों को छोड़कर किसी अन्य कार्यवाही को संक्षिप्त कार्यवाही घोषित कर सकती है।

(4) संक्षिप्त कार्यवाही के निस्तारण की प्रक्रिया राजस्व न्यायालय मैनुअल में दी गयी है।

ग्राम राजस्व समिति का गठन

(धारा 225–ग)

193. (1) प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिये एक ग्राम राजस्व समिति होगी और उस समिति में अध्यक्ष सहित पांच से अनधिक सदस्य होंगे।

(2) भूमि प्रबन्धक समिति का अध्यक्ष ग्राम राजस्व समिति का अध्यक्ष होगा।

(3) चुनाव में प्रधान पद के लिये द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाला, यदि कोई हो, ग्राम राजस्व समिति का उपाध्यक्ष होगा। यदि प्रधान पद के लिये द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाला कोई नहीं है तो ग्राम राजस्व समिति के सदस्य अपने में से उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे।

(4) इस नियमावली के प्रारम्भ हो जाने के बाद यथाशीघ्र, और उसके बाद प्रत्येक बार जब भूमि प्रबन्धक समिति का गठन हो, तो प्रत्येक भूमि प्रबन्धक समिति का अध्यक्ष, एक लिखित आदेश द्वारा कोई तिथि नियत करेगा जिस पर भूमि प्रबन्धक समिति के सदस्य बैठक करेंगे और संहिता की धारा 225–ग के अन्तर्गत ग्राम राजस्व समिति का गठन करने के लिये अपने में से तीन सदस्यों का चुनाव करेंगे।

(5) उपनियम (4) के अन्तर्गत आदेश निर्गत किये जाने पर भूमि प्रबन्धक समिति का सचिव भूमि प्रबन्धक समिति के सदस्यों को कम से कम एक सप्ताह की नोटिस देगा जिसमें भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा ग्राम राजस्व समिति के लिये चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या और दिनांक, समय तथा बैठक का स्थान उल्लिखित होगा।

(6) बैठक के लिये आवश्यक गणपूर्ति भूमि प्रबन्धक समिति के तत्कालीन सदस्यों की कुल संख्या का 2/3 होगी।

(7) जैसे ही बैठक प्रारम्भ होती है, अध्यक्ष ग्राम राजस्व समिति के सदस्य के पद पर चुनाव के लिये नामांकन आमंत्रित करेगा जो भूमि

प्रबन्धक समिति के दो सदस्यों द्वारा समर्थित होगा जिसमें एक प्रस्तावक और दूसरा समर्थक होगाः

परन्तु यह कि कोई उम्मीदवार अपना स्वयं का नाम प्रस्तावित कर सकता है।

(8) अध्यक्ष, सभी वैध रूप से नामांकित उम्मीदवारों के नाम एक रजिस्टर में दर्ज करेगा और उसे उसी समय घोषित करेगा।

(9) यदि वैध रूप से नाम निर्दिष्ट उम्मीदवारों की संख्या चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या के बराबर है तो अध्यक्ष ऐसे सभी उम्मीदवारों को सम्यक रूप से निर्वाचित घोषित करेगा।

(10) यदि वैध रूप से नाम निर्दिष्ट उम्मीदवारों की संख्या पद की अपेक्षित संख्या से कम है तो अध्यक्ष ऐसे सभी उम्मीदवारों को सम्यक रूप से निर्वाचित घोषित करेगा। उसके बाद इस नियमावली में विहित प्रक्रिया के अनुसार शेष पदों को भरने के लिये फिर से कार्यवाही करेगा।

(11) यदि वैध रूप से नाम निर्दिष्ट उम्मीदवारों की संख्या पदों की संख्या से अधिक है तो अपेक्षित सदस्य, भूमि प्रबन्धक समिति की बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा गुप्त मतदान द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे।

(12) मत व्यक्तिगत रूप से दिया जायेगा और कोई भी मत परोक्षी द्वारा मान्य नहीं होगा। प्रत्येक सदस्य के पास एक मत होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि अध्यक्ष को मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(13) अध्यक्ष, मत पड़ जाने के बाद, यथाशीघ्र, उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति में मतों का एक अभिलेख तैयार करेगा और पदों की संख्या की सीमा तक उन उम्मीदवारों को सम्यक रूप से निर्वाचित घोषित करेगा जो क्रम से अधिकतम मत प्राप्त किये हों।

(14) उम्मीदवारों के बीच मतों के बराबर होने की दशा में अध्यक्ष सदस्यों की उपस्थिति में लाटरी निकालेगा और वह उम्मीदवार जिसका नाम पहले निकलता है सम्यक रूप से निर्वाचित घोषित कर दिया जायेगा।

(15) राजस्व ग्राम समिति के सदस्य पद पर आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिये अपनायी जाने वाली प्रक्रिया यथासम्भव वही होगी जो

पूर्ववर्ती नियमों में दी गयी है।

(16) भूमि प्रबन्धक समिति, ग्राम राजस्व समिति के गठन के लिये वैध रूप से निर्वाचित उम्मीदवारों की सूची सहित प्रस्ताव आवश्यक अनुमोदन के लिये उपजिलाधिकारी के माध्यम से कलेक्टर के पास भेजेगी। कलेक्टर के अनुमोदन के बाद ग्राम राजस्व समिति गठित मान ली जायेगी।

(17) यदि भूमि प्रबन्धक समिति ग्राम राजस्व समिति के गठन के लिये प्रस्ताव प्रेषित करने के निदेश का पालन नहीं करती है तो कलेक्टर संहिता की धारा 71 के अन्तर्गत शक्ति का प्रयोग कर सकता है।

(18) ग्राम राजस्व समिति ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन और कृत्यों का पालन करेगी जो संहिता या नियम या विनियम या राज्य सरकार अथवा परिषद द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निदेशों द्वारा अधिरोपित या समनुदिष्ट किया जाय।

(19) यदि शपथपत्र से समर्थित किसी शिकायती प्रार्थना पत्र से या अन्यथा कलेक्टर का, आवश्यक जांच के बाद, यह समाधान हो जाता है कि ग्राम राजस्व समिति युक्तियुक्त कारण या प्रतिहेतु के बिना संहिता या नियम या विनियम या राज्य सरकार अथवा परिषद द्वारा समय–समय पर जारी निदेशों द्वारा अधिरोपित या समनुदिष्ट कर्तव्यों के निर्वहन और कृत्यों का पालन, करने से इनकार कर दिया गया है या करने में असफल रही है तो वह ग्राम राजस्व समिति को विघटित कर सकता है और इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार नई ग्राम राजस्व समिति का गठन कर सकता है:

प्रतिबन्ध यह है कि ग्राम राजस्व समिति को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना भंग नहीं किया जायेगा।

(20) ग्राम राजस्व समिति के अध्यक्ष अथवा सदस्य का त्यागपत्र कलेक्टर द्वारा स्वीकार किया जा सकता है और अध्यक्ष या सदस्य के पद की रिक्ति को इस नियम में एतश्मिन पूर्व उल्लिखित रीति से भरी जायेगी।

(21) यदि ग्राम राजस्व समिति का कोई सदस्य एतश्मिन पूर्व यथा उल्लिखित अपने कर्तव्यों का निर्वहन और अपने कृत्यों का पालन नहीं कर रहा है तो भूमि प्रबन्धक समिति ऐसे सदस्य को हटाने के लिये प्रस्ताव पारित कर सकती है और उसे उपजिलाधिकारी के माध्यम से

कलेक्टर के अनुमोदन के लिये अग्रसारित किया जायेगा।

(22) यदि सदस्य के हटाये जाने के लिये भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा प्रेषित प्रस्ताव कलेक्टर द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है, तो सम्बन्धित सदस्य का पद रिक्त हो जायेगा और विधि के अनुसार उसे भरा जायेगा।

(23) ग्राम राजस्व समिति का कोई कृत्य या कार्यवाही उसके गठन में किसी त्रुटि अथवा उसमें किसी रिक्ति के विद्यमान होने के आधार मात्र पर अवैध नहीं होगी।

निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवा
(धारा 233)

194. राज्य सरकार, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (अधिनियम संख्या 39 सन् 1987), जैसा कि समय–समय पर संशोधित है, के उपबन्धों के अनुसार संहिता या तदन्तर्गत बनी नियमावली के अधीन उद्‌भूत होने वाले विवादों एवं मुकदमों के सम्बन्ध में समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवा उपलब्ध करायेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि आर्थिक या अन्य अनर्हताओं के कारण कोई नागरिक, न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न हो और यह सुनिश्चित करने के लिये लोक अदालतों का प्रबन्ध करेगी कि विधिक प्रणाली की संक्रिया समान अवसर के आधार पर न्याय की अभिवृद्धि करे।

अवचार
(धारा 233)

195. यदि कोई राजस्व अधिकारी वाद, प्रार्थना पत्र या कार्यवाही को नियत अवधि के अन्दर तय नहीं करता है या कोई अन्य कर्मचारी उक्त अवधि के अन्दर अपेक्षित आख्या प्रेषित नहीं करता है और विलम्ब के लिये कोई पर्याप्त कारण अभिलिखित नहीं किया जाता है, तो यह उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन और अपील) नियमावली, 1999 के अन्तर्गत, अवचार होगा।

न्यायिक रूप से कार्य करने वाले राजस्व अधिकारियों का संरक्षण
(धारा 233)

196. न्यायिक रूप से कार्य करने वाले राजस्व अधिकारी न्यायिक अधिकारी संरक्षण अधिनियम, 1850 (अधिनियम संख्या 18 सन्, 1850) में समाविष्ट संरक्षण के हकदार होंगे।

व्यावृत्ति
(धारा 233)

197 इस नियमावली के प्रावधान इसके लागू होने के पूर्व किसी न्यायालय में विचाराधीन वाद, अपील, पुनरीक्षण अथवा अन्य कार्यवाहियों को प्रभावित नहीं करेंगे। ऐसे वाद, अपील, पुनरीक्षण अथवा अन्य कार्यवाहियां इस नियमावली द्वारा विखंडित नियमों के प्रावधानों के

अनुसार तय किये जायेंगे।

आज्ञा से,

(सुरेश चन्द्रा)
प्रमुख सचिव।

परिशिष्ट–I

परिसीमा और न्यायालय शुल्क

(नियम 191)

क्रम संख्या	धारा	वाद की प्रकृति आवेदन और कार्यवाही	सीमा अवधि	उपयुक्त न्यायालय शुल्क
1	2	3	4	5
1	24(1)	सीमा विवाद के निपटारे के लिये आवेदन	शून्य	रू0 5/–
2	24(4)	आयुक्त को अपील	जैसा कि धारा 24(4) में उल्लिखित	रू0 5/–
3	32	अभिलेखों में सुधार हेतु आवेदन	शून्य	न्यायालय शुल्क अधिनियम 1870 के अनुसार
4	35(2)	उपजिलाधिकारी को अपील	जैसा कि धारा 35(2) में उल्लिखित	रू0 5/–
5	38(1)	अभिलेखों में सुधार हेतु आवेदन	शून्य	न्यायालय शुल्क अधिनियम 1870 के अनुसार
6	38(4)	आयुक्त को अपील	जैसा कि धारा 38 (4) में उल्लिखित	रू0 5/–
7	49(8)	अभिलेख अधिकारी को अपील	जैसा कि धारा 49 (8) में उल्लिखित	रू0 5/–
8	57(2)	वृक्षारोपण हेतु आवेदन	शून्य	रू0 5/–
9	58(1)	इस धारा में विवाद के निस्तारण हेतु आवेदन	शून्य	रू0 5/–
10	58(2)	आयुक्त को आवेदन	जैसा कि धारा 58(2) में उल्लिखित	रू0 5/–
11	66(1)	आबंटन रद्द करने हेतु आवेदन	जैसा कि धारा 66(2) में उल्लिखित	रू0 5/–
12	67(5)	जिलाधिकारी को आवेदन	जैसा कि धारा 67(5) में उल्लिखित	रू0 5/–
13	80(1)	उद्घोषणा के लिये आवेदन	शून्य	संहिता के नियम 85(2) के उपबन्धों के अनुसार
14	82(1)	उद्घोषणा रद्द किये जाने के लिए आवेदन	शून्य	रू0 50/–
15	82(2)(सी)	भूमिधर के द्वारा बेदखली का वाद	धारा 82(1) के अन्तर्गत रद्द की गयी घोषणा तिथि से 3 वर्ष के भीतर	न्यायालय शुल्क अधिनियम 1870 के अनुसार
16	85(1)	ग्राम पंचायत के द्वारा बेदखली का वाद	शून्य	न्यायालय शुल्क अधिनियम 1870 के अनुसार
17	85(2)	भूमिधारक द्वारा बेदखली के वाद	शून्य	न्यायालय शुल्क अधिनियम 1870 के अनुसार
18	98(1)	भूमि के हस्तान्तरण के लिए आवेदन	शून्य	रू0 2/–

19	101(1)	भूमि के विनिमय के लिए आवेदन	शून्य	रू0 50/–
20	107(2)	वसीयत की अनुमति हेतु आवेदन पत्र	शून्य	रू0 2/–
21	115(3)	भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु आवेदन	जैसा कि धारा 115(3) में उल्लिखित	रू0 5/–
22	116	जोत के विभाजन हेतु वाद	शून्य	न्यायालय शुल्क अधिनियम 1870 के अनुसार वादी के भू–राजस्व के अंश पर देय
23	122(3)	भूमि पर दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा आवेदन	जैसा कि धारा 122(3) में उल्लिखित	रू0 5/–
24	131(1)	असामी की बेदखली हेतु वाद	शून्य	न्यायालय शुल्क अधिनियम 1870 के अनुसार एक वर्ष के किराये पर
25	131(4)	किराये की बकाया राशि के लिये वाद	किराया देय होने की तिथि से तीन साल	रू0 5/–
26	133	व्यादेश, मुआवजा या मरम्मत के लिये वाद	कार्यवाही के कारण के उपार्जन से तीन साल	न्यायालय शुल्क अधिनियम 1870 के अनुसार
27	134	बेदखली और क्षतिपूर्ति के लिये वाद	कब्जे की तारीख के आगामी पहली जुलाई से बारह वर्ष	न्यायालय शुल्क अधिनियम के अनुसार वार्षिक भू–राजस्व पर
28	137(1)	कब्जा या मुआवजे के लिये वाद	गलत तरीके से निर्वासन की तारीख से 3 साल	न्यायालय शुल्क अधिनियम 1870 के अनुसार
29	139(1)	किराये के निर्धारण के लिये आवेदन	असामी के अधिकारों की समाप्ति की तारीख से 1 वर्ष	न्यायालय शुल्क अधिनियम 1870 के अनुसार
30	141(1)	किराये की गणना के लिये आवेदन	असामी अधिकारों की समाप्ति की तारीख से 1 वर्ष	न्यायालय शुल्क अधिनियम 1870 के अनुसार
31	144	भूमिधर या असामी द्वारा घोषणा के लिये वाद	शून्य	रू0 10/–
32	145	ग्राम पंचायत द्वारा घोषणा के लिये वाद	शून्य	रू0 5/–
33	151(1)	सरकारी पट्टेदारी द्वारा बेदखली और क्षतिपूर्ति के लिये वाद	शून्य	न्यायालय शुल्क अधिनियम 1870 के अनुसार

परिशिष्ट–II

ग्राम पंचायत सम्बन्धी मुकदमों के संचालन के लिये अनुदेश

मुकदमों के सम्बन्ध में प्रक्रिया

ग्राम पंचायत एक शतत् अनुक्रम वाली निगमित निकाय है जिसे यह सामर्थ्य प्राप्त है कि वह अपने कानूनी नाम से दूसरे पर वाद प्रस्तुत करे और दूसरा उस नाम पर उसके विरूद्ध वाद प्रस्तुत कर सके। इसकी ओर से भूमि प्रबन्धक समिति और उसका अध्यक्ष सामान्यतः सरकार के और स्थानीय रूप से कलेक्टर या उपजिलाधिकारी के नियन्त्रण में रहते हुये ग्राम पंचायत सम्बन्धी सभी मुकदमों के संचालन के लिये जिम्मेदार है।

2. ग्राम पंचायत के मुकदमों के संचालन का कार्य भूमि प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष के व्यक्तिगत विवेक के अधीन नहीं होगा, किन्तु समग्र रूप से भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव का विषय होगा किन्तु अत्यावश्यक मामलों में अध्यक्ष अपने विवेक से कार्यवाही कर सकता है और उसके बाद उसे भूमि प्रबन्धक समिति की अगली बैठक की कार्यसूची में सम्मिलित करके समिति का अनुसमर्थन प्राप्त कर सकता है।

3. ऐसे सभी प्रकरणों में जिनमें भूमि प्रबन्धक समिति का कोई सदस्य, या अध्यक्ष भूमि प्रबन्धक समिति से सम्बद्ध किसी वाद या कार्यवाही में या तो कोई पक्ष हो या वाद के विषय में किसी अन्य प्रकार से हित रखता हो तो समिति इसी आशय के एक प्रस्ताव द्वारा ऐसे सदस्य को मुकदमें की पैरवी का काम सौंपेगी जो उस सदस्य या अध्यक्ष से, जैसी भी स्थिति हो, भिन्न हो।

ग्राम पंचायत के नामिका वकील

4. (1) ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा या उनके विरूद्ध वाद, आवेदन और अन्य कार्यवाही जिनके अन्तर्गत आपत्ति, अपील, पुनरीक्षण, रिट और विशेष अपीलें भी सम्मिलित हैं, के संचालन के लिये संहिता की धारा 72 के अन्तर्गत उसके अधीन बनी नियमावली के नियम 72 में उपबन्धित रीति से नामिका वकील नियुक्त किये जायेंगे।

(2) नामिका वकील ऐसे क्षेत्र की, जिसके लिये उसकी नियुक्ति की गयी है, किसी ग्राम पंचायत की ओर से, किसी न्यायालय में ग्राम पंचायत द्वारा या उसके विरूद्ध किसी वाद या अन्य प्रकरण में, जिसका प्रभार उसके पास है, बिना किसी लिखित प्राधिकार के उपस्थित होगा, अभिवचन करेगा और कार्य करेगा।

(3) नामिका वकील, किसी न्यायालय में उस क्षेत्र, जिसके लिये उसकी नियुक्ति की गयी है, की ग्राम पंचायत का, उस न्यायालय द्वारा ऐसी ग्राम पंचायत, ग्राम सभा या भूमि प्रबन्धक समिति के विरूद्ध उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 अथवा ऐसी संहिता द्वारा निरसित परिनियमों के अधीन जारी की गयी आदेशिकाओं को प्राप्त करने के लिये अभिकर्ता होगा।

(4) ऐसे प्रकरण में जो दो न्यायालयों अर्थात राजस्व तथा सिविल दोनों में हो, राजस्व नामिका वकील राजस्व न्यायालय और सिविल नामिका वकील सिविल न्यायालय में पैरवी करेगा।

5. नामिका वकील द्वारा निःशुल्क राय और विधिक सलाहः– नामिका वकील भूमि प्रबन्धक समिति को निःशुल्क विधि सम्बन्धी राय तथा परामर्श देने के लिये सदैव ही उपलब्ध रहेंगे। समिति का अध्यक्ष विधि के विषय में उनसे सीधे सलाह ले सकता है, विशेषतया उन सभी मामलों में जिनमें ग्राम पंचायतों को प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाया गया हो या जहां वे उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 या भू–राजस्व अधिनियम, 1901 या राजस्व संहिता, 2006 के अन्तर्गत वाद या प्रार्थना पत्र दाखिल करना चाहती हों।

6. (1) केवल कलेक्टर तथा उपजिलाधिकारी ही नामिका वकीलों को आबद्ध करने की स्वीकृत देने के लिये प्राधिकृत हैं। प्रत्येक मामले में भूमि प्रबन्धक समिति ऐसे वकीलों को आबद्ध करने के लिये उनकी स्वीकृति प्राप्त करेगी और उन्हें सीधे आबद्ध नहीं करेगी।

(2) भूमि प्रबन्धक समिति, कलेक्टर की विशिष्ट अनुमति के सिवाय, नामिका वकील के अतिरिक्त किसी अन्य वकील को आबद्ध नहीं कर सकेगी।

(3) कलेक्टर, सामान्यतः केवल ऐसे उन मामलों में ही नामिका वकील के अतिरिक्त किसी अन्य वकील को आबद्ध किये जाने की अनुमति प्रदान करेगा, जो कि विशेष रूप से जटिल हों या जिनमें नामिका वकील के विरोधी पक्ष से दूरभि सन्धि करने की सम्भावना हो।

(4) ग्राम पंचायत के विरूद्ध की गयी अपील में (चाहे वह अकेले उसके विरूद्ध हो या राज्य के साथ एक पक्ष के रूप में हो) अधिवक्ता को आबद्ध करने के लिये कलेक्टर या उपजिलाधिकारी की नये सिरे से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है, चाहे अधिवक्ता वही हो, जिसे उस मूल वाद, जिससे उक्त अपील की गयी हो, में उपस्थित होने की अनुमति दी गयी थी।

7. दाण्डिक प्रकरणों में नामिका वकीलों का आबद्ध न किया जानाः– (1) नामिका वकीलों को आपराधिक प्रकरणों में अथवा पंचायत राज अधिनियम के अधीन प्रकरणों में आबद्ध नहीं किया जा सकता है। वे केवल उन्हीं प्रकरणों में उपस्थित हो सकेंगे जिनमें उनके आबद्ध किये जाने के लिये कलेक्टर या उपजिलाधिकारी ने अनुमोदन कर दिया हो। जबतक कि कलेक्टर अन्यथा निदेश न दे वे उन सभी प्रकरणों में जिसमें राज्य एक पक्ष हो, राज्य के हितों की रक्षा करेंगे। ग्राम पंचायत के द्वारा या उसके विरूद्ध दायर किये गये आपराधिक प्रकरणों में कलेक्टर या उपजिलाधिकारी के पूर्व अनुमोदन से ग्राम पंचायत की ओर से नामिका वकील (आपराधिक) को आबद्ध किया जाना चाहिये। नामिका वकील (आपराधिक) को उसी दर से शुल्क का भुगतान किया जायेगा जो उसी प्रकार के राज्य के प्रकरणों के लिये विहित हो और वह व्यय संचित ग्राम निधि से वहन किया जायेगा।

(2) नामिका वकील उस क्षेत्र की ग्राम पंचायत के विरूद्ध किसी प्रकरण में उपस्थित होने के लिये अनर्ह होंगे जिनके लिये उन्हें नियुक्त किया गया है, ऐसे आपवादिक मुकदमों को छोड़कर जिनमें

पैरवी करने के लिये कलेक्टर द्वारा अनुमति दे दी जाय। कलेक्टर ऐसी अनुमति तभी देगा जब ग्राम पंचायत तथा अन्य पक्ष में कोई विरोध न हो।

8. नामिका वकीलों का यह कर्तव्य होगा कि वे कलेक्टर या उपजिलाधिकारी को उन सभी मामलों की सूचना दें, जिनके सम्बन्ध में उनका समाधान हो गया हो कि अध्यक्ष, मंत्री या कोई अन्य सदस्य प्रतिपक्ष से दूरभि सन्धि कर ली या पैरवी में उत्साहहीनता दिखाई है। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 126 और 127, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 95(1) और राजस्व संहिता, 2006 की धारा 71 का प्रयोग दूरभि सन्धि तथा उदासीनता के मामलों को रोकने के लिये किया जा सकता है। इन धाराओं के अधीन राज्य सरकार के अधिकारों का प्रतिनिधायान कलेक्टरों तथा उपजिलाधिकारियों का कर दिया गया है।

9. नामिका वकील से परामर्श और सलाहः– जब भूमि प्रबन्धक समिति का अध्यक्ष, मंत्री या कोई नाम निर्दिष्ट व्यक्ति नामिका वकील के पास सलाह या परामर्श के लिये जाये, तो पहचान के प्रयोजन हेतु उसके पास तहसीलदार या नायब तहसीलदार के द्वारा जारी किया गया तहसील की मुहर सहित एक अधिकार पत्र होना चाहिये, जिससे नामिका वकील यह जान सके कि वास्तव में वह वही व्यक्ति है, जो वह अपने को बताता है। अध्यक्ष की पहचान करने का सर्वोत्तम उपाय यह होगा कि यह देख लिया जाये कि क्या उसके पास मुददमों के व्यय की सहायक लेखा पुस्तिका है जिसके प्रत्येक मद को नामिका वकील को प्रमाणित करनी होती है।

10. जिला शासाकीय अधिवक्ता प्रत्येक जिले में ऐसे सभी राजस्व तथा सिविल प्रकरणों का प्रभारी होगा जिसमें ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या भूमि प्रबन्धक समिति एक पक्ष हो और यथावश्यक सलाह तथा परामर्श देने के लिये भी उपलब्ध होगा। नामिका वकील उसके पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेंगे और कलेक्टर का सर्वोपरि नियन्त्रण होगा।

11. (1) पैरा 18 के उप–पैरा (4) के उपबन्धों के अधीन जिले के मुख्यालय पर कलेक्टर, सिविल जज या जिला जज के, या मण्डल के मुख्यालयों पर अतिरिक्त आयुक्त तथा आयुक्त के समक्ष ग्राम पंचायत के प्रकरणों में अपीलों या पुनरीक्षणों का संचालन उस जिले के जहां वे न्यायालय स्थित हों, नामिका वकीलों (यथास्थिति सिविल या राजस्व) द्वारा अपने जिला शासकीय अधिवक्ता से परामर्श करके किया जायेगा। ऐसे जिलों में जिनमें कोई सिविल नामिका वकील न हो जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल) द्वारा सिविल अपीलों या पुनरीक्षणों का संचालन किया जायेगा। राजस्व परिषद के समक्ष सभी राजस्व प्रकरणों और उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950, उत्तर प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1901, उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 या उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 और उच्च न्यायालय के समक्ष रिटें जिनमें उत्तर प्रदेश राज्य और ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या भूमि प्रबन्धक समिति पक्षकार हों या ग्राम पंचायत अकेले पक्षकार हो, ग्राम पंचायत के उस अधिवक्ता द्वारा किया जायेगा जिसकी नियुक्ति इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा की गयी हो और ऐसे मामले मे कलेक्टर द्वारा राज्य सरकार के राजस्व विभाग की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा। जिला नामिका

वकील साधारण शुल्क जो उन्हें अनुज्ञेय है प्राप्त करेंगे जब तक कि कलेक्टर यह प्रमाणित न कर दे कि किसी मामले की जटिल प्रकृति के कारण या किन्हीं अन्य विशेष कारणों से वे अधिक शुल्क पाने के हकदार हैं। उपर्युक्त मुकदमों से सम्बन्धित शुल्क के बिलों का भुगतान और अन्य प्रकीर्ण व्यय उस जिले के, जिससे मामला सम्बन्धित हो, संचित गांव निधि से किया जायेगा।

(2) संचित गांव निधि से मुकदमों के दैनिक व्ययों के लिये 1000/ रू0 की स्थायी अग्रिम धनराशि नामिका वकील को दी जा सकती है। नामिका वकील इस अग्रिम धनराशि में से व्यय कर सकता है और व्यय के बाउचरों को प्रस्तुत करके उस धनराशि को पुनः प्राप्त कर सकता है। वह वित्तीय वर्ष के अन्त में मार्च मास में व्यय न की गयी शेष धनराशि को यथास्थिति कलेक्टर के कार्यालय में राजस्व सहायक को या भूमि व्यवस्था अधिकारी के कार्यालय में लौटाकर अग्रिम धनराशि का अन्तिम लेखा दे देगा। नये वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने पर 1000/ रू0 की स्थायी अग्रिम धनराशि नामिका वकील को पुनः दे दी जायेगी।

वादो का संस्थापन और प्रतिवाद

12. नामिका वकील के परामर्श से वाद का संस्थित किया जानाः– (1) ग्राम पंचायत या ग्राम सभा या तो वाद चलाने या दायर करने वाली वादी होगी या ऐसे किसी वाद का विरोध करने वाली प्रतिवादी होगी। भूमि प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष को किसी वाद या कार्यवाही में कोई भी कार्य करने का अधिकार उस समय तक न होगा जब तक कि वह नामिका वकील से परामर्श न कर ले और उपजिलाधिकारी या कलेक्टर के आदेश न प्राप्त कर ले।

(2) वाद चलाने या कार्यवाही प्रारम्भ करने के पूर्व भूमि प्रबन्धक समिति का अध्यक्ष तहसीलदार को सम्पूर्ण तथ्यों की आख्या देगा और वाद या कार्यवाही को संस्थित करने के सम्बन्ध में भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा पारित संकल्प की एक प्रति भी देगा। तहसीलदार, ऐसी जांच करने के पश्चात, जो आवश्यक हो, तथा तहसील के नामिका वकील से परामर्श करने के पश्चात, तहसील के नामिका वकील की लिखित राय सहित अपनी आख्या उपजिलाधिकरी को भेजेगा। यदि वाद या कार्यवाही तहसील के मुख्यालय पर संस्थित की जानी हो, तो उपजिलाधिकारी निर्णय लेगा। यदि वाद या कार्यवाही जिला मुख्यालय के न्यायालय में संस्थित की जानी हो तो उपजिलाधिकारी सभी कागज–पत्र कलेक्टर को आदेशार्थ भेज देगा। तत्पश्चात कलेक्टर यह निर्णय करेगा कि वाद या कार्यवाही संस्थित की जाय अथवा नहीं। यदि वह आवश्यक समझे तो इस सम्बन्ध में मुख्यालय के नामिका वकील या जिला शासकीय अधिवक्ता से भी परामर्श कर सकता है।

(3) जहां ग्राम पंचायत की भूमि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 या उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के उपबन्धों के अन्तर्गत व्यक्तियों को आबंटित की गयी है और ऐसे आबंटन के विरूद्ध प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा कोई वाद संस्थित किया जाता है या कोई कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है तो ऐसे वादों या कार्यवाहियों में ग्राम पंचायत की ओर से पैरवी की जायेगी क्योंकि ऐसी भूमि में ग्राम पंचायत और राज्य सरकार का हित निहित होता है।

13. प्रतिवादी होने पर भूमि प्रबन्धक समिति का कर्तव्य :– (1) उन मामलों में जिनमें भूमि प्रबन्धक समिति प्रतिवादी हो, वह वादपत्र तथा सम्मनों की प्रति प्राप्त करेगी। ज्यों ही मामला तहसील या मुख्यालय के न्यायालय के समक्ष आये अध्यक्ष या विधिवत प्राधिकृत किसी सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वह मामले के तथ्य वर्णन तथा विवादग्रस्त भूमि की खतौनी तथा खसरा के नवीनतम उद्धरण सहित मामले की प्रकृति के अनुसार तहसील या मुख्यालय के नामिका वकील से तुरन्त सम्पर्क स्थापित करे। अध्यक्ष या विधिवत प्राधिकृत सदस्य से यदि और कोई जानकारी या स्पष्टीकरण आवश्य हो तो उसे प्राप्त कर लेने के पश्चात सम्बन्धित नामिका वकील, यदि वाद या कार्यवाही तहसील के किसी न्यायालय में हो, तो अपनी राय सहित कागज–पत्र तहसील के माध्यम से उपजिलाधिकारी को भेजेगा और यदि वाद या कार्यवाही जिला मुख्यालय के न्यायालय में हो तो वह अपनी राय सहित सम्बन्धित कागज–पत्र उपजिलाधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को भेजेगा। यदि वाद या कार्यवाही तहसील मुख्यालय के न्यायालय में संस्थित की गयी हो और शासन पक्ष न हो तो उपजिलाधिकारी यह निर्णय करेगा कि मामले का विरोध किया जाय अथवा नहीं। यदि वाद या कार्यवाही जिला मुख्यालय के किसी न्यायालय में संस्थित की गयी हो या शासन उसका एक पक्ष हो, तो उपजिलाधिकारी अपनी टिप्पणी सहित कागज–पत्रों को कलेक्टर को आदेशार्थ भेजेगा। तत्पश्चात कलेक्टर निर्णय लेगा कि वाद या कार्यवाही का विरोध किया जाय अथवा नहीं। यदि वह आवश्यक समझे तो मुख्यालय के नामिका वकील या जिला शासकीय अधिवक्ता से परामर्श कर सकता है।

(2) यदि उपजिलाधिकारी या कलेक्टर ने यह निर्णय किया हो कि वाद का विरोध किया जाय, तो तहसील नामिका वकील द्वारा तहसील मुख्यालय में स्थित न्यायालय में, और मुख्यालय नामिका वकील द्वारा जिला मुख्यालय में स्थित न्यायालय में, तद्नुसार एक प्रतिवाद पत्र दाखिल किया जायेगा। प्रतिवादपत्र पर भूमि प्रबन्धक समिति की ओर से उसके अध्यक्ष या यथावत प्राधिकृत किसी अन्य सदस्य द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे। ऐसे समस्त मामलों में जिनमें शासन एक पक्ष हो, कलेक्टर द्वारा यथावत हस्ताक्षरित एक प्रतिवाद पत्र अलग से दाखिल किया जायेगा, चाहे वे जिला मुख्यालय या तहसील मुख्यालय में विचाराधीन हो।

14. ऐसे प्रकरणों में, जिनमें ग्राम सभा या ग्राम पंचायत केवल औपचारिक पक्षकार हो और ऐसे किसी प्रकरण में दिये गये निर्णय से ग्राम पंचायत की सम्पत्ति अथवा सरकार के भू–राजस्व पर कोई प्रभाव पड़ने की सम्भावना न हो, तो कलेक्टर अथवा उपजिलाधिकारी साधारणः उक्त प्रकरणों का प्रतिवाद करने तथा जिला या तहसील के मुख्यालयों पर उक्त प्रयोजन के लिये नामिका वकील को करने की अनुमति नहीं देगा।

15. एकपक्षीय रूप से तय किये गये प्रकरणः– यह सम्भव है कि कुछ मामलों में ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या भूमि प्रबन्धक समिति के विरूद्ध एकपक्षीय निर्णय किया गया हो। ऐसे आदेश को अपास्त कराने की कालावधि उस आदेश की जानकारी से तीस दिनों की है। सामान्यतः ऐसी जानकारी उस समय होती है जब कि सफलता पाने वाला वादी न्यायालय के आदेश के निष्पादन के लिये या भूमि अभिलेखों में

शुद्धियों के लिये आवेदन देता है। दोनो ही प्रकार के मामलों में लेखपाल को एकपक्षीय आदेशों की जानकारी हो जायेगी और तब भूमि प्रबन्धक समिति की मंत्री की हैसियत से उस लेखपाल का यह कर्तव्य होगा कि वह एकपक्षीय आदेशों की सूचना उपजिलाधिकारी और कलेक्टर को दे। ये दोनो अधिकारी नामिका वकील से परामर्श लेकर एक पक्षीय डिक्री या आदेशों को अपास्त कराने की कार्यवाही करेंगे, यदि उनसे ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या राज्य सरकार के हितों पर सारवान रूप से प्रभाव पड़ता हो। ऐसे सभी मामलों में उपजिलाधिकारी या कलेक्टर इस बात का पता लगायेगा कि किस प्रकार मामले या वाद में चूक हुयी और यदि आवश्यक हो तो वह भूमि प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष या सदस्यों के विरूद्ध, यदि वे उसके लिये उत्तरदायी हों, कार्यवाही करेगा।

16. सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के अन्तर्गत नोटिसः— (1) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 80 के अन्तर्गत अथवा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 106 के अन्तर्गत ग्राम सभा या ग्राम पंचायत के ऐसे प्रकरणों में बहुत अधिक संख्या में नोटिसे प्राप्त होती हैं जिनमें राज्य एक पक्ष होता है। नामिका वकील या जिला शासकीय अधिवक्ता से परामर्श करने के पश्चात, कलेक्टर को यह निर्णय करना होता है कि वाद संस्थित किये जाने पर उसका विरोध किया जाये अथवा नहीं। कलेक्टर द्वारा इस बात का निर्णय लिये जाने के पश्चात कि वाद या कार्यवाही का विरोध किया जाये अथवा नहीं, निर्णय की सूचना तहसीलदार के माध्यम से सम्बन्धित ग्राम पंचायत को दी जायेगी जिससे कि सम्बन्धित अध्यक्ष को उन मामलों के विषय में जिनका विरोध किया जाना है, जानकारी प्राप्त हो सके, राजस्व सहायक द्वारा इस प्रयोजन हेतु मास विशेष के लिये विरोध किये जाने वाले मामलों और विरोध न किये जाने वाले मामलों की अलग–अलग सूचियां तैयार की जायेगी और उसके द्वारा मास विशेष के विरोध न किये जाने वाले मामलों की तहसीलों के अनुसार सूचियां अगले मास के तीसरे दिन तक तहसीलदार को भेजे जाने के लिये तैयार की जायेंगी। इन सभी सूचियों को प्रत्येक मास के पांचवे दिन तक अवश्य भी भेज दिया जाना चाहिये। तत्पश्चात तहसीलदार सम्बन्धित भूमि प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष को आवश्यक सूचना भेजेगा, जिससे कि वाद के वास्तव में संस्थित किये जाने और सम्मन और नोटिस प्राप्त हो जाने पर उन्हें अनावश्यक रूप से परामर्श या पैरवी के लिये तहसील या जिला मुख्यालय के नामिका वकीलों के पास दौड़ना न पड़े।

(2) ग्राम पंचायत या ग्राम सभा के प्रकरणों में राजस्व न्यायालयों के लिये विहित मिसिलबन्द रजिस्टर जिला मुख्यालयों पर राजस्व सहायक द्वारा रखे जायेंगे, जो कि ग्राम पंचायत के मामलों से सम्बन्धित कार्य का प्रभारी होगा, परन्तु उसे इस कार्य को किये जाने में जिला भूमि व्यवस्था अधिकारी के कार्यालय से सहायत प्रदान की जानी चाहिये। मिसिलबन्द रजिस्टर के संक्षिप्त अन्तिम आदेशों के स्तम्भ में वाद का विरोध किये जाने या न किये जाने के सम्बन्ध में कलेक्टर द्वारा दिये गये आदेश अंकित होने चाहिये, और वाद संस्थित किये जाने पर विशेष विवरण के स्तम्भ में नोटिस मामले से सम्बन्धित इन्द्राज के सामने एक इस आशय की कि वाद संस्थित कर दिया गया है, टिप्पणी अंकित की जानी चाहिये। उक्त टिप्पणी लिखते समय वाद की क्रम संख्या और दिनांक का भी उल्लेख कर देना

चाहिये। नोटिस पत्रावलियों को, जिनमें अन्तिम आदेश दे दिये गये हों, कालावधि की समाप्ति के दिनांक तक रखा जाना चाहिये जिससे वाद संस्थित किये जाने के समय वे सरलता से उपलब्ध रहें। वाद संस्थित होने के तुरन्त बाद, कलेक्टर के अन्तिम आदेश प्राप्त करके विरोध न किये जाने वाले मामलों की पत्रावली को भेज दिया जायेगा और विरोध किये जाने वाले मामले की पत्रावली की यथास्थिति, जिला शासकीय अधिवक्ता (यथास्थिति सिविल या राजस्व) या तहसील मुख्यालय के राजस्व अथवा सिविल नामिका वकील को उसका प्रतिवाद करने के लिये भेज दिया जायेगा। जिला मुख्यालय पर मिसिलबन्द रजिस्टरों को दो खण्डों मे रखा जायेगा– एक सिविल मामलों के लिये और दूसरा राजस्व मामलों के लिये। प्रत्येक रजिस्टर को दो भागों मे विभाजित करना चाहिये–एक भाग में नोटिस के मामले दर्ज किये जाने चाहिये और दूसरे भाग में वाद मामलों को दर्ज किया जाना चाहिये। उस भाग को, जिनमें वाद प्रकरणों को दर्ज किया जाना हो, आगे चलकर पांच भागों में विभाजित किया जाना चाहिये– (प्रथम उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत प्रकरणों के लिये, दूसरा उत्तर प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1901 के अधीन प्रकरणों के लिये, तीसरा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली, 1952 के अधीन प्रकरणों के लिये, चौथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के अधीन प्रकरणों के लिये और पांचवा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के अधीन प्रकरणों के लिये)। काफी संख्या में पृष्ठ अर्थात रजिस्टरों के तीन चौथाई पृष्ठों को नोटिसों के मामलों को दर्ज करने के लिये आरक्षित रखा जायेगा, क्योंकि वाद के मामलों की संख्या के अनुपात में नोटिसों के मामलों की संख्या अधिक होगी। वाद मामलों के इन्द्राज के विशेष विवरण के स्तम्भ में नोटिस में नोटिस पत्रावलियों के विवरण की प्रति–प्रविष्टि की जानी चाहिये। ज्यों ही वाद निर्णीत हो जाये, जिला शासकीय अधिवक्ता या नामिका वकील निम्नलिखित सूचना सहित पत्रावली राजस्व सहायक को लौटा देगाः

(क) मामले के परिणाम के विषय मे संक्षिप्त टिप्पणी

(ख) अपील करने की अवधि की समाप्ति का दिनांक

(ग) जिला शासकीय अधिवक्ता या नामिका वकील के द्वारा आहरित अग्रिम धनराशियों के, यदि कोई हो, दिनांक तथा सम्बन्धित बाउचरों और उनके शुल्क बिल सहित व्यय का सम्पूर्ण लेखा।

17. (1) जहां पर वाद या कार्यवाही में निर्णय ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या भूमि प्रबन्धक समिति अथवा राज्य सरकार के विरूद्ध दिया गया हो, वहां कलेक्टर यथास्थिति, जिला शासकीय अधिवक्ता, सिविल अथवा राजस्व, से परामर्श करने के पश्चात राजस्व तथा सिविल मामलों में प्रथम अपील किये जाने के लिये स्वयं ही निर्णय लेगा क्योंकि उसकी परिसीमा की अवधि केवल तीस दिनों की ही है। जब किसी सिविल मामले में द्वितीय अपील संस्थित की जानी हो तो कलेक्टर शासन के विधि परामर्शी का आदेश प्राप्त करेगा। जब यह निर्णय लेना हो कि किसी रिट के आवेदन का विरोध किया जाना है अथवा नहीं तो कलेक्टर सरकार के राजस्व विभाग से आदेश प्राप्त करेगा। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 और तदन्तर्गत बनी नियमावली अथवा उत्तर प्रदेश राजस्व

संहिता, 2006 और तदन्तर्गत बनी नियमावली के अन्तर्गत राजस्व प्रकरणों में कलेक्टर द्वितीय अपील दाखिल किये जाने के बारे में भी स्वयं निर्णय लेगा और उस प्रयोजन के लिये शासन के आदेश आवश्यक नहीं हैं। तथापि, जहां विधि का कोई जटिल प्रश्न समाविष्ट हो अथवा जहां पर जिलाधिकारी और जिला शासकीय अधिवक्ता के बीच राय की भिन्नता हो, प्रकरण सरकार के राजस्व विभाग में भेजा जा सकता है। सरकार के न्यायिक अथवा राजस्व विभाग में भेजे गये सभी प्रकरणों में, कलेक्टर मूल और अपीली न्यायालय के आदेशों की एक प्रति और नैरेटिव सहित रिट आवेदन की प्रति तथा जिला शासकीय अधिवक्ता दीवानी की राय प्रेषित करेगा।

(2) मूल वाद का संचालन करने वाला तहसील या मुख्यालय का नामिका वकील अपने जिले के भीतर अपील का संचालन करेगा और जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल) पहले की भांति नामिका वकीलों के इस कार्य का भी परवेक्षण करते रहेंगे।

(3) कलेक्टर ऐसे मामले में, जिसमें ग्राम पंचायत या शासन या दोनों ही पक्ष हो, खर्चे इत्यादि की वसूली के लिये कार्यवाही करेगा।

18. ग्राम सभा के विरूद्ध संस्थित किए जाने वाले वाद– (1) ग्राम पंचायत के विरूद्ध संस्थित किए जाने वाले निम्नलिखित वर्गों के वादों में राज्य सरकार आवश्यक पक्ष बनायी जाएगी–

(क) यू0पी0 काश्तकारी अधिनियम, 1939 की धारा 59 से 61 तक के तथा 183 के अधीन ऐसे वाद जिनमें वाद हेतु (cause of action), निहित होने के दिनांक (date of vesting) के पूर्व उत्पन्न हुआ हो।

(ख) अधिकारों के प्रख्यापन (declaration of rights) हेतु तथा अथवा, कब्जे की वापसी के निमित्त भूमिधर द्वारा वाद।

(ग) राजस्व संहिता, 2006 अथवा राजस्व संहिता द्वारा निरसित परिनियम के अन्तर्गत ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकारी में निहित भूमि या किसी अन्य वस्तु के सम्बन्ध में का दावा करने वाले व्यक्तियों द्वारा वाद।

(घ) ऐसे वाद जिनके निर्णय का प्रभाव राज्य सरकार को देय भू–राजस्व पर प्रतिकूल या अन्य प्रकार से पड़ने की सम्भावना हो।

ऐसे सभी मामलों में कलेक्टर तथा/अथवा शासन को वाद–पत्र तथा सम्मनों की प्रतियां प्राप्त होती रहेंगी और भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा ऐसे मामलों में ग्रहण किए जाने वाले प्रतिवाद की रूपरेखा कलेक्टर से प्राप्त अनुदेशों पर आधारित तथा उससे शासित होगी।

(2) कलेक्टर अपने अनुभवी अधीनस्थ अधिकारियों में से एक को विशेष अधिकारी नियुक्त करेगा जिस पर ऐसे सभी मामलों की उचित रूप से पैरवी करने का दायित्व होगा जिनमें राज्य सरकार भी एक पक्ष हो। शासन की ओर से सिविल वाद का विरोध केवल उसी दशा में किया जाएगा, जबकि जिला शासकीय अधिवक्ता या सिविल नामिका वकील तथा विशेष अधिकारी दोनों की ही यह राय हो

कि उसका विरोध किया जाए और ऐसी दशा में कागज–पत्रों को शासन के विधि–परामर्शी को उस समय तक नहीं भेजे जाने चाहिए जब तक कि उसमें कोई ऐसी विधि का प्रश्न निहित न हो, जिसमें उसकी राय की आवश्यकता हो या जब कोई सारवान सामग्री शासन के पास उपलब्ध हो। यदि जिला शासकीय अधिवक्ता या सिविल नामिका वकील और विशेष अधिकारी, दोनों का ही यह मत हो कि किसी सिविल मामले का विरोध (contest) न किया जाए, तो उसका विरोध नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों को, जिनमें जिला शासकीय अधिवक्ता या सिविल नामिका वकील तथा विशेष अधिकारी को राय में मतभेद हो, जिलाधिकारी द्वारा उस दशा में शासन के विधि–परामर्शी को अभिदिष्ट किए जाएंगे, जब कि जिलाधिकारी भी जिला शासकीय अधिवक्ता या सिविल नामिका वकील से असहमत हो। सिविल वादों का विरोध करने का परामर्श केवल इस उद्देश्य से दिया जाना कि उसके बिलों की संख्या में बढ़ोत्तरी हो, जिला शासकीय अधिवक्ता या सिविल नामिका वकील की कार्यावधि की समाप्ति पर उसे बढ़ाए जाने की सम्भावना पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

(3) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन या उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन प्रस्तुत किए गए राजस्व के ऐसे वादों के विषय में, जिसमें राज्य एक पक्ष हो, ऊपर उप–पैरा (2) में सिविल वादों के लिए दिए हुए आधारों के अनुसार यह निर्णय किया जाएगा कि वाद का विरोध किया जाए अथवा नहीं। ऐसे मामलों में जिसमें जिला शासकीय अधिवक्ता या राजस्व नामिका वकील तथा विशेष वाद अधिकारी में सहमति हो, वे तद्नुसार कार्यवाही करेंगे। ऐसे मामलों को, जिनमें जिला शासकीय अधिवक्ता या राजस्व नामिका वकील तथा विशेष अधिकारी की राय में अन्तर हो, जिलाधिकारी द्वारा शासन के राजस्व विभाग में सचिव को उस दशा में अभिदिष्ट किए जाएंगे जब कि वह भी जिला शासकीय अधिवक्ता या राजस्व नामिका वकील से असहमत हों।

(4) ऐसे मामले में, चाहे वाद सिविल मामला हो या राजस्व मामला, जिसमें राज्य भी एक पक्ष हो, जिलाधिकारी मामले के महत्व के अनुसार यह निर्णय करेगा कि क्या जिला शासकीय अधिवक्ता या ग्राम पंचायत नामिका वकील दोनों की ओर से उपस्थित होगा पर दो वकीलों को अवश्य ही आबद्ध नहीं किया जाना चाहिए। कलेक्टर को सर्वप्रथम सम्बन्धित ग्राम पंचायत नामिका वकील से परामर्श करना चाहिए और यदि मामला असाधारण महत्व का हो, तो जिला शासकीय अधिवक्ता की राय भी ली जानी चाहिये। यदि वह विशेष महत्व का मामला हो, तो जिला शासकीय अधिवक्ता को स्वयं ही राज्य तथा ग्राम पंचायत, दोनों की ओर से न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना चाहिए, और शेष मामलों में, राज्य की ओर से प्रतिवाद ग्राम पंचायत के नामिका वकील के द्वारा किया जा सकता है।

19. (1) आपराधिक मामलों में भूमि प्रबन्धक समिति का अध्यक्ष, मंत्री या उसके द्वारा यथाविधि प्राधिकृत कोई अभिकर्ता पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करा सकता है और पुलिस संज्ञेय अपराधों (cognizable offence) में कार्यवाही करेगी।

(2) उन मामलों पर विशेष ध्यान रखा जाएगा, जिनमें ग्राम पंचायत में पुनर्स्थापित भूमि या अन्य सम्पत्तियों पर अतिचारी द्वारा पुनः प्रवेश किया जाए और ऐसे मामलों की रिपोर्ट विशेषतया भारतीय दण्ड संहिता की धारा 447 के अधीन कठोर कार्यवाही किए जाने के लिए की जानी चाहिए। विशेष मामलों में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 447 के अधीन आपराधिक कार्यवाही की सहायता क्रिमिनल लाज (अमेन्डमेंट) ऐक्ट, 1961 के अनुसार ली जा सकती है। ऐसे मामलों में प्रथम बार अवैध कब्जे की दशा में ग्राम पंचायत की भूमि के अतिचारी के विरूद्ध उसे निर्दिष्ट अवधि में भूमि खाली करने करने की नोटिस की तामीली कराने के पश्चात दाण्डिक कार्यवाही की जा सकती है। ऐसे सभी मामलों में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 456 के अधीन अपराधी के दोषी सिद्ध हो जाने पर कब्जा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना–पत्र अवश्य ही दिया जाना चाहिए।

वाद–पत्र, प्रतिवाद–पत्र, प्रार्थना–पत्र तथा स्वीकृतियां

20. (1) ऐसे मामलों में, जिनमें भूमि प्रबन्धक समिति को मुकदमा लड़ना पड़े, अध्यक्ष, समिति की ओर से वाद–पत्र या प्रतिवाद–पत्र और प्रार्थना–पत्र पर हस्ताक्षर करेगा और मामले के सफल अभियोजन (prosecution) के लिए सभी आवश्यक प्रबन्ध करेगा।

(2) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में यह कार्य अध्यक्ष द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत किए गए समिति के सदस्य द्वारा किया जा सकता है। यदि अध्यक्ष द्वारा किसी सदस्य को प्राधिकृत न किया जाए, तो समिति संकल्प द्वारा अपने में से किसी सदस्य को प्राधिकृत कर सकती है।

(3) यदि किसी मामले में भूमि प्रबन्धक समिति नामिका वकील के परामर्श और कलेक्टर या उपजिलाधिकारी के निदेशानुसार किसी वाद–पत्र पर हस्ताक्षर या किसी मामले का प्रतिवाद करने से इंकार करे तो उन्हें भूमि प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष या सदस्य, जैसी भी स्थिति हो, के विरूद्ध उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करना चाहिये और क्रमशः उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 127 के अन्तर्गत अथवा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 71 के अन्तर्गत उन्हें प्रतिनिधानित शक्तियों के अन्तर्गत वैकल्पिक प्रबन्ध किया जायेगा। वैकल्पिक प्रबन्ध किये जाने की दशा में भूमि प्रबन्धक समिति के कार्यों का सम्पादन करने के लिये नियुक्त व्यक्ति या प्राधिकारी ही को वाद–पत्रों या प्रतिवाद–पत्रों आदि पर हस्ताक्षर करने के लिये तथा ग्राम पंचायत के मुकदमों की देखभाल करने के लिये भी प्राधिकृत किया जाएगा।

21. भूमि प्रबन्धक समिति का अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा अधिकृत किया गया सदस्य या समिति उपजिलाधिकारी या तहसीलदार, जो उस न्यायालय का पीठासीन अधिकारी न हो, जिसमें उक्त वाद या कार्यवाही विचाराधीन हो, की लिखित अनुमति के बिना न तो विरोध पक्ष का कोई दावा स्वीकार करेगा और न विरोधी पक्ष के साथ कोई समझौता या अनुबन्ध करेगा और न ही ऐसे किसी दावे या कार्यवाही को वापस लेगा।

22. ऐसे प्रार्थना–पत्र के साथ, जिसमें कोई दावा स्वीकार किया गया हो, या जिसमें कोई समझौता या अनुबन्ध समाविष्ट हो या जिसमें वाद या व्यवहार को वापिस लेने की प्रार्थना की गई हो, यथास्थिति, उपजिलाधिकारी या तहसीलदार की आज्ञा की एक प्रति, जिस पर उनके कार्यालय की यथावत् मुहर लगी हो, संलग्न की जाएगी। ऐसी आज्ञा के अभाव में, प्रार्थना –पत्र को प्राधिकार रहित समझा जाएगा और न्यायालय द्वारा उसे न तो अभिलिखित किया जाएगा और न उस पर विचार किया जाएगा। ऐसे मामलों में न्यायालय 30 दिनों की अवधि के अन्दर एक नए और यथाविधि प्राधिकृत प्रार्थना–पत्र या प्रतिवाद–पत्र की मांग करेगा और सम्बन्धित न्यायालय द्वारा इस आज्ञा की सूचना यथास्थिति, उपजिलाधिकारी या तहसीलदार को दी जाएगी।

23. ग्राम पंचायत के वाद–पत्रों और प्रार्थना –पत्रों पर अपेक्षित न्याय शुल्क लगेगा।

24. **मुकदमे का व्यय–** नामिका वकील प्रत्येक माह में निर्णीत प्रकरणों के लिये अपने शुल्क और पूर्ववर्ती माह तक किये गये प्रकीर्ण व्ययों के लिये बिलों को कलेक्टर को प्रस्तुत करेगा और वह उन बिलों का सत्यापन करेगा और उनका भुगतान संचित गांव निधि से करेगा। नामिका वकीलों द्वारा इस प्रमाण हेतु कि वे न्यायालय में उपस्थित हुये थे, पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षरों का लिया जाना अनावश्यक है क्योंकि सिविल या राजस्व के मामलों में भुगतान दिनों के अनुसार नहीं किया जाता है जैसा कि आपराधिक मामलों में किया जाता है। तथापि, वकील के आबद्ध किये जाने के लिये कलेक्टर या उपजिलाधिकारी द्वारा दी गयी स्वीकृति के आदेशों की प्रति बिल के साथ संलग्न की जायेगी। नामिका वकीलों के बिल निम्नलिखित प्रपत्र में होंगे–

जिला समेकित गांव निधि से देय

जिला – के ग्राम पंचायत के मुकदमों के संचालन के लिये नामिका वकील/विशेष अधिवक्ता द्वारा दावा कृत शुल्क का बिल

1. दिनांक.....
2. मामले का विवरण.....
3. न्यायालय का नाम.....
4. मामले का परिणाम.....
5. वाद–पत्र, प्रार्थना–पत्र या अपील–ज्ञाप में दिया हुआ मूल्यांकन.....
6. शुल्क की धनराशि अंकों में.....शब्दों में.....

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त मामले के संचालन करने के सम्बन्ध में यह प्रथम बिल है और यह कि मैंने उसके लिए इससे पहले न तो दावा किया है और न भुगतान प्राप्त किया है।

प्रभारित शुल्क को न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत किया गया है या नहीं .....

.....

अधिवक्ता के हस्ताक्षर

पूर्ण पदनाम तथा.....

पता.....

कलेक्टर के कार्यालय के उपयोग के लिए

कलेक्टर,

इस बिल की जांच मेरे द्वारा की गई है। मुकदमें के प्रतिवाद करने के आदेश..... .....को और अधिवक्ता को आबद्ध करने के आदेश .....को दिए गए थे। दावे को न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत किया गया है और उसे सही–सही आकलित किया गया है।

बिल केवल.....रूपयों.....(शब्दों में.....रूपये) के लिए पारित किया जाए।

ह0 राजस्व सहायक

केवल .....रू0 (शब्दों में) का भुगतान किया जाए।

दिनांक .....कलेक्टर या कोष के प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर

25. जैसा कि जनरल रूल्स (सिविल), 1957 और राजस्व न्यायालय मैनुअल के क्रमशः नियम 582 तथा 204 में उपबन्धित है ग्राम पंचायत के नामिका वकीलों को अपने शुल्क पर कर लगवाने और उसे डिक्रियो और आज्ञाओं में सम्मिलित कराने के लिये प्रमाण पत्र प्रेषित करना आवश्यक नहीं होगा।

26. (1) नामिका वकील साधारणतः उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 73 में दिये गये मानक के अनुसार शुल्क प्राप्त करेंगे तथापि एक निर्णय द्वारा तय किये गये प्रकरणों को शुल्क की अधिगणना के प्रयोजनार्थ एक प्रकरण माना जायेगा। जटिल प्रकरणों में जिसमें अधिक समय और श्रम की आवश्यकता हो और जहां पर विहित शुल्क पर्याप्त नहीं है, अतिरिक्त शुल्क के भुगतान के लिये प्रस्ताव पर कलेक्टर द्वारा विचार किया जायेगा और यदि आवश्यक हो तो उसे शासन को प्रेषित किया जायेगा तथा सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार शुल्क का भुगतान किया जायेगा।

(2) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 या उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 से उद्भूत होने वाले सिविल न्यायालय के सभी सिविल प्रकरण और राजस्व न्यायालय के सभी राजस्व प्रकरण जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य अकेले पक्षकार है या उत्तर प्रदेश राज्य और ग्राम सभा/ग्राम पंचायत दोनों शामिल हैं और ग्राम सभा/ग्राम पंचायत का हित समाविष्ट नहीं है, का संचालन क्रमशः जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) और जिला शासकीय अधिक्ता (सिविल) द्वारा किया जायेगा और उनके शुल्क एवं प्रकीर्ण व्यय का भुगतान राज्य निधि से किया जायेगा। अधिवक्ता के शुल्क को लेखा के समुचित शीर्षक के अन्तर्गत विधि परामर्शी के बजट में से नामे किया जायेगा। प्रकीर्ण विधिक व्ययों को सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग द्वारा वहन किया जायेगा। उक्त अधिनियमों के अन्तर्गत उद्भूत सभी राजस्व और सिविल प्रकरणों में जिनमें या तो ग्राम सभा/ग्राम पंचायत अकेले पक्षकार है या ग्राम सभा/ग्राम पंचायत और उत्तर प्रदेश राज्य दोनो पक्षकार है, लेकिन यदि वास्तव में

केवल ग्राम सभा/ग्राम पंचायत का हित समाविष्ट है और राज्य का हित समाविष्ट नहीं है तो मुकदमें पर शुल्क और प्रकीर्ण व्यय का भुगतान सम्बन्धित जिला समेकित गांव निधि से किया जायेगा।

(3) यदि ग्राम सभा/ग्राम पंचायत के मामले ऐसे चकबन्दी न्यायालयों के समक्ष हों जो किसी भीतरी क्षेत्र में या न्यायालय तहसील अथवा जिला मुख्यालय से दूर किसी स्थान पर स्थित हो, तो ऐसे दूरस्थ स्थान पर स्थिति न्यायालयों में उपस्थित होने वाले नामिका वकील को विधि परामर्शी मैनुअल के पैरा 186 और 187 के उपबन्धों के अनुसार यात्रा और दैनिक भत्ते का भी भुगतान किया जायेगा। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि सहायक चकबन्दी अधिकारी के समक्ष कार्यवाही में ग्राम पंचायत नामिका वकील की सहायता की सामान्यतः आवश्यकता नहीं होती है। उन मामलों में जिनमें ग्राम सभा/ग्राम पंचायत औपचारिक पक्ष हो और उनके परिणाम में उनका कोई हित समाविष्ट न हो, चकबन्दी अधिकारी के समक्ष नामिका वकीलों की उपस्थिति आवश्यक नहीं होगी। यदि मामलों को इस प्रकार से सुनियोजित किया जाये कि उनमें अधिकतर मामलों को जिनमें नामिका वकील को उपस्थित होना हो, एक ही दिनांक या आगे के लगातार दिनांको के लिये निश्चित किया जाये तो यात्रा और दैनिक भत्ते पर होने वाले अनावश्यक व्यय को भी बचाया जा सकता है।

(4) ऐसे सभी मामलों में जिनमें नामिका वकील को ग्राम सभा/ग्राम पंचायत के प्रकरणों के संचालन के लिये स्थानीय निरीक्षण हेतु बाहर जाना पड़े तो उन्हें विधि परामर्शी मैनुअल के पैरा 7.47 और 7.48 के अनुसार अनुज्ञात यात्रा और दैनिक भत्ता दिया जायेगा।

27. नामिका वकीलों के लिपिकों को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 73 में दिये गये मानक के अनुसार शुल्क का भुगतान किया जायेगा। नामिका वकील नियमावली, 2016 उपरोक्त के नियम 73 में उल्लिखित दर से आगणित कर लिपिक का शुल्क अपने बिल में सम्मिलित करेंगे और यह प्रमाण पत्र देंगे कि वह उक्त शुल्क के लिये हकदार है और इस शुल्क का भुगतान लेखन व्यय के रूप में गांव निधि से किया जायेगा। लिपिकों के लिये अधिक शुल्क केवल उन्हीं मामलों में दिया जायेगा जबकि उसे न्यायालय द्वारा दी गयी डिक्रियों में सम्मिलित किया गया हो, किन्तु वह अन्य मामलों में देय न होगा। यदि किसी विशेष मामलों में टंकण कार्य अधिक पाया जाये तो टंकण कार्य पर किये गये वास्तविक व्यय को भी दिया जा सकता है। यद्यपि इसकी अनुमति केवल बहुत ही कम आपवादिक मामलों में दी जायेगी जबकि टंकित सामग्री छः से अधिक पृष्ठों की रही हो।

28. ग्राम पंचायत के प्रकरणों के लिये नामिका वकीलों को सादा कागज और अन्य आवश्यक लेखन सामग्री देने के लिये गांव निधि से व्यय किया जा सकता है।

29. भूमि प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष को मुकदमों के आवश्यक खर्च और भूमि एवं अन्य चीजों के प्रबन्ध के लिये 500/ रू0 की एक स्थायी अग्रिम धनराशि अनुज्ञात की जायेगी। यह अग्रिम धनराशि गांव निधि से प्राप्त की जायेगी लेकिन मुकदमें के व्यय के सम्बन्ध में भुगतान बाउचरों को प्रस्तुत करके समय–समय पर उक्त कोष से उसकी प्रतिपूर्ति की जायेगी। उन व्यक्तियों को जो ग्राम पंचायत की ओर से न्यायालय में उपस्थित होते हैं, इस स्थायी अग्रिम धनराशि से फुटकर खर्च के लिये धनराशि दी

जायेगी। उसे यात्रा भत्ता की वास्तविक व्यय की सीमा तक यात्रा भत्ता और 20 रू0 प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ता की प्रतिपूर्ति की जायेगी। अध्यक्ष द्वारा इस व्यय के सम्पूर्ण विवरण को **बी0पी0एस0 आकार पत्र 12 (पुराना बी0पी0एस0 आकार पत्र 6)** में रखे जाने वाले ग्राम सभा के व्यय रजिस्टर में प्रदर्शित किया जायेगा। जब कभी किसी व्यक्ति को भुगतान किया जाय, तो अध्यक्ष को सदैव उससे एक रसीद प्राप्त करके उसे अभिलेख में रख लेना चाहिये। नामिका वकीलों को भी मुकदमों के लिये ग्राम पंचायत पैरोकारो से अथवा कलेक्टर से प्राप्त किये गये धन के लिये रसीदे देनी चाहिये। मुकदमें के व्ययों की सहायक लेखा बही अध्यक्ष द्वारा रखी जायेगी और व्यय की प्रत्येक मद नामिका वकील द्वारा प्रमाणित की जायेगी। यह सहायक लेखा बही ग्राम पंचायत **बी0पी0एस0 प्रपत्र 12 (पुराना बी0पी0एस0 प्रपत्र 6)** में बने रजिस्टर में की गयी प्रविष्टियों की जांच करने में उपयोगी हो सकती है।

मुकदमें का लेखा, विवरण पत्र तथा रजिस्टर

30. ऐसे मामलों में जहां ग्राम पंचायत या भूमि प्रबन्धक समिति एक पक्ष हो, कागज–पत्रों के निरीक्षण और उनकी प्रतियों के प्राप्त करने और अभिलेखों के मगांने में नामिका वकील वही प्रक्रिया अपनायेंगे जो सरकारी मामलों में जिला शासकीय अधिवक्ताओं द्वारा अपनायी जाती है। किसी मामले मे निर्णय दिये जाने के तुरन्त बाद ही, नामिका वकील द्वारा ग्राम पंचायत की ओर से प्राप्त दस्तावेजों की प्रतियों को, उसके द्वारा प्राप्त की गयी निर्णयों की प्रतियों सहित भूमि प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष को सौंप दी जायेगी। राजस्व सहायक अथवा तहसील का वाद–कार्य लिपिक इन लेखों को प्राप्त करने और उन्हें सुरक्षित अभिरक्षा के लिये उपजिलाधिकारी या तहसीलदार के जरिये भूमि प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष के पास भेजने का अवश्य ध्यान रखेगा। भूमि प्रबन्धक समिति के मंत्री (अर्थात लेखपाल) द्वारा प्राप्त की गयी निर्णयों की प्रतिलिपियां मुकदमें के रजिस्टर से सम्बद्ध अभिदेश संचिका (Guard File) में रखी जायेंगी।

31. सिविल नामिका वकील और जहां कोई सिविल नामिका वकील न हो तो जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल) द्वारा तथा मुख्यालय तथा तहसील नामिका वकीलों द्वारा (तहसील नामिका वकील अपनी आख्या को उपजिलाधिकारी के माध्यम से भेजेंगे) कलेक्टर को अपने द्वारा किये गये कार्य की द्विमासिक प्रगति आख्या निम्नलिखित आकार पत्र में भेजी जायेगी–

विवरण	पूर्व बकाया	दो मास के दौरान प्राप्तियां	निस्तारण के लिये योग	निस्तारण	दो मास के अन्त में बकाया	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7

(1) सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के अधीन नोटिस

(2) ग्राम पंचायत/भूमि प्रबन्धक समिति के विरूद्ध वाद

(3) ग्राम पंचायत/भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा किये गये वाद

(4) ग्राम पंचायत/भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा की गयी अपीलें

(5) ग्राम पंचायत/भूमि प्रबन्धक समिति के विरूद्ध अपीलें

(6) अन्य

इस द्विमासिक विवरण के साथ एक विवरणात्मक आख्या भी होगी जिसमें विधि के प्रत्येक उपबन्ध के अधीन चलाये गये या विरोध किये गये मामलों की प्रकृति को प्रदर्शित किया जायेगा और जिसमें सामान्य रूप से प्राप्त परिणाम तथा ग्राम पंचायत के मुकदमों के संचालन की विधि तथा रीति में सामान्य रूप से सुधार हेतु सम्बन्धित वकीलों द्वारा दी गयी टीकाओं का भी उल्लेख किया जायेगा।

32. भूमि प्रबन्धक समिति का प्रत्येक मंत्री प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिये एक रजिस्टर निम्नलिखित आकार पत्र में रखेगा जिसमें पांच भाग होंगे–(प्रथम उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत प्रकरणों जिनमें सिविल प्रकरण भी सम्मिलित है के लिये, दूसरा उत्तर प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1901 के अन्तर्गत प्रकरणों के लिये, तीसरा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली, 1952 के अधीन प्रकरणों के लिये, चौथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के अधीन प्रकरणों के लिये और पांचवा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के अन्तर्गत प्रकरणों के लिये)। स्तम्भ 4 और 8 काफी बड़े बनाये जायेंगे जिससे कि विवरण और परिणाम को ब्योरे सहित लिखा जा सके।

(क) क्रम संख्या/प्रकरण संख्या.....

(ख) ग्राम का नाम.....

(ग) पक्षों का नाम.....

(घ) प्रकरण का विवरण.....

(ङ) प्रकरणों में अन्तर्निहित क्षेत्रफल, उसकी खसरा संख्या और भू–राजस्व.....

(च) प्रकरणों के संस्थित किये जाने का दिनांक.....

(छ') निर्णय का दिनांक.....

(ज) प्रकरण का परिणाम.....

(झ) विशेष विवरण.....(इस स्तम्भ में दूरभि सन्धि या एकपक्षीय आदेशों का उल्लेख किया जायेगा)

33. कलेक्टर और उप–जिलाधिकारी मास में एक बार क्रमशः जिला और तहसील मुख्यालय में ग्राम पंचायत के मुकदमों के सम्बन्ध में एक बैठक बुलायेंगे। तहसील मुख्यालय की बैठक में तहसीलदार या नायब तहसीलदार और तहसील नामिका वकील तथा मुकदमा के प्रभारी लिपिक (रजिस्ट्रार कानूनगो या पत्र–व्यवहार लिपिक) उपस्थित होंगे। जिला मुख्यालय की बैठक जिला मजिस्ट्रेट के बंगले में की जा सकती है और बैठक में विशेष अधिकारी, राजस्व सहायक, जिला शासकीय अधिवक्ता और दीवानी एवं राजस्व मुख्यालय के नामिका वकील उपस्थित होंगे। इन बैठकों से ग्राम पंचायत के मुकदमों के

संचालन की दक्षता में सुधार लाने में सहायता पहुंचेगी और मतभेद दूर होंगे तथा भूमि प्रबन्धक समिति के चूक करने वाले अध्यक्ष के विरूद्ध कार्यवाही प्रारम्भ की जा सकेगी। नामिका वकील के कार्य एवं आचरण के सम्बन्ध में वार्षिक आख्या राजस्व परिषद को अग्रसारित की जायेगी जो उसे उस पर अपनी आख्या के सहित राज्य सरकार के राजस्व विभाग को अग्रसारित करेगी और उसके अनुक्रम में राज्य सरकार द्वारा समुचित आदेश या निदेश जारी किया जा सकेगाा।

34. सिविल नामिका वकील या जिला शासकीय अधिवक्ता, सिविल न्यायालयों में ग्राम पंचायत के विभिन्न मामलों के कार्य को सरलता पूर्वक कर सकते हैं क्योंकि सिविल न्यायालयों और सिविल वादों की संख्या अधिक नहीं होती है। जिला मुख्यालय पर राजस्व न्यायालयों की संख्या बहुत अधिक होती है और राजस्व वादों और प्रार्थनापत्रों की संख्या भी बहुत अधिक होती है। परिणामस्वरूप राजस्व नामिका वकील को प्रत्येक दिन इन न्यायालयों में मामलों के कार्य करना कठिन हो जाता है। तथापि, कलेक्टर इस कठिनाई का समाधान यह आदेश देकर कर सकता है कि प्रत्येक न्यायालय में ग्राम पंचायत के मामलों को नियत दिनांक पर ही लिया जायेगा जिससे कि राजस्व नामिका वकील राजस्व न्यायालयों में ग्राम पंचायत के मामलों के लिये प्रत्येक दिन एक या दो न्यायालयों में सुविधा पूर्वक उपस्थित हो सकें और उस दिन के लिये नियत समस्त ग्राम पंचायत के मामलों में कार्यवाही कर सकें।

आर0सी0 प्रपत्र–1

(देखें नियम–4)

अधिसूचना संख्याः.....दिनांक :.....

सार्वजनिक नोटिस

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 6(2) के अनुसरण में, एतद्द्वारा यह नोटिस दी जाती है कि राज्य सरकार ने निम्न राजस्व क्षेत्रों के सीमाओं को एकीकरण/पुनर्सामंजस्य द्वारा/विभाजन द्वारा/विलोपन द्वारा/ विनिर्माण द्वारा/नाम में प्रत्यावर्तन/किसी अन्य रीति द्वारा परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव किया गया है।

1. राजस्व क्षेत्र का विवरण :.....
2. प्रत्यावर्तन का विवरण :.....

इस नोटिस को उ0प्र0 गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से 45 दिनों के पश्चात इस प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा।

इस सन्दर्भ में कोई भी आपत्ति अथवा सुझाव लिखित रूप में प्रमुख सचिव राजस्व विभाग, उ0प्र0 सरकार, लखनऊ को उक्त समय की समाप्ति के पूर्व प्रेषित किया जा सकता है।

सचिव

उ0प्र0 शासन

आर0सी0 प्रपत्र–2

(देखें नियम–15)

धारा 18(2) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस

सेवा में,

……..
……,
……

यतः आपको.....धनराशि/विशेष कागज पत्र/सम्पत्ति.....
.....श्री ……पदनाम……,को हस्तान्तरित करने का निदेश दिया गया था लेकिन संहिता की धारा 18(1) के अन्तर्गत जारी आदेश/निदेश दिनांकित.....का आदेश दिनांकित.....में दी गयी अवधि के अन्दर आप द्वारा पालन नहीं किया गया है और इसलिये आपको एतद्द्वारा नोटिस दी जाती है कि नोटिस की तामीला के दिनांक से एक सप्ताह की अवधि के अन्दर कारण बतायें कि क्यों न आप पर संहिता की धारा 18 की उपधारा (2) के अंतर्गत शास्ति अधिरोपित की जाये।

यदि आप विनिर्दिष्ट अवधि एवं समय के अन्दर आपत्ति/स्पष्टीकरण नहीं प्रस्तुत करते हैं तो मामले में विनिश्चय किया जायेगा और आपके विरूद्ध एक पक्षीय आदेश पारित किया जायेगा।

मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से यह दिनांक.....को जारी किया गया।

दिनांक :…….. कलेक्टर के हस्ताक्षर

मुहर :…… जिला :……

आर0सी0 प्रपत्र–3

(देखें नियम–24)

जिले के ग्रामों की (तहसीलवार) सूची

क्रम सं0	ग्रामों के नाम	कुल क्षेत्रफल	कुल कृषित क्षेत्रफल	बाढ़ से प्रभावित होने की सम्भावना वाला क्षेत्रफल	अनिश्चित खेती का क्षेत्रफल	भूखण्डों की संख्या	लेखपाल के नाम और निवास की जगह	खतौनी में खातों की संख्या		टिप्पणियां
								भाग–I	भाग–II	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

आर0सी0 प्रपत्र–4

(देखें नियम–25)

खसरा फील्ड बुक ग्राम.....तहसील ..... जिला.....

क्षेत्र/खेत की संख्या	क्षेत्रफल	खतौनी खाता की संख्या	भाग–I खतौनी में निर्दिष्ट खातेदार का नाम	खातेदार का नाम जैसा कि खतौनी के भाग–II में वर्गीकृत हैं	सिंचाई का विधि
1	2	3	4	5	6

कृषित क्षेत्रफल

खरीफ क्षेत्रफल			रबी क्षेत्रफल			जायद क्षेत्रफल			दो फसली	
फसल	सिंचित	असिंचित	फसल	सिंचित	असिंचित	फसल	सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

अकृषित भूमि का ब्यौरा जो क्षेत्रफल के स्तम्भों से सुमेलित हो।		प्रत्येक भूखण्ड पर पूर्ण विकसित पेड़ों की संख्या और प्रकार	टिप्पणी
भूमि का वर्ग	क्षेत्रफल		
18	19	20	21

आर0सी0 प्रपत्र–5

[देखें नियम–26(3)]

मिनजुमला संख्याओं की प्रारम्भिक विभाजन योजन

भूखण्ड संख्या	भूखण्ड संख्या का कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में	प्रत्येक मिनजुमला संख्या के खातेदारों के नाम हिन्दी वर्णमाला क्रम में	मिनजुमला संख्या में खातेदार का क्षेत्रफल	मिनजुमला संख्या का प्रस्तावित मानचित्र जिसमें खातेदारों का क्षेत्रफल भिन्न–भिन्न रंगों में प्रस्तावित किया गया है
1	2	3	4	5

आर0सी0 प्रपत्र–6

[देखें नियम–26(7)]

मिनजुमला संख्याओं की प्रारम्भिक विभाजन योजना के सम्बन्ध में नोटिस

सेवा में,

.....

.....

.....(खातेदार के नाम और पता)

नियमावली के नियम 25 के अन्तर्गत तैयार किये गये मिनजुमला संख्याओं के प्रारम्भिक विभाजन स्कीम के अनुसार मिनजुमला संख्या.....क्षेत्रफल.....ग्राम..... परगना.....तहसील.....जिला.....को भौतिक रूप से निम्नवत विभाजित किया गया हैः–

(सर्वे संख्या का मानचित्र जिसमें खातेदारों को आबंटित भाग विभाजित रूप में इंगित किया गया हो)

यदि आपको उपरोक्त मिनजुमला संख्या के प्रस्तावित विभाजन के बारे में कोई आपत्ति हो तो आप प्रारम्भिक विभाजित योजना के प्रकाशन के पन्द्रह दिनों के अन्दर लेखपाल के समक्ष अपनी आपत्ति दाखिल कर सकते है। यदि विहित अवधि के अन्दर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो यह माना जायेगा कि आपको प्रस्तावित विभाजन योजना के विरूद्ध कोई आपत्ति नहीं है और तद्नुसार आदेश पारित किया जायेगा।

आर0सी0 प्रपत्र–7

(देखें नियम–27)

खतौनी (अधिकार अभिलेख)

गांव :....., तहसील :....., जिला :.....

खाता खतौनी का क्रम संख्या	खातेदार का नाम, पितृत्व तथा निवास	खातेदारी प्रारम्भ होने का वर्ष	खाता के प्रत्येक भू–खण्ड का खसरा संख्या	प्रत्येक भू–खण्ड का क्षेत्रफल	खातेदार द्वारा देय भू–राजस्व	खातेदार का अंश
1	2	3	4	5	6	7

परिवर्तन का आदेश पारित करने वाले प्राधिकारी के आदेश का सार, आदेश की संख्या, दिनांक तथा पदनाम।						टिप्पणी
फसली	फसली	फसली	फसली	फसली	फसली	
8	9	10	11	12	13	14

आर0सी0 प्रपत्र–8
[देखें नियम–28(5)]

सह–खातेदारों के अंश के प्रारम्भिक निर्धारण के सम्बन्ध में नोटिस

सेवा में,

.....
.....
.....(खातेदार का नाम और पता)

नियमावली के नियम 27 के अन्तर्गत सह–खातेदारों के अंशों के प्रारम्भिक निर्धारण के अनुसार आपका अंश भूखण्ड संख्या/खाता संख्या .....क्षेत्रफल .....ग्राम..... परगना.....तहसील.....जनपद.....में.....है। यदि आपको उपरोक्त प्रस्तावित अंश के बारे में कोई आपत्ति है तो आप नोटिस प्राप्ति के दिनांक से पन्द्रह दिनों के अन्दर लेखपाल के समक्ष आपत्ति दाखिल कर सकते है। यदि विहित समय के अन्दर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो यह मान लिया जायेगा कि आपको प्रस्तावित अंश के विरूद्ध कोई आपत्ति नहीं है और तद्नुसार आदेश पारित किया जायेगा।

आर0सी0 प्रपत्र–9

[देखें नियम–29(1)]

(राजस्व संहिता की धारा 33(1) के अन्तर्गत उत्तराधिकार हेतु रिपोर्ट)

सेवा में,

राजस्व निरीक्षक

..... क्षेत्र

..... तहसील

..... जिला

1. आवेदक का नाम, पितृनाम और पता।
2. भूमि का विवरण जिसके सम्बन्ध में रिपोर्ट की जा रही है।
3. उस व्यक्ति का नाम (मृत्यु की तिथि सहित), पितृनाम तथा पता जिसके विरूद्ध उत्तराधिकार का दावा किया गया है।
4. आवेदक का मृतक से सम्बन्ध।
5. क्या आवेदक एक मात्र उत्तराधिकारी है? यदि नहीं, तो दूसरे सह–उत्तराधिकारी का नाम और पता।
6. क्या उत्तराधिकार वसीयत पर आधारित है? यदि हाँ, तो वसीयत की प्रति साथ संलग्न किया जाये।
7. कोई अन्य विवरण।

दिनांक :..... .....

आवेदक के हस्ताक्षर

आर0सी0 प्रपत्र–10

[देखें नियम–30(1)]

भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा स्वीकृत असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर अथवा असामी द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 33(3) के अन्तर्गत रिपोर्ट

सेवा में,

राजस्व निरीक्षक

..... क्षेत्र

..... तहसील

..... जिला

1. आवेदक का नाम, पितृनाम और पता।
2. भूमि जिसके लिये भूमि प्रबंधक समिति द्वारा आवेदक को स्वीकृत किया गया है, का विवरण।
3. क्या असंक्रमणीय भूमिधर अथवा असामी के रूप में स्वीकार किया है?
4. भू–राजस्व की धनराशि या किराया।
5. ऐसी स्वीकृति सम्बन्धी अभिलेखीय साक्ष्य।
6. कोई अन्य विवरण।

दिनांक :..... .....

आवेदक के हस्ताक्षर

आर0सी0 प्रपत्र–11

[देखें नियम–33(1)]

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 34 के अन्तर्गत भूमि के अन्तरण की रिपोर्ट

सेवा में,

तहसीलदार

..... तहसील

..... जिला

1. आवेदक का नाम, पितृनाम और पता :.....
2. हस्तांतरण के द्वारा अर्जित भूमि का विवरण (क्षेत्रफल और भू–राजस्व सहित) :.....
3. अन्तरणकर्ता का नाम, पितृनाम और पता :.....
4. अंतरितीयों का नाम, पितृनाम और पता (यदि कोई हो) :.....
5. हस्तांतरण की प्रकृति (बिक्री, दान इत्यादि) :.....
6. अन्तरण विलेख के निबन्धन एवं उनके निष्पादन की तिथि :.....
7. प्रतिफल की धनराशि :.....
8. कोई अन्य विवरण :.....

दिनांक :..... .....

आवेदक के हस्ताक्षर

आर0सी0 प्रपत्र–12

[देखें नियम–34(1)]

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 35(1) के अन्तर्गत उद्घोषणा

समक्ष तहसीलदार :....., तहसील :....., जिला :.....

वाद संख्या :.....(वर्ष) :.....

..... बनाम .....

चूँकि श्री :..... पुत्र ..... निवासी .... अधोलिखित भूमि के खातेदार थे; और जैसा कि उक्त खातेदार के सम्बन्ध में है कि :–

1. दिनांक ..... को उसकी मृत्यु हो गयी है।
2. उसके द्वारा दिनांक ..... को वसीयत निष्पादित की गयी है।
3. उक्त भूमि पर अपने अधिकारों का (दान, बिक्री इत्यादि के द्वारा) दिनांक ..... को हस्तांतरण कर दिया गया है।

और, चूँकि श्री ....., पुत्र ....., निवासी .... ने उक्त खातेदार के उत्तराधिकारी/अन्तरण के आधार पर यह दावा किया है कि उसने उक्त खातेदार के जोतों के हितों को प्राप्त कर लिया है।

अतः इस उद्घोषणा पत्र के द्वारा सभी सम्बन्धित को यह सूचना दी जाती है कि यदि उन्हें इस प्रस्तावित उत्तराधिकार/अन्तरण के विरूद्ध कोई आपत्ति हो तो उसे दिनांक .....के पूर्व दाखिल कर सकते हैं, उक्त दिनांक को इस प्रकरण पर विचार किया जायेगा।

भूमि का विवरण

.....

.....

जारी करने की तिथि :..... **.....**

मुहर **तहसीलदार**

आर0सी0 प्रपत्र–13

[देखें नियम–35(1) और 35(2)]

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 36(1) के अन्तर्गत सूचना

सेवा में,

तहसीलदार,

..... तहसील

..... जिला

चूँकि निम्न विलेख जो किसी के अधिकार का सृजन अथवा किसी के अधिकार का शमन अथवा कोई भार अधिरोपित करता है रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 के अन्तर्गत दिनांक .....को पंजीकृत हुआ है –

विलेख का विवरण

1. निष्पादित किया गया :.....
2. किसके पक्ष में :.....
3. विलेख की प्रकृति :.....
4. भूमि का ब्यौरा :.....

आपको आवश्यक सूचना के लिये पंजीकृत विलेख की एक प्रति केवल कार्यालय प्रयोग हेतु प्रेषित की जा रही है।

दिनांक :..... .....

मुहर निबंधन प्राधिकारी

आर0सी0 प्रपत्र–14

(देखें नियम–46)

सेवा में,

1–कलेक्टर

.....

2–सक्षम प्राधिकारी

..... (अधिकारी का पद)

.....(जिला)

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 57(2) के अन्तर्गत वृक्ष लगाने की अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन पत्र।

1. आवेदक का नाम, पितृनाम और पता :.....
2. वृक्षारोपण किये जाने वाले वृक्षों के नाम और संख्या :.....
3. स्थल पर सार्वजनिक सड़क, मार्ग, नहर का विवरण जहां वृक्षारोपण किया जाना है :.....
4. प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल का नजरी नक्शा :.....
5. आरंभिक वर्षों में आवेदक द्वारा वृक्षों की देखभाल किये जाने का उत्तरदायित्व लिये जाने सम्बन्धी परिवचन :.....

दिनांक :.....

.....

आवेदक के हस्ताक्षर

आर0सी0 प्रपत्र–15

[देखें नियम–57(11)]

(उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 61 के अधीन तालाब के पट्टा का प्रारूप)

यह अनुबन्ध दिनांक ..... को अध्यक्ष भूमि प्रबन्धक समिति .... जिला ..... (जिसे एतद्पश्चात् पट्टाकर्ता कहा गया है) व श्री .....निवासी ..... के मध्य निम्नवत् निष्पादित किया जाता है।

उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा 61 के अधीन नीचे वर्णित तालाब का पट्टा उपजिलाधिकारी ..... के आदेश दिनांक .....द्वारा स्वीकृत किया गया है।

अतः यह अनुबन्ध इस बात का साक्षी है कि पट्टाकर्ता द्वारा पट्टेदार के पक्ष में निम्न शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन पट्टा किया गया है।

1. यह कि पट्टाधारक प्रश्नगत तालाब पर अपना हक 5 वर्ष की अवधि (.....से .....तक) बनाये रखेगा।
2. यह कि पट्टाधारक यह प्रतिज्ञा करता है कि वह रू0 .....वार्षिक किराया प्रत्येक वर्ष 30 जून से पूर्व अदा करेगा और एकमुस्त रू0 .....पट्टाधारक द्वारा प्रथम वर्ष का किराया ..... को (.....से .....तक) अदा किया गया है।
3. पट्टाधारक तालाब का उपयोग मत्स्यपालन एवं अन्य उल्लिखित प्रयाजनों हेतु ही करेगा, किसी अन्य प्रयोजन हेतु नहीं करेगा।
4. प्रतिभूति के रूप में पट्टाधारक द्वारा पट्टाकर्ता के पक्ष में देय राष्ट्रीय बचत पत्र रू0 ....जमा किया गया है। जिसे पट्टे की अवधि की समाप्ति पर पट्टाकर्ता द्वारा पट्टेदार को वापस कर दिया जायेगा, यदि पट्टेदार का कार्य, व्यवहार सन्तोषजनक रहा हो या उसे पट्टे की शर्तों व प्रतिबन्धों के उल्लंघन करने का दोषी नहीं पाया गया हो।
5. पट्टे की अवधि की समाप्ति पर पट्टेदार शान्तिपूर्वक कब्जा पट्टाकर्ता को सौंप देगा। विफल रहने की दशा में उपजिलाधिकारी का अधिकार होगा कि वह बल प्रयोग कर कब्जा प्राप्त कर ले।
6. यह पट्टा विलेख न तो पुनर्नवीनीकरण किया जायेगा और न ही इसकी उपर्युक्त वर्णित अवधि बढ़ाई जा सकेगी।
7. पट्टे की अवधि के दौरान स्थानीय निवासियों का तालाब में कपड़े धोने, पशुओं को पानी पिलाने, कुम्हारी कला हेतु मिट्टी निकालने, स्नान करने का अधिकार व्यवधानित नहीं होगा।
8. पट्टेदार द्वारा शान्ति भंग या शरारत पूर्ण कार्य नहीं किया जा सकेगा जिससे तालाब का पानी उपयोग करने वाले मनुष्यों, पशुओं के जीवन को खतरा होता हो।

9. मत्स्य विभाग सहित राजकीय विभागों के अधिकारियों को समय–समय पर तालाब का निरीक्षण करने का अधिकार तथा मत्स्य सम्बन्धी निर्देश देने का अधिकार होगा। यह निर्देश पट्टेदार पर बाध्यकारी होंगे।
10. पट्टेदार को न तो किसी भी दशा में तालाब की उप किरायेदारी किये जाने का अधिकार होगा और न ही व इसे अन्तरित कर सकेगा।
11. पट्टेदार तालाब के आसपास का क्षेत्र स्वच्छ रखेगा और जलकुम्भी व अन्य हानिकारक वनस्पतियों को हटाना बाध्यकारी होगा।
12. यदि पट्टेदार पट्टे की किन्हीं शर्तों और प्रतिबन्धों का उल्लंघन करता है तो उपजिलाधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह बिना नोटिस के पट्टे को निरस्त कर दे तथा प्रस्तर (4) में वर्णित प्रतिभूमि जब्त कर लें।
13. यदि दैवीय आपदा के कारण पट्टेदार को कोई हानि होती है तो उसे किसी छूट का कोई अधिकार नहीं होगा।
14. इस पट्टा विलेख के अधीन यदि पट्टेदार पर कोई धनराशि देय होती है तो उसे पट्टाकर्ता पट्टेदार से कलेक्टर के माध्यम से बतौर बकाया भू–राजस्व वसूल कर सकेगा।
15. स्टाम्प ड्यूटी से सम्बन्धित खर्च व पंजीयन शुल्क का वहन पट्टेदार द्वारा किया जायेगा।

साक्षियों की उपस्थिति में पक्षों द्वारा दिनांक .....वर्ष को हस्ताक्षरित।

<u>पट्टाकृत तालाब का विवरण</u>

.....

.....

.....

.....

पट्टेदार के हस्ताक्षर **पट्टाकर्ता के हस्ताक्षर**

उपजिलाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित

साक्षी – 1. .....

2. .....

आर0सी0 प्रपत्र–16

[देखें नियम–61(3)(क)]

धारा 64 में उल्लिखित व्यक्तियों की सूची

ग्राम.....परगना.....तहसील.....जिला.....

क्रम सं0	परिवार के मुखिया का नाम और पता	जाति या जनजाति	उसके परिवार के अन्य सदस्य	परिवार के मुखिया से सम्बन्ध	उम्र	उपलब्ध गृह अधिवास	अग्रेतर आवश्यक गृह अधिवास	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9

क. ग्राम पंचायत में निवास करने वाले कृषक मजदूर या ग्रामीण कारीगर जो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित गरीबी रेखा के नीचे निवास करने वाले सामान्य श्रेणी के व्यक्ति;

ख. ग्राम पंचायत में निवास करने वाले कोई अन्य कृषक मजदूर या ग्रामीण कारीगर;

ग. ग्राम पंचायत में निवास करने वाला कोई अन्य व्यक्ति जो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य श्रेणी के व्यक्ति हों।

आर0सी0 प्रपत्र–17

[देखें नियम–61(3)(ख)]

आबादी स्थलों की भूमि की सूची

ग्राम.....परगना.....तहसील.....जिला.....

भूखण्ड की खसरा संख्या	क्षेत्रफल	टिप्पणी
1	2	3

दिनांक.....

उपजिलाधिकारी

तहसील.....

जिला.....

आर0सी0 प्रपत्र–18

[देखें नियम–63(3)]

आबंटन का प्रमाणपत्र

मैं....., सर्किल.....तहसील.....जिला..... की भूमि प्रबन्धक समिति का अध्यक्ष/तहसील.....जिला.....का उपजिलाधिकारी प्रमाणित करता हूं कि श्री .....पुत्र स्व0/श्री.....निवासी ग्राम.....तहसील. ..... जिला.....और श्रीमती .....पत्नी.....निवासी ग्राम..... तहसील.....जिला.....को .....वर्गमीटर क्षेत्रफल जिसका विवरण नीचे दिया गया है आवासीय स्थल के रूप में आबंटित किया गया है।

आबंटी रू.....प्रीमियम के रूप में रसीद संख्या.....दिनांक..... के माध्यम से समिति को अदा किया।

ग्राम.....परगना.....तहसील.....जिला.....

भूखण्ड की खसरा संख्या	क्षेत्रफल	चौहद्दी
		दक्षिण उत्तर पूरब पश्चित

दिनांक.....20.....

अध्यक्ष

भूमि प्रबन्धक समिति/उपजिलाधिकारी

तहसील.....

आर0सी0 प्रपत्र–19

(देखें नियम–66)

सहायक कलेक्टर को भूखण्ड के सम्बन्ध में धारा 67(1) द्वारा अपेक्षित सूचना

भूखण्ड संख्या.....क्षेत्रफल.....ग्राम.....परगना.....तहसील.....जिला.....

सेवा में,

सहायक कलेक्टर/तहसीलदार

तहसील.....

जिला.....

महोदय,

श्री.....पुत्र.....निवासी ग्राम.....परगना.....

तहसील.....जिला.....ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकारी.....

को प्रदत्त भूमि जिसका विवरण नीचे दिया गया है का अवैध रूप से अध्यासन किया है या नुकसान दुर्विनियोजन कारित किया है या कारित कर रहा है :–

(1) भूखण्ड संख्या.....

(2) ग्राम.....

(3) तहसील.....

(4) भूखण्ड का क्षेत्रफल.....

(5) नुकसान/दुर्विनियोजन/अवैध अध्यासन का विवरण.....

(6) अवैध अध्यासन का वर्ष.....

(7) कलेक्टर द्वारा नियत सर्किल रेट के अनुसार आगणित सम्पत्ति का बाजार मूल्य.....

(8) दावाकृत नुकसानी.....

अतः आपसे निवेदन है कि है उपरोक्त अवैध अध्यासी के विरूद्ध नुकसानी/प्रतिकर की वसूली के सम्बन्ध में और अवैध अध्यासी की बेदखली के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

दिनांक.....

भूमि प्रबन्धक समिति का अध्यक्ष/सदस्य/सचिव
अथवा ग्राम सभा का कोई अन्य सदस्य

आर0सी0 प्रपत्र–20

[देखें नियम–67(2) और 67(5)]

न्यायालय सहायक कलेक्टर/तहसीलदार :.....

तहसील:.....जनपद :.....

वाद संख्या :..... वर्ष :.....

ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकारी :.....

बनाम्

.....

सेवा में,

श्री .....,

पुत्र .....,

निवासी .....

चूँकि भूमि प्रबन्धक समिति.....के अध्यक्ष/सदस्य/सचिव/.....(अन्य सूचनादाता का नाम और पता)/.....(स्थानीय प्राधिकारी का नाम) की आख्या/सूचना दिनांकित.....से मेरा समाधान हो गया है कि

(क) अधोलिखित संपत्ति को हानि पहुचाया है या पहुंचा रहे हैं;

(ख) अधोलिखित संपत्ति का दुर्विनियोजन किया गया है;

(ग) अधोलिखित संपत्ति पर अवैध कब्जा किया गया है:

ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकारी को सौंपी गयी सम्पत्ति जिसके सम्बन्ध में यह नोटिस है, का विवरण

1. भूखण्ड संख्या :.....
2. ग्राम :.....
3. तहसील :.....
4. भूखण्ड का क्षेत्रफल :.....
5. क्षति/दुर्विनियोजन/अवैध कब्जे का विवरण :.....
6. नुकसान पहुंचायी गयी/दुर्विनियोजित/अवैध अध्यासन की सम्पत्ति का बाजार मूल्य.....
7. दावाकृत क्षेतिपूर्ति:.....
8. निष्पादन व्यय :.....

अतः एतद्द्वारा आपको नोटिस दी जाती है कि आप.....दिनों के अन्दर (1) अवैध अध्यासन को हटा लें और रू.....की नुकसानी जमा कर दें और यदि आप भूमि खाली करने के पहले फसल काटना चाहतें हैं तो रू.....की अग्रेतर धनराशि भाटक के रूप में जमा कर दें; (2)

नुकसान की मरम्मत करें अथवा दुर्विनियोजन के कारण हुयी क्षेति को पूर्ण करें अथवा/और रू..... ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकारी को सौपी गयी भूमि के नुकसान अथवा दुर्विनियोजन के लिये नुकसानी के रूप में जमा करें; (3)..... करें अथवा करने से विरत रहें और दिनांक.....को समय.....को मेरे कक्ष संख्या .....में मेरे समक्ष इस नोटिस के पालन की सूचना के लिये अथवा उसके विरूद्ध कारण बताने के लिये उपस्थित हों।

आप को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप उल्लिखित दिनांक और समय को या तो व्यक्तिगत रूप से अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित नहीं होते हैं और कारण बताओं नोटिस के विरूद्ध कोई आपत्ति दाखिल नहीं करते है तो मामले में विनिश्चय किया जायेगा और आपके विरूद्ध एकपक्षीय रूप से आदेश पारित किया जायेगा।

मेरे हस्ताक्षर अथवा न्यायालय की मुहर से दिनांक .....20..... को जारी किया गया।

पीठासीन अधिकारी.....

पदनाम .....

दिनांक.....

नोटः— नुकसानी भूमि प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष के पास या स्थानीय प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, के पास जमा की जा सकती है और उसकी रसीद प्राप्त की जा सकती है।

आर0सी0 प्रपत्र–21

[देखें नियम–67(8)]

संहिता की धारा 67 के अन्तर्गत कार्यवाही में पारित नुकसानी और प्रतिकर के कारण वसूली किये जाने के लिये आदेशित रकम के विवरण का रजिस्टर

तहसील.....जिला.....

क्रम सं0	प्रकरण संख्या एवं सन्	पक्षों के नाम	आदेश का दिनांक	वसूली किये जाने के लिये आदेशित रकम	वसूल की गयी रकम	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7

आर0सी0 प्रपत्र–22

(देखें नियम–80 और 122)

असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर द्वारा निष्पादित किये जाने वाले पट्टे का प्रतिपर्ण

मैं, ..., पुत्र ....., निवासी ....., क्षेत्र ....., तहसील .....,जनपद ..... ने भूमि प्रबन्धक समिति .....से अधोलिखित भूमि का पट्टा असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के रूप में.....से रू0 .....के वार्षिक लगान पर निम्नलिखित देय किश्तों पर लिया है –

1. पचास प्रतिशत 15 नवम्बर तक देय।
2. पचास प्रतिशत 01 मई तक देय।

भूमि का विवरण

गांव का नाम :..... परगना :.....

तहसील :..... जनपद :.....

भूखण्ड संख्या :..... क्षेत्रफल :.....

सीमा :.....

दिनांक :..... .....

निष्पादक के हस्ताक्षर

आर0सी0 प्रपत्र–23

(देखें नियम–80 और 122)

असामी द्वारा निष्पादित पट्टे का प्रतिपर्ण

मैं, ..., पुत्र ....., निवासी ....., क्षेत्र ....., तहसील .....,जिला ..... निम्न वर्णित भूमि को भूमि प्रबन्धक समिति.....से दिनांक .....से प्रभावी होने वाले पट्टे पर .....रूपये के वार्षिक किराये पर जो निम्नलिखित किश्तों में देय है, लिया है–

1. पचास प्रतिशत 15 नवम्बर तक देय।
2. पचास प्रतिशत 01 मई तक देय।

भूमि का विवरण

गांव का नाम :..... परगना :.....

तहसील :..... जनपद :.....

भूखण्ड संख्या :..... क्षेत्रफल :.....

चौहद्दी :.....

दिनांक :..... .....

निष्पादक के हस्ताक्षर

आर0सी0 प्रपत्र–24

(देखें नियम–80 और 81)

ग्राम पंचायत के असामी की जमाबन्दी

ग्राम :....., परगना :....., तहसील :....., जिला :.....

माँग				
क्रम संख्या	असामी का नाम उसका पितृनाम (पता सहित)	खाता खतौनी की संख्या	खरीफ/रबी (फसली) के लिये मांग	पिछली फसली का बकाया (वर्तमान फसली में संग्रह योग्य स्थगित किराया सहित)
1	2	3	4	5

माँग				
कुल खरीफ/रबी फसली	छूट	निलम्बन	अन्य कारणों जिसमें पिछली फसली में संग्रहीत अतिरिक्त के साथ	योग
6	7	8	9	10

माँग			
कुल माँग (स्तम्भ–6 स्तम्भ–10)	भुगतान राशि	रसीद संख्या और दिनांक	कैश बुक का क्रम संख्या
11	12	13	14

संग्रह				
बकाया	अतिरिक्त	गांव कोष में जमा करने की तिथि	अध्यक्ष के हस्ताक्षर	टिप्पणी
15	16	17	18	19

आर0सी0 प्रपत्र–25

[देखें नियम–85(1)]

उपजिलाधिकारी के समक्ष

.....तहसील

.....जिला

<u>उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा 80(1) के अन्तर्गत उद्घोषणा हेतु आवेदन</u>

1. आवेदक का नाम :.....
2. पितृनाम और पता :.....
3. जोत का विवरण (खाता खतौनी संख्या, क्षेत्रफल, गांव, तहसील इत्यादि) :.....
4. देय भू–राजस्व : .....
5. गैर कृषि कार्य के उद्देश्य से प्रयुक्त जोत का क्षेत्रफल :.....
6. विशिष्ट गैर कृषि कार्य जिसके लिये जोत अथवा उसके किसी भाग का, प्रयोग हो रहा हो?
7. पूरे जोत अथवा उसके किसी भाग की उद्घोषणा चाही गयी है।
8. प्रार्थना

.....

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक :.....

नोट : प्रत्येक प्रार्थना पत्र अद्यतन खतौनी की प्रति के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।

आर0सी0 प्रपत्र–26

(देखें नियम–89)

उपजिलाधिकारी के समक्ष

.....तहसील

.....जिला

उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा 82 के अन्तर्गत उद्घोषणा को निरस्त करने का आवेदन

1. आवेदक का नाम :.....
2. पितृनाम और पता :.....
3. जोत का विवरण (खाता खतौनी संख्या, क्षेत्रफल, गांव, तहसील इत्यादि) :.....
4. देय भू–राजस्व : .....
5. गैर कृषि कार्य के उद्देश्य से प्रयुक्त जोत का क्षेत्रफल :.....
6. धारा 80 के अन्तर्गत की गयी उद्घोषणा, जिसका रद्दकरण आशयित है का विवरण :.....
7. क्या उद्घोषणा, जिसका रद्दकरण आशयित है सम्पूर्ण जोत या उसके किसी भाग के लिये है....
8. प्रार्थना.....

.....

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक :.....

नोट : प्रत्येक आवेदन के साथ संहिता की धारा 80 (1) के अन्तर्गत अथवा उ0प्र0 जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत की गयी उद्घोषणा संलग्न की जायेगी।

आर0सी0 प्रपत्र–27
[देखें नियम–99(1)]

अनुसूचित जाति से सम्बन्धित संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर द्वारा अपनी भूमि को अनुसूचित जाति से भिन्न व्यक्ति के पक्ष में (विक्रय/दान/वसीयत) द्वारा अन्तरण की अनुज्ञा के लिये आवेदन

सेवा में,

कलेक्टर

.....

महोदय,

मै.....पुत्र श्री/स्व0.....निवासी ग्राम.....तहसील..... जिला.....निम्नलिखित कथन करता हूँः–

1. यह कि मै संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हूं और अनुसूचित जाति..... का हूं।
2. यह कि आवेदक द्वारा उत्तर प्रदेश में भूमिधर के रूप में धृत भूमि के कुल क्षेत्रफल का विवरण इससे संलग्न अनुसूची–1 में दिया गया है।
3. यह कि मै इससे संलग्न अनुसूची – 2 में उल्लिखित अपनी भूमिधरी भूमि को विक्रय/दान/वसीयत द्वारा श्री.....पुत्र श्री .....निवासी ग्राम..... .....तहसील....., जनपद....., जो अनुसूचित जाति के नही हैं, के पक्ष में अन्तरित करना चाहता हूं।
4. यह कि इससे संलग्न अनुसूची–2 में उल्लिखित भूमि को विक्रय/दान/वसीयत द्वारा अन्तरण की अनुज्ञा के लिये मेरी प्रार्थना के आधार निम्नवत हैं :

   .....
   .....
   .....
   .....
5. प्रतिफल की धराशि रू..... है और कलेक्टर द्वारा नियत सर्किल रेट के अनुसार बाजारू मूल्य की धनराशि रू.....है।
6. अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी को इसके साथ संलग्न द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित भूमि को विक्रय/दान/वसीयत द्वारा अन्तरित करने के लिये उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 98(1) के अन्तर्गत अथवा धारा 98(1) सपठित धारा 107 के अन्तर्गत अनुज्ञा प्रदान करने की कृपा करें।

.....
आवेदक का हस्ताक्षर

सत्यापन

आवेदक का हस्ताक्षर

दिनांक.....

साक्षी.....

अनुसूची –1

(आर0सी0 प्रपत्र 27 से संलग्न)

श्री.....पुत्र श्री.....निवासी ग्राम.....

तहसील.....जिला.....द्वारा उत्तर प्रदेश में भूमिधर के रूप में धृत भूमि के कुल क्षेत्रफल का विवरण –

जिला	तहसील	ग्राम	खाता खसरा नम्बर	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	देय या देय माना गया भू–राजस्व
1	2	3	4	5	6

भूमिधर का हस्ताक्षर

अनुसूची –2

(आर0सी0 प्रपत्र 27 से संलग्न)

श्री.....पुत्र श्री.....निवासी ग्राम.....

तहसील.....जिला.....द्वारा विक्रय/दान/वसीयत द्वारा अन्तरित किये जाने के लिये वांछित भूमि का विवरण जिसका वह संक्रमणीय भूमिधर है–

जिला	तहसील	ग्राम	खाता खसरा नम्बर	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	देय या देय माना गया भू–राजस्व
1	2	3	4	5	6

भूमिधर का हस्ताक्षर

आर0सी0–प्रपत्र–28
[देखें नियम 99(2)]

अनुसूचित जाति के भूमिधर द्वारा अनुसूचित जाति से भिन्न व्यक्ति के पक्ष में अपनी भूमि का हित बन्धक रखने की अनुज्ञा के लिये आवेदन

सेवा में,

कलेक्टर

....

महोदय,

मै..................................पुत्र श्री/स्व0...................................निवासी ग्राम........................तहसील................. जिला..निम्नलिखित कथन करता हूँः–

1. यह कि मै भूमिधर हूं और अनुसूचित जाति .... का हूं।
2. यह कि आवेदक द्वारा उत्तर प्रदेश में भूमिधर के रूप में धृत भूमि के कुल क्षेत्रफल का विवरण इससे संलग्न अनुसूची–1 में दिया गया है।
3. यह कि मै इससे संलग्न अनुसूची– 2 में उल्लिखित अपनी भूमिधरी भूमि में अपने हित का बन्धक श्री.............................पुत्र श्री ....निवासी ग्राम.. तहसील........................, जनपद..................., जो अनुसूचित जाति का नही हैं, के पक्ष में करना चाहता हूं।
4. यह कि इससे संलग्न अनुसूची–2 में उल्लिखित भूमि में अपने हित का बन्धक करने की अनुज्ञा के लिये मेरी प्रार्थना के आधार निम्नवत हैं :

....

....

....

....

5. अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी को इसके साथ संलग्न द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित भूमि के सम्बन्ध में अपने हित का बन्धक करने के लिये उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 98(1) के अन्तर्गत अनुज्ञा प्रदान करने की कृपा करें।

....

आवेदक का हस्ताक्षर

सत्यापन

आवेदक का हस्ताक्षर

दिनांक...............

साक्षी............................

अनुसूची –1

(आर0सी0 प्रपत्र 28 से संलग्न)

श्री.....पुत्र श्री.....निवासी ग्राम..... तहसील.....जिला.....द्वारा उत्तर प्रदेश में भूमिधर के रूप में धृत भूमि के कुल क्षेत्रफल का विवरण –

जिला	तहसील	ग्राम	खाता खसरा नम्बर	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	देय या देय माना गया भू–राजस्व
1	2	3	4	5	6

भूमिधर का हस्ताक्षर

अनुसूची –2

(आर0सी0 प्रपत्र 28 से संलग्न)

श्री.....पुत्र श्री.....निवासी ग्राम..... तहसील..... .....जिला.....की भूमि जिसका वह भूमिधर है और जिसके सम्बन्ध में वह अपना हित बन्धक रखना चाहता है, का विवरण –

जिला	तहसील	ग्राम	खाता खसरा नम्बर	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	देय या देय माना गया भू–राजस्व
1	2	3	4	5	6

भूमिधर का हस्ताक्षर

आर0सी0 प्रपत्र–29

[देखें नियम–99(3)]

धारा 98(1) में उल्लिखित और अनुसूचित जाति से सम्बन्धित भूमिधर/असामी द्वारा अनुसूचित जाति से भिन्न व्यक्ति के पक्ष में अपनी भूमि को पट्टे पर देने की अनुज्ञा के लिये आवेदन

सेवा में,

कलेक्टर

.....

महोदय,

मै.....पुत्र श्री/स्व0.....निवासी ग्राम..... तहसील.....जिला.....निम्नलिखित कथन करता हूँ :

1. यह कि मैं धारा 98(1) में उल्लिखित भूमिधर/असामी हूं और अनुसूचित जाति .....का हूं।
2. यह कि मैं इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि जिसका मैं भूमिधर/असामी हूं को श्री .....पुत्र श्री.....निवासी ग्राम.....तहसील..... जिला .....जो कि अनुसूचित जाति का नही है के पक्ष में पट्टा करना चाहता हूं।
3. यह कि इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित अपनी भूमि को पट्टे पर देने की अनुज्ञा के लिये मेरी प्रार्थना निम्नलिखित आधार पर हैः

   .....
   .....
   .....

6. अतः प्रार्थना है कि, इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 98(1) के अन्तर्गत पट्टे पर देने के लिये अनुज्ञा प्रदान करने की कृपा करें।

.....

आवेदक का हस्ताक्षर

सत्यापन

आवेदक का हस्ताक्षर

दिनांक..... साक्षी.....

अनुसूची

(आर0सी0 प्रपत्र 29 से संलग्न)

श्री.....पुत्र श्री.....निवासी ग्राम..... तहसील..... .....जिला.....की भूमि जिसका वह भूमिधर/असामी है और जिसे वह पट्टे पर देना चाहता है, का विवरण –

जिला	तहसील	ग्राम	खाता खसरा नम्बर	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	देय या देय माना गया भू–राजस्व
1	2	3	4	5	6

आवेदक का हस्ताक्षर

आर0सी0 प्रपत्र–30
(देखें नियम–119)

उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006, की धारा 125 के अन्तर्गत सम्मिलित किये जाने वाले इच्छुक व्यक्तियों की सूची जिनके आवेदन का ग्राम ..... के भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा अपने बैठक दिनांक .....में विचार किया गया है।

क्रम संख्या	(स्वीकृति हेतु इच्छुक) व्यक्ति एवं उसके पितृत्व का नाम	स्तम्भ–2 में उल्लिखित व्यक्तियों के पते	आवेदक और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा पहले से धारित भूमि का विवरण				
			भूखण्डों का खसरा संख्या	क्षेत्रफल	गांव, परगना एवं तहसील	जोतदार की श्रेणी	भू–राजस्व या किराया
1	2	3	4	5	6	7	8

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त विवरण सहित है।

लेखपाल/सचिव

दिनांक :.....

.....

अध्यक्ष

(भूमि प्रबन्धक समिति)

दिनांक :.....

आर0सी0 प्रपत्र–31
[देखें नियम–120(1)(क)]

गांव ....., परगना ....., तहसील .....जिला ....., के भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा चुने गये उन व्यक्तियों की सूची जिनके पक्ष में भूमि की व्यवस्था असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर अथवा असामी के रूप में किया गया है।

1. नियम 119 के अन्तर्गत होने वाली बैठक की घोषणा तिथि :.....
2. समिति की उक्त बैठक में उपस्थित होने वाले आवेदकों की संख्या :.....
3. आबंटन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण :.....

   गांव :.....

   भूखण्ड संख्या :.....

   क्षेत्रफल :.....

   प्रस्तावित भू–राजस्व/किराया .....

क्रम संख्या	चुने गये व्यक्तियों का विवरण	वरीयता की श्रेणी	बंदोबस्त के लिये प्रस्तावित भूमि		
			भू0 संख्या	क्षेत्रफल	भू–राजस्व/किराया
1	2	3	4	5	6

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त विवरण सही हैं।

अध्यक्ष

लेखपाल/सचिव (भूमि प्रबंधक समिति)

दिनांक : :..... दिनांक : :.....

उपजिलाधिकारी

उपर्युक्त सूची भूमि प्रबंधक समिति की दिनांक .....को हुई बैठक की कार्यवाही की प्रति के साथ आवश्यक स्वीकृति हेतु प्रस्तुत

.....

अध्यक्ष

दिनांक :.....

उपजिलाधिकारी का आदेश

1. स्तम्भ 4 और 5 में उल्लिखित भूमि क्रम संख्या ..... पर उल्लिखित व्यक्तियों को स्तम्भ 4 और 5 में उल्लिखित भूमि का स्तम्भ संख्या 6 में उल्लिखित भू–राजस्व अथवा किराया को जमा किये जाने की दशा में उन्हें असंक्रमणीय भूमिधर अथवा असामी के रूप में सम्मिलित किये जाने की सहमति प्रदान की जाती है।
2. भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा प्रस्तावित व्यक्तियों के नाम जो क्रम संख्या ..... पर उल्लिखित हैं को निम्न कारणों से सम्मिलित किये जाने पर असहमति दी जाती है।

आधार

दिनांक :.....

.....

उपजिलाधिकारी

के हस्ताक्षर

नोट – असंक्रमणीय भूमिधर एवं असामी के रूप में सम्मिलित किये जाने हेतु अलग–अलग प्रारूप उपयोग किये जायें।

आर0सी0 प्रपत्र–32
(देखें नियम–120, 121 और 122)
भूमि पर असामी के रूप में स्वीकार किये जाने का प्रमाण पत्र

मैं, ..., अध्यक्ष, भूमि प्रबन्धक समिति ....., क्षेत्र ....., तहसील ....., जिला ....., प्रमाणित करता हूँ कि समिति में श्री ....., पुत्र ....., निवासी ....., को अधोलिखित भूमि में असामी के रूप में दिनांक ..... से वार्षिक किराया रू0 ..... जो निम्न किश्तों में देय हैं, स्वीकार किया गया है।

1. देय राशि का पचास प्रतिशत 15 नवम्बर तक
2. देय राशि का पचास प्रतिशत 01 मई तक

<u>भूमि का विवरण</u>

गांव का नाम :..... परगना :.....

तहसील :..... जिला :.....

भूखण्ड संख्या :..... क्षेत्रफल :.....

चौहद्दी :.....

दिनांक :..... .....

अध्यक्ष

भूमि प्रबन्धक समिति

आर0सी0 प्रपत्र–33

(देखें नियम–120, 121 और 122)

भूमि पर असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के रूप में स्वीकार किये जाने का प्रमाण पत्र

मैं, ..., अध्यक्ष, भूमि प्रबन्धक समिति ....., क्षेत्र ....., तहसील ....., जिला ....., प्रमाणित करता हूँ कि समिति में श्री ....., पुत्र ....., निवासी ....., को अधोलिखित भूमि में असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के रूप में दिनांक ..... से वार्षिक किराया रू0 ..... जो निम्न किश्तों में देय हैं, स्वीकार किया गया है।

1. देय राशि का पचास प्रतिशत 15 नवम्बर तक
2. देय राशि का पचास प्रतिशत 01 मई तक

<u>भूमि का विवरण</u>

गांव का नाम :..... परगना :.....

तहसील :..... जिला :.....

भूखण्ड संख्या :..... क्षेत्रफल :.....

चौहद्दी :.....

दिनांक :.....

.....

अध्यक्ष

भूमि प्रबन्धक समिति

आर0सी0 प्रपत्र–34
[देखें नियम–136(6)]

उन जोतों का रजिस्टर जिनमें कृषि आपदा (वर्ग–1) के अन्तर्गत सहायता अनुमन्य की गयी

तहसील :....., परगना :....., गांव :.....

क्रम संख्या	खाता खतौनी की संख्या	जोत का कुल क्षेत्रफल	भू–राजस्व	प्रभावित क्षेत्र
1	2	3	4	5

भू–राजस्व में छूट	छूट का वर्ष	वर्ष जिसमें छूट को रद्द या उपान्तरित किया गया।	राशि	टिप्पणी
6	7	8	9	10

आर0सी0 प्रपत्र–35
(देखें नियम–139)

भू–राजस्व की रसीद

प्रतिपर्ण (ए)

1. पुस्तक संख्या
2. रसीद संख्या
3. गांव का नाम
4. जमाबन्दी खाता की संख्या
5. भुगतान करने वाले का नाम तथा पितृनाम
6. संग्रह की तिथि
7. भुगतान राशि
   अंको में :.....
   शब्दों में:.....
8. किश्त (रबी / खरीफ)
9. संग्रह अमीन का पूरा हस्ताक्षर
10. कुल अग्रनीत

प्रतिपर्ण (बी)

1. पुस्तक संख्या
2. रसीद संख्या
3. गांव का नाम
4. जमाबन्दी खाता की संख्या
5. भुगतान करने वाले का नाम तथा पितृनाम
6. संग्रह की तिथि
7. भुगतान राशि
   अंको में :.....
   शब्दों में:.....
8. किश्त (रबी / खरीफ)
9. संग्रह अमीन का पूरा हस्ताक्षर
10. कुल अग्रनीत

कूपन (सी)

1. पुस्तक संख्या
2. रसीद संख्या
3. गांव का नाम
4. भुगतान करने वाले का नाम तथा पितृनाम
5. भुगतान की गयी राशि
6. संग्रह की तिथि

आर0सी0 प्रपत्र–36
[देखें नियम–141(3)]
माँग का अधिपत्र

1. क्रम सं0 :.....
2. खाता खतौनी :.....
3. ग्राम :.....
4. परगना :.....
5. बकायेदार का नाम :.....
6. बकाये की रकम और किस्त :.....
.....
7. निर्गत होने की तिथि :.....
8. आदेशिका तामीलकर्ता का नाम :.....
.....
9. तामीली की तिथि :.....
10. अभ्युक्तियाँ :.....
11. टिप्पणियाँ :.....

प्रमाणित किया जाता है कि
लेखों का विवरण
सही है।

वासिल बाकी नवीस के हस्ताक्षर

तहसीलदार के हस्ताक्षर

आर0सी0 प्रपत्र–36
[देखें नियम–141(3)]
माँग का अधिपत्र

क्रम सं0 :.....
सेवा में,
श्री .....
.....

जहां तक भू–राजस्व की बकाया या भू–राजस्व के रूप में वसूली योग्य बकाया आपसे निम्न विवरणानुसार देय है।

एतद्द्वारा आपसे अपेक्षा की जाती है कि इस नोटिस की तामीली के 15 दिनों के भीतर तहसील में भुगतान कर दें अथवा उपस्थित होकर कारण स्पष्ट करें कि क्यों न आपके विरूद्ध उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के अधीन उत्पीड़नात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जाय।

देय धनराशि का विवरण

.....
.....
.....जारी करने की तिथि :.....
मुहर .....
(तहसीलदार के हस्ताक्षर)

आर0सी0 प्रपत्र–36
[देखें नियम–141(3)]
माँग का अधिपत्र

क्रम सं0 :.....
सेवा में,
श्री .....
.....

जहां तक भू–राजस्व की बकाया या भू–राजस्व के रूप में वसूली योग्य बकाया आपसे निम्न विवरणानुसार देय है।

एतद्द्वारा आपसे अपेक्षा की जाती है कि इस नोटिस की तामीली के 15 दिनों के भीतर तहसील में भुगतान कर दें अथवा उपस्थित होकर कारण स्पष्ट करें कि क्यों न आपके विरूद्ध उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के अधीन उत्पीड़नात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जाय।

देय धनराशि का विवरण

.....
.....
.....जारी करने की तिथि :.....
मुहर .....
(तहसीलदार के हस्ताक्षर)

आर0सी0 प्रपत्र–37
अधपन्ना

1. क्रम संख्या :.....
2. व्यतिक्रमी का नाम :.....
3. आवास :.....
4. बकाया की धनराशि :.....
5. बकाया का प्रकार :.....
6. जारी करने की तिथि :.....
7. अधिपत्र निष्पादन के लिये अधिकृत व्यक्ति का नाम :.....
8. साथ के संग्रह अमीन का नाम :.....
9. निश्चित तिथि :.....
10. प्रसूचना तामील किये जाने की तिथि :.....
11. टिप्पणियाँ:.....

.....

वासिल बाकी नवीस के हस्ताक्षर

.....

त्हसीलदार के हस्ताक्षर

आर0सी0 प्रपत्र–37
[देखें नियम–144(1)]

उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की
धारा 171 के अन्तर्गत गिरफ्तारी का अधिपत्र

सेवा में,

.....
(अधिपत्र निष्पादन करने के लिये अधिकृत व्यक्ति का नाम व पदनाम)

चूँकि श्री ....., पुत्र ....., निवासी .....भू–राजस्व का बकाया/भू–राजस्व के बकाये की भांति वसूले जाने योग्य राशि रू0 ..... के व्यतिक्रमी हैं।

और चूँकि श्री .....दिनांक .....को मांग पत्र की तामीली के पश्चात भी उक्त धनराशि का भुगतान करने में असमर्थ रहे हैं।

इसलिए एतद्द्वारा आपको यह निर्देश किया जाता है कि आप उक्त व्यतिक्रमी को गिरफ्तार करें और उसे इस न्यायालय में दिनांक ..... ई0 को या उससे पूर्व उपस्थित करें

यदि व्यतिक्रमी आपको अथवा साथी संग्रह अमीन को कथित राशि और आदेशिका शुल्क अदा कर देता है तो यह अधिपत्र निष्पादित नहीं होगा।

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा द्वारा दिनांक ..... को जारी किया गया।

मुहर

.....
कलेक्टर/सहायक
कलेक्टर के हस्ताक्षर

आर0सी0 प्रपत्र–38
[देखें नियम–147(2)]

अधपन्ना चल सम्पत्ति की कुर्की का अधिपत्र

बही सं0 :.....

क्रम सं0 :.....

1. **अधिपत्र सं0 :.....**
2. **अधिपत्र निष्पादन के लिये अधिकृत अधिकारी का नाम व पदनाम : .....**
   .....
3. **व्यतिक्रमी का नाम व पता :.....**
   .....
4. **बकाया धनराशि :.....**
5. **बकाया की प्रकृति :.....**
6. **जारी करने की तिथि :.....**
7. **वाद की संख्या :.....**

.....हस्ताक्षर

वासिल बाकी–नवीस

.....

हस्ताक्षर तहसीलदार

आर0सी0 प्रपत्र–38
[देखें नियम–147(2)]

चल सम्पत्ति कुर्की का अधिपत्र

बही सं0 ..... क्रम सं0 .....

सेवा में,

.....

(इस अधिपत्र को निष्पादित करने के लिये अधिकृत व्यक्ति का नाम व पदनाम)

जबकि श्री ....., पुत्र ....., निवासी .... भू–राजस्व का बकाया/भू–राजस्व के बकाये की भांति वसूले जाने योग्य राशि रू0 ..... के व्यतिक्रमी हैं।

इसलिये एतद्द्वारा आपको यह निर्देश किया जाता है कि आप उक्त व्यतिक्रमी की चल सम्पत्ति कुर्क लें तथा उसे अपने अधिकार में उस समय तक रखे जब तक वह आपको उक्त धनराशि के साथ इस कुर्की के परिव्यय के रूप में रू0 ..... न चुका दे।

आपको यह भी निर्देश दिया जाता है कि आप दिनांक ..... या उसके पूर्व यह अधिपत्र कुर्की के ढ़ंग या प्रणाली की रिपोर्ट के साथ वापस कर दें।

जारी करने का दिनांक ..... **.....**

मुहर **कलेक्टर/सहायक कलेक्टर**

व्यतिक्रमी की निम्नलिखित सम्पत्ति कुर्क कर ली गयी थी और श्री ....पुत्र श्री .....को सुरक्षित अभिरक्षा हेतु दे दी गयी है।

कुर्क चल सम्पत्ति की सूची

उपर्युक्त सम्पत्ति को सुरक्षित अभिरक्षा हेतु प्राप्त किया।

निष्पादन करने वाले **सुपुर्ददार के हस्ताक्षर**

अधिकारी के हस्ताक्षर **दिनांक .....**

दिनांक.....

आर0सी0 प्रपत्र–39
[देखें नियम–151(1)]

चल सम्पत्ति के विक्रय के लिये उद्घोषणा

वाद संख्या..... वर्ष.....

(पक्षकारों के नाम)

चूँकि अग्रलिखित विवरण में उल्लिखित चल सम्पत्ति दिनांक .....को आबंटित की गयी थी और व्यतिक्रमी श्री ....., पुत्र श्री ....., निवासी ..... द्वारा उक्त सम्पत्ति को कुर्क किये जाने के तीस दिनों के अन्दर बकाये की राशि जैसा कि नीचे विवरण में दिया गया है, का भुगतान करने में असफल रहा है।

और चूँकि, इस न्यायालय ने उस सम्पत्ति के विक्रय हेतु निर्देशित किया है।

अतः यह नोटिस दिया जाता है कि उक्त सम्पत्तियों की लोक नीलामी के माध्यम से दिनांक .....को ....बजे .....(विक्रय का स्थान) पर निम्न निबन्धन एवं शर्तों के अनुसार विक्रय की जायेगी :–

1. नीलामी में उच्चतम बोली लगाने वाले व्यक्ति को बिक्रीत की जाने वाली सम्पत्ति का क्रेता घोषित किया जायेगा।
2. उच्चतम् बोली दाता को मौके पर ही विक्रय मूल्य की एक मुश्त राशि नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करनी होगी।
3. व्यतिक्रम की दशा में सम्पत्ति पुनः आगे बिक्री की जायेगी।
4. विक्रय मूल्य जमा कर देने के साथ, विक्रय पूर्ण हो जायेगी।
5. ऐसा कोई विक्रय की प्रक्रिया शुरू नहीं की जायेगी जहां, बकाया देय रकम का भुगतान नीलामी के पूर्व तक कर दिया जाता है।

सम्पत्ति का विवरण	**बकाये का विवरण**
.....	(अ) भू–राजस्व का बकाया या इस प्रकार से वसूली योग्य रकम.....
	(ब) कुर्की किये जाने की प्रक्रिया में हुए खर्च.....
	(स) विक्रय किये जाने की प्रक्रिया में हुआ खर्च .....

जारी किये जाने का दिनांक .....

.....

उपजिलाधिकारी

का हस्ताक्षर

नोट –

1. यह उद्घोषणा आशयित विक्रय की तिथि से 21 दिन पहले जारी किया जाना होगा।
2. इस उद्घोषणा की प्रति आशयित विक्रय की तिथि से 07 दिन पूर्व व्यतिक्रमी पर तामील किया जायेगा।
3. यदि विक्रय कलेक्टर या सहायक कलेक्टर से अन्यथा किसी अधिकारी द्वारा किया जाना है तो उस अधिकारी का नाम तथा पदनाम उद्घोषणा पत्र में उल्लिखित किया जायेगा।
4. उद्घोषणा की एक प्रति सुपुर्दगार को भी इस निर्देश के साथ प्रेषित की जायेगी कि उस सम्पत्ति से यदि कोई चल सम्पत्ति जुड़ी है तो वह भी विक्रय हेतु प्रस्तुत करें

आर0सी0 प्रपत्र–40

(देखें नियम–153)

उपजिलाधिकारी : .....
वाद सं0 :.....
दिनांक :.....

सेवा में,

शाखा प्रबंधक,

.....
..... शाखा
.....

जैसा कि श्री ....., निवासी ....., जो कि एक व्यतिक्रमी है, से राशि रू0 .....(शब्द.....) भू–राजस्व के मद में बकाया है और जैसा कि उक्त व्यतिक्रमी ने आपकी शाखा में एक खाता सं0 .....खोल रखा है और एक लॉकर सं0 .....किराये पर ले रखा है।

इसलिए, अब आप और उक्त व्यतिक्रमी को उक्त खाता या लॉकर को संचालित करने से तथा अगले आदेशों तक उक्त खाता और लॉकर से कोई राशि या वस्तु के निष्कासन या निष्कासन को स्वीकृत करने से निषिद्ध या अवरूद्ध किया जाता है।

स्वनिर्देश–

(उपजिलाधिकारी)

प्रतिलिपि – श्री ....., निवासी ..... (व्यतिक्रमी) को प्रेषित।

स्वनिर्देश–

(उपजिलाधिकारी)

आर0सी0 प्रपत्र–41
(देखें नियम–158 और 162)

भूमि और अन्य अचल सम्पत्तियों की कुर्की (जब्ती)

सेवा में,

श्री .....

(व्यतिक्रमी का नाम और पता)

जैसा कि आप अधोलिखित भू–राजस्व की राशि या वसूली योग्य बकाया भू–राजस्व को जमा करने मे असफल हुये हैं;

आपको एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोलिखित सम्पत्ति जब्त कर ली गयी है और आपको आगे से उक्त सम्पत्ति के हस्तांतरण या बिक्री, दान या अन्य रूप से प्रभार अर्जन से निषिद्ध और अवरूद्ध किया जाता है और अन्य व्यक्तियों को भी उक्त सम्पत्ति की बिक्री, दान या अन्य रूप में प्राप्त करने से निषिद्ध और अवरूद्ध किया जाता है।

जब्त सम्पत्ति का विवरण	**बकाया का विवरण**
.....	.....
.....	.....

जारी तिथि ..... हस्ताक्षर

मुहर जिलाधिकारी / उपजिलाधिकारी

नोट – इस आदेश की एक प्रति उक्त जब्त सम्पत्ति पर या उसके नजदीक चस्पा की जानी चाहिए और जब्ती की कार्यवाही उस स्थान पर ही ढोल पीटकर उद्घोषित की जानी चाहिये।

आर0सी0 प्रपत्र–42
(देखें नियम–160 और 163)
संहिता की धारा 175 के अन्तर्गत पट्टे का प्रपत्र

यह अनुबन्ध दिनांक .....उपजिलाधिकारी .....तहसील .....जिला ..... (जिसे एतद्पश्चात् पट्टाकर्ता कहा गया है) प्रथम पक्ष व श्री ....., पुत्र श्री ....., निवासी ..... (जिसे एतद्पश्चात पट्टाधारक कहा गया है) के मध्य किया गया है।

यतः उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 175 के अधीन नीचे वर्णित भूमि का पट्टा भू–राजस्व की बकाया या वसूली योग्य धनराशि के बावत किया जाना है।

जहां तक कि पट्टाधारक द्वारा नीचे वर्णित भूमि पर खेती करने के लिये आवेदन किया गया है तथा पट्टाधारक निम्नलिखित शर्तों और प्रतिबन्धों का परिपालन करने के लिये सहमत है।

अतः यह अनुबन्ध साक्षी है, नीचे वर्णित भूमि पट्टाकर्ता द्वारा पट्टा धारक के प्रतिफल की धनराशि रू0 ..... पट्टाधारक द्वारा पट्टाकर्ता को अदा करने के फलस्वरूप (रसीद जिसके द्वारा पट्टाधारक स्वीकार करता है) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 175 के प्रावधानों के अन्तर्गत पट्टा की गयी है।

1. पट्टाधारक प्रश्नगत भूमि पर अपना कब्जा .....वर्षों तक (.....से .....तक) बनाये रखेगा।
2. ऊपर वर्णित अवधि के पट्टाधारक लगातार भू–राजस्व रू0..... इस संहिता व इसके अधीन वर्णित नियमावली के अनुसार अदा करता रहेगा।
3. पट्टाकर्ता की लिखित अनुमति के बिना पट्टेदार प्रश्नगत पट्टे में वर्णित सम्पत्ति की उप किरायेदारी या अंतरित नहीं करेगा।
4. पट्टे की अवधि समाप्त होने अथवा पट्टा निरस्त होने की दशा में नीचे वर्णित प्रस्तर–5 के अधीन पट्टाधारक पट्टाकर्ता अथवा उसके प्रतिनिधि को कब्जा सौंप देगा, असफल रहने की दशा में पट्टाकर्ता का अधिकार होगा कि वह आवश्यक बल प्रयोग कर कब्जा प्राप्त कर ले।
5. इस पट्टे की किसी शर्त या प्रतिबन्ध का उल्लंघन पट्टाधारक द्वारा किये जाने की दशा में पट्टाकर्ता का यह अधिकार होगा कि वह पट्टे को निरस्त कर दे।
6. यदि पट्टे की अवधि के दौरान पट्टाधारक कोई उत्तराधिकारी छोड़कर मर जाता है उस दशा में पट्टाकर्ता की लिखित अनुमति (अन्यथा नहीं) पर शेष अवधि के लिये पट्टा दिया जायेगा।
7. यदि भू–राजस्व की धनराशि अथवा उसका कोई भाग अदा करने से शेष रह जाता है तो उसे पट्टाधारक या उसके उत्तराधिकारी से वसूल किया जा सकेगा।

निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में पक्षों द्वारा दिनांक.....वर्ष .....को हस्ताक्षरित किया गया।

<u>पट्टा की गयी भूमि का विवरण</u>

पट्टाधारक के हस्ताक्षर　　पट्टाकर्ता के हस्ताक्षर

<u>साक्षी</u>

1–

2–

आर0सी0 प्रपत्र–43
(देखें नियम–161 और 163)

भूमि व अन्य अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु उद्घोषणा

वाद संख्या : ..... वर्ष :.....

(पक्षकारों के नाम)

जहां तक कि भूमि/अन्य अचल सम्पत्तियों जिनका विवरण नीचे अभिलिखित है :.....

और व्यतिक्रमी श्री ....., पुत्र श्री ....., निवासी ..... बकाया भुगतान करने में असफल हो गया है और जहां तक कि इस न्यायालय द्वारा व्यतिक्रमी की इस भूमि/अन्य अचल सम्पत्तियों की नीलामी हेतु निर्देशित किया गया है।

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोलिखित प्रश्नगत भूमि/अन्य अचल सम्पत्तियों की नीलामी सार्वजनिक बोली के माध्यम से दिनांक ..... समय ..... बजे से (नीलामी स्थान) ..... पर निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन की जायेगी :–

1. नीलामी में सर्वोच्च बोलीदाता को विधिक रूप से सक्षम होने की दशा में प्रश्नगत भूमि/अन्य अचल सम्पत्तियों का क्रेता घोषित किया जायेगा।
2. प्रश्नगत क्रेता को तत्काल बोली की धनराशि का 25 प्रतिशत नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करना होगा। असफल रहने की दशा में भूमि/अन्य अचल सम्पत्ति की तत्काल पुनः बिक्री की जायेगी।
3. शेष धनराशि की अदायगी क्रेता द्वारा नीलामी की तिथि से पन्द्रहवें दिन या उससे पूर्व उत्तर प्रदेश संहिता, 2006 की धारा 190 में यथा वर्णित विधि के अनुसार की जायेगी।
4. यदि अवशेष धनराशि जमा नहीं की जाती है, तब ऊपर वर्णित प्रस्तर–2 के अनुसार जमा की गयी धनराशि राज्य सरकार द्वारा जब्त कर ली जायेगी।
5. नीचे वर्णित अवशेष धनराशि का भुगतान नीलामी द्वारा विक्रम के पूर्व कर दिये जाने की दशा में विक्रय की कार्यवाही नहीं की जायेगी।
6. विक्रय की पुष्टि प्रश्नगत संहिता की धारा 194 से शासित होगा।

भूमि अथवा अन्य अचल सम्पत्तियों की विशिष्टताएँ	बकाया का विवरण
(सम्पत्ति की अनुमानित कीमत, आरक्षित कीमत और सर्किल रेट व भू–राजस्व तथा भार यदि कोई हो)	(क) भू–राजस्व की बकाया या बकाया के रूप में वसूली योग्य धनराशि ..... (ख) कुर्की निष्पादन व्यय ..... (ग) विक्रय निष्पादन व्यय ..... योग रूपया .....
जारी करने की तिथि	कलेक्टर/सहायक कलेक्टर के हस्ताक्षर
मुहर	जिला .....

नोट–1–विक्रय की उद्घोषणा विक्रय के लिये प्रस्तावित तिथि से कम से कम 21 दिन पूर्व होगी।

नोट–2–विक्रय की उद्घोषणा की प्रति विक्रय के लिये प्रस्तावित तिथि से कम से कम 7 दिन पूर्व व्यतिक्रमी को तामील की जायेगी।

नोट–3–यदि विक्रय कलेक्टर या सहायक कलेक्टर से भिन्न अन्य अधिकारी द्वारा किया जाता है तो उस दशा में उस अधिकारी का नाम व पद नाम उद्घोषणा में उल्लिखित किया जायेगा।

आर0सी0 प्रपत्र–44
(देखें नियम–176)

जिलाधिकारी कार्यालय

जिला – .....

(वाद सं0 ..... का .....)

(..... बनाम .....)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री ....., पुत्र/पुत्री.....निवासी .....को उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 के अध्याय–बारह के अन्तर्गत हुई नीलामी में अधोलिखित सम्पत्ति का खरीददार घोषित किया जाता है –

नीलामी की तिथि :.....

बिक्री के पुष्टिकरण की तिथि :.....

बिक्री प्रतिफल :.....

सम्पत्ति का विवरण

.....

.....

.....

प्रमाण पत्र की तिथि .....

..... **जिलाधिकारी**

बी0पी0एस0 प्रपत्र–1
(देखें नियम 80)

ग्राम सभा की सम्पत्ति का रजिस्टर

1. ग्राम पंचायत के हलके का नाम

   ग्राम पंचायत के हलके के ग्रामों के नाम

   .....

   .....

2. तालिका–1

		क्षेत्र जो निहित नहीं हैं			क्षेत्र जो निहित है	
टाबादी	फसली सन्	खाते और बाग	खातों और बाग के अलावा बिना खेती का क्षेत्र	स्तम्भ 3 और 4 का जोड़	जो असामियों के पास है	वन और बंजर भूमि
1	2	3	4	5	6	7

चरागाह	तालाब, पोखरे और जल प्रणालियां	आबादी के स्थल	अन्य	स्तम्भ 6 से 11 तक का योग	ग्राम का कुल योग (स्तम्भ 5 और 12)
8	9	10	11	12	13

3. तालिका–2

भाग (क)–ऐसी भूमि के ब्योरे जो निहित नहीं हैं

ग्राम की खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की किस्म
1	2	3

4. तालिका–2

भाग (ख)– निहित भूमि के ब्योरे

ग्राम की खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की किस्म
1	2	3

5. तालिका–3

भूमि जो जलाने की लकड़ी के पेड़ों को लगाने, बागों इत्यादि के लिए अलग की गई है

ग्राम और गाटों (प्लाटों) की संख्या	क्षेत्रफल	प्रयोजन
1	2	3

6. तालिका–4

वन, आबादी, खेतों या बागों में लगे हुए पेड़ों को छोड़कर छिटपुट लगे पेड़

ग्राम और गाटों (प्लाटों) की संख्या	पेड़ों की किस्म	पेड़ों की संख्या	लगभग उम्र
1	2	3	4

7. तालिका–5

हाट, बाजार और मेले, जिनका प्रबन्ध भूमि–प्रबन्धक समिति करती है

ग्राम	हाट, बाजार या मेले का नाम	दिनांक और महीना जिस दिन हाट, बाजार या मेला लगता हो	स्थान या गाटे (प्लाट) की संख्या, जहां मेला लगता हो
1	2	3	4

सलाना आमदनी				
2023 फ0	2024 फ0	2025 फ0	2026 फ0	2027 फ0
5	6	7	8	9

8. तालिका–6

निजी घाट

ग्राम	नदी और घाट का नाम	स्थान या गाटे (प्लाट) की संख्या
1	2	3

सालाना आमदनी

2023 फ0	2024 फ0	2025 फ0	2026 फ0	2027 फ0
4	5	6	7	8

9. तालिका–7

तालाब, पोखरे और जल–प्रणालियां इत्यादि

ग्राम	तालाब, पोखरे या जल–प्रणाली इत्यादि का नाम	स्थान या गाटे (प्लाट) की संख्या
1	2	3

सालाना आमदनी

2023 फ0	2024 फ0	2025 फ0	2026 फ0	2027 फ0
4	5	6	7	8

10. तालिका–8

सड़कें और रास्ते

ग्राम	सड़क या रास्ते का नाम	कच्ची या पक्की	ग्राम का नाम जिसमें से होकर जाती है	किलोमीटर	किस जगह से	किस जगह को
1	2	3	4	5	6	7

11. तालिका–9

आबादी के स्थल

ग्राम	आबादी का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल
1	2	3	4

12. तालिका–10

ग्राम पंचायत की कुल आमदनी

ग्राम	फसली सन्	असामी	नीचे दी हुई मदों से आय		
			चरागाह	हाट, बाजार और मेले	घाट(Ferries)
1	2	3	4	5	6

नीचे दी हुयी मदों से आय

तालाब, पोखरे और जल–प्रणालियां इत्यादि	वन और बंजर भूमि	आबादी के स्थल	अन्य	कुल आमदनी (स्तम्भ 3 से 10 तक)
7	8	9	10	11

बी0पी0एस0 प्रपत्र–2
(देखें नियम 80)

भूमि प्रबन्धक समिति के पास पट्टे पर उठाने के लिये उपलब्ध भूमि का तहसील रजिस्टर

ग्राम का नाम.....भूमि प्रबन्धक समिति का नाम..... ।

प्लाट नं0	फसली सन् के प्रारम्भ में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 117 या उत्तर प्रदेश राजस्व सहिता, 2006 की धारा 59 के अधीन निहित भूमि में से आबंटन के लिए उपलब्ध भूमि		तिथि तथा आदेश संख्या जिसके द्वारा अन्य भूमि, भूमि प्रबन्धक समिति को मिली	उस अधिकारी का पद, जिसने स्तम्भ 4 में उल्लिखित आदेश दिया	तहसील में आदेश प्राप्त होने के तिथि
	गाटा (प्लाट) संख्या	रकबा			
1	2	3	4	5	6

गाटा (प्लाट) संख्या	क्षेत्रफल	सर्किल रेट की दर से भू–राजस्व	लेखपाल के हस्ताक्षर यह प्रमाणित करने के प्रति कि उसने स्तम्भ 4 की प्रविष्टियों का ग्राम पंचायत सम्पत्ति के रजिस्टर में समावेश कर लिया गया है	भूमि को पट्टे पर उठाने की तिथि	किसको भूमि पट्टे पर उठाई गई
7	8	9	10	11	12

भू–राजस्व	दाखिल खारिज से आदेश की तिथि एवं संख्या	लेखपाल का हस्ताक्षर यह प्रमाणित करने हेतु कि भूमि को पट्टे पर उठाने की प्रविष्टि खतौनी में तथा ग्राम सभा सम्पत्ति रजिस्टर में कर दी गई है
13	14	15

बी0पी0एस0 प्रपत्र–3
(देखें नियम 80)

(तहसीलदार द्वारा कलेक्टर को भेजा जाए)

भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा पट्टे पर दी गई भूमि का विवरण फसली वर्ष 20.....,

क्रम सं0	ग्राम का नाम	फसली वर्ष के प्रारम्भ में पट्टे पर दिये जाने के लिये उपलब्ध भूमि का क्षेत्रफल	वर्ष के भीतर भूमि प्रबन्धक समिति के कब्जे में आई हुई भूमि का क्षेत्रफल	पूरा क्षेत्रफल (स्तम्भ 3+4)	वर्ष के भीतर पट्टे पर दी गई भूमि का क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6

भू–राजस्व	पट्टे पर उठाने के लिये इस समय उपलब्ध भूमि का क्षेत्रफल (स्तम्भ 5–6)	स्तम्भ 6 में दिखाई हुई भूमि के निहित होने की पहली तिथि/जब भूमि प्रबन्धक समिति के कब्जे में कोई भूमि आई
7	8	9

बी0पी0एस0 प्रपत्र–4
(देखें नियम 80)

असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर/असामी खातेदारों को 30 सितम्बर, 20..... को समाप्त होने वाले वर्ष में पट्टे पर दी जाने वाली भूमि का विवरण

जिला.....

उठाई जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

समीक्षा वर्ष के प्रारम्भ में	उ0प्र0 जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 194 (क) + (ख) या उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 124 के अन्तर्गत प्राप्त हुये अधिकारों के फलस्वरूप समीक्षा वर्ष में प्राप्त भूमि का क्षेत्रफल	योग
(क)	(ख)	(ग)
1		

आकार–पत्र

समीक्षा वर्ष में पट्टे पर उठाई गई भूमि का क्षेत्रफल :

पट्टों की संख्या	क्षेत्रफल	भू–राजस्व
(क)	(ख)	(ग)
2		

उपरोक्त स्तम्भ 2 में पट्टे पर उठाई गई भूमि का विवरण :

मण्डल में निवास करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति, जो कि संघ के सशस्त्र दल में सक्रिय सेवा में रहते हुए शत्रु की कार्यवाही से मृत्यु हुई हो, उसकी भूमिहीन विधवा, पुत्र, अविवाहित पुत्रियों तथा माता–पिता को			मण्डल में निवास करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति, जो शत्रु की कार्यवाही में उस समय पूर्णतः विकलांग हो गया हो जब वह संघ के सशस्त्र दल में सक्रिय सेवा में था, को		
संख्या (क)	क्षेत्रफल (ख)	भू–राजस्व (ग)	संख्या (क)	क्षेत्रफल (ख)	भू–राजस्व (ग)
(i)			(ii)		
3					

मण्डल में निवास करने वाला ऐसा भूमिहीन व्यक्ति जो खेतिहर मजदूर हो और जो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन–जाति का हो			मण्डल में निवास करने वाले किसी अन्य भूमिहीन खेतिहर मजदूर को			मण्डल में निवास करने वाले और जिसके पास 1.26 हेक्टेअर (3.125 एकड़) से कम भूमि हो, किसी भूमिधर या असामी को		
संख्या (क)	क्षेत्रफल (ख)	भू–राजस्व (ग)	संख्या (क)	क्षेत्रफल (ख)	भू–राजस्व (ग)	संख्या (क)	क्षेत्रफल (ख)	भू–राजस्व (ग)
(iii)			(iv)			(v)		

मण्डल में निवास करने वाला कोई भूमिहीन व्यक्ति जो संघ के सशस्त्र दल में किसी अधिकारी के रूप में सेवा से भिन्न सेवा में निवृत्त, विमुक्त अथवा उन्मुक्त हो			मण्डल में निवास करने वाला व्यक्ति जो स्वतंत्रता सेनानी हो और जिसे राजनीतिक पेंशन स्वीकृत न की गई हो			किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन–जाति के किसी अन्य भूमिहीन खेतिहर मजदूर, जो मण्डल में निवास न करता हो किन्तु यू0पी0 पंचायत राज ऐक्ट, 1947 की धारा 42 में अभिदिष्ट न्याय पंचायत सर्किल में निवास करता हो,		
संख्या (क)	क्षेत्रफल (ख)	भू–राजस्व (ग)	संख्या (क)	क्षेत्रफल (ख)	भू–राजस्व (ग)	संख्या (क)	क्षेत्रफल (ख)	भू–राजस्व (ग)
(vi)			(vii)			(viii)		

बी0पी0एस0 प्रपत्र–5

(देखें नियम 80)

प्रति वर्ष 15 सितम्बर तक अवश्य जिलाधिकारी द्वारा राजस्व परिषद् को भेजा जाये

भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा उठाये गये भूमि का विवरण

जिला.....

खेती का वर्ष 20..... फसली के लिये :

क्रमांक	तहसील का नाम	फसली वर्ष के प्रारम्भ में पट्टे पर उठाए जाने के लिये उपलब्ध भूमि का क्षेत्रफल	वर्ष के भीतर भूमि प्रबन्धक समिति के कब्जे में आई हुई भूमि का क्षेत्रफल	पूरा क्षेत्रफल (स्तम्भ 3+4)
1	2	3	4	5

वर्ष के भीतर उठाई गयी भूमि का क्षेत्रफल	भू–राजस्व	क्षेत्रफल जो अब भी उठाने के लिय बाकी है (स्तम्भ 5 + 6)	स्तम्भ 8 में दिखाई गई भूमि को पट्टे पर उठाये जाने का कारण संक्षेप में
6	7	8	9

बी0पी0एस0 प्रपत्र–6
(देखें नियम 80)

कार्यवाही की किताब

दिनांक	उपस्थित सदस्यों के नाम	की गयी कार्यवाही	उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
1	2	3	4

बी0पी0एस0 प्रपत्र–7
(देखें नियम 80)

पेड़ काटने का परमिट

सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति दिनांक .....के अन्तर्गत.....पुत्र/पुत्री/पत्नी..... मौजा..... परगना .....जिला.....को नीचे दी हुयी शर्तों के अधीन, गाटा संख्या. .....ग्राम .....परगना.....तहसील.....जिला.....में स्थित बाग या बागभूमि से निम्नलिखित पेड़ जलाने अथवा अन्य प्रयोग के लिये काटने, एकत्रित करने और हटाने की अनुमति एतद्द्वारा दी जाती है। यह परमिट.....तक बैध होगा।

पेड़ों की सूची	पेड़ों की ऊंचाई तथा परिधि (मोटाई)	ज्लाने की अथवा अन्य प्रयोग में आने वाली लकड़ी की अनुमानित मात्रा	अभ्युक्ति
1	2	3	4

अध्यक्ष (चेयरमैन)
भूमि प्रबन्धक समिति
ग्राम पंचायत.....
जिला.....

शर्तें जिनके अधीन परमिट जारी किया गया

(1) परमिट वैयक्तिक और अहस्तांतरणीय (non-transferable) है।

(2) किसी वन या पुलिस अधिकारी द्वारा मांग किये जाने पर परमिट को अवश्य प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) परमिट केवल उपरिलिखित क्षेत्र के लिये ही बैध (valid) है।

(4) पेड़ों का काटना तथा उनका परिवर्तन (conversion) असावधानीपूर्वक न किया जाये तथा उससे कोई बर्बादी न हो।

(5) पुनरीक्षण अधिकारी किसी भी समय परमिट को रद्द कर सकेगा और परमिट धारी व्यक्ति तुरन्त काटना, परिवर्तन करना और जंगल की उपज का हटाना रोक देगा और यदि उपर्युक्त अधिकारियों में से किसी से भी जंगल से हटने का लिखित अनुरोध प्राप्त होगा, तो वह ऐसा तुरन्त करेगा।

(6) सिवाय समक्ष अधिकारी की लिखित अनुमति के पेड़ों की जड़ों को न खोदा जायेगा।

बी0पी0एस0 प्रपत्र–8

(देखें नियम 80)

मांग और वसूली का रजिस्टर

मांग						वसूली						
क्रम संख्या	मांग का ब्योरा	देनदार का नाम और पता	रकम	पिछले साल की बकाया, यदि कोई हो	पूरी मांग	दिया हुआ रुपया	देने की तारीख	रसीद का नम्बर	आज्ञा का नम्बर और तारीख	छूट दी गयी रकम	अध्यक्ष के हस्ताक्षर	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

बी0पी0एस0 प्रपत्र–9

(देखें नियम 80)

ग्राम पंचायत के देयों (dues) की वसूली के लिये प्रमाण–पत्र

जिला....., तहसील....., परगना.....

ग्राम पंचायत का नाम	व्यतिक्रमी का नाम और पता	कुल प्राप्त धनराशि	वसूली की गयी धनराशि	शेष धनराशि (स्तम्भ 3 में से स्तम्भ 4 को घटाकर) (शब्दों और अंकों दोनों में)	देयों की प्रकृति	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7

.....के कलेक्टर को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम, सं0 8 सन् 2012) की धारा 142 के अनुसार उक्त धनराशि की भू–राजस्व की बकाया के रूप में वसूल करने के लिए प्रेषित।

अध्यक्ष (चेयरमैंन),

भूमि प्रबन्धक समिति

बी0पी0एस0 प्रपत्र–10

(देखें नियम 80)

रसीद बही

रसीद संख्या .....दिनांक	रसीद संख्या .....दिनांक .....
श्री .....पुत्र श्री	श्री .....पुत्र श्री .....
.....निवासी .....से रू0.....	.....निवासी .....से रू0.....
.(अक्षरों में) .....की मद में प्राप्त हुये।	(अक्षरों में) .....की मद में प्राप्त हुये।
.....रू0.....पै0.....	.....रू0.....पै0.....
.....	.....
मुहर अध्यक्ष के हस्ताक्षर	मुहर अध्यक्ष के हस्ताक्षर

बी0पी0एस0 प्रपत्र–11

(देखें नियम 80)

रोकड़ बही

आमदनी								ग्राम कोष में जमा किया गया रूपया						
क्रम संख्या	दिनांक	आमदनी की प्रकृति	रूपया (धनराशि)	क्रमिक योग	अध्यक्ष (चेयरमैन) के हस्ताक्षर	जमा किया हुआ रूपया	जमा करने का दिनांक	जमा किये गये रूपये का क्रमिक योग	अध्यक्ष (चेयरमैन) के हस्ताक्षर	रूपया निकालने का दिनांक	निकाला हुआ रूपया	ग्राम कोष में बचा हुआ रूपया	अध्यक्ष (चेयरमैन) के हस्ताक्षर	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

बी0पी0एस0 प्रपत्र–12

(देखें नियम 80)

खर्च का रजिस्टर

आमदनी								खर्च					
क्रम संख्या	दिनांक	पिछली शेष रोकड़ जो सामने लाई गयी	ग्राम कोष से रूपया मिला	स्तम्भ 3 और 4 का जोड़	अध्यक्ष (चेयरमैन) के हस्ताक्षर	क्रम संख्या	दिनांक	किस निमित्त	रकम खर्च की गई	रसीद की संख्या और दिनांक	रोकड़ बाकी	अध्यक्ष (चेयरमैन) के हस्ताक्षर	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14